खण्ड-105, अंक-2
मंगलवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1874
(22 जुलाई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 105 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्तफ़ सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनाराण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी , डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वर राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह , श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिश्म्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बेचू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ बिश्नी, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनाराण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी , श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली, सिंह श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़्फ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती

सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

विधायक निवास स्थानों के कमरों का किराया

*१--श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फ़ैज़ाबाद)--क्या वित्त तथा शक्ति मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य स्टेट आफिसर ने इधर तीनों विधायक निवास स्थानों के कमरों के आकार के अनुसार तीन श्रेणियां बना कर विधायकों के लिये विधान भवन के सत्र के लिये क्रमशः ४,३ तथा २ रुपया तथा सत्र के अलावा और दिनों के लिये क्रमशः साढ़े सात रुपया, ५ रुपया, तथा ३ रुपया कर दिया है और इसके अलावा विधायकों के परिवार के सदस्यों तथा अतिथियों के लिये भी प्रतिदिन ८ आना चार्ज करने का निश्चय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)--यह ठीक है कि विधायक निवासों Legislators residence) के कमरों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है और उनके किराये सरकार द्वारा दो विभिन्न दरों पर निर्धारित किये गये हैं, सत्र के दिनों में किराये की दर और सत्र के बाद और दिनों के किराये की दर। किराये की दर नीचे दी जाती हैं :--

	सत्र के दिनों में	सत्र के बाद के और दिनों में
(क) विधायक निवास नं० १ और २ (Darulshafa Legislators residences blocks A and B) में किनारे के कमरे और विधायक निवास नं० ३ (old Councillors Residence) के प्रत्येक बड़े कमरे का	४ ० ०	७ ८ ०
(ख) विधायक निवास नं० १ और २ (Darulshafa Legislators Residences) blocks A and B के प्रत्येक बड़े कमरे का	३ ० ०	५ ० ०
(ग) विधायक निवास नं० १,२ और ३ (Darulshafa Legislatos Residences blocks A and B and old Councillors residence) के प्रत्येक छोटे कमरे का	२ ० ०	३ ० ०

कमरे में रहने वालों के साथ रहने वाले प्रत्येक मेहमान और रिश्तेदार से आठ आने अतिरिक्त सेवा शुल्क लिया जायगा। किनारे वाले और बड़े कमरों में यह शुल्क उस समय लिया जायगा जब रहने वालों की तादाद दो से ज्यादा हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपरोक्त किरायों की दरों को एकाएक इतने गुना बढ़ाने की आवश्यकता और आधार क्या है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--विधायक निवासों के कमरों का पुराना किराया तदर्थ तय किया गया था और बहुत ही कम था। इसलिये किराया बढ़ाने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के पास विचाराधीन था। सत्र के दिनों के लिये किराये की जो दर निर्धारित की

गयो है वह भवन के रख रखाव पर सरकार द्वारा किये गये वास्तविक व्यय और अन्य विधायक निवासों में सुविधाओं को व्यवस्था करने के व्यय पर आधारित है । सत्र के बाद और दिनों को किराये को दर सामान्य नियमों के अनुसार निश्चित को गयो है और उससे पूंजी व्यय पर ६ प्रतिशत को आय होतो है । यह उस व्यय के अतिरिक्त है जो अन्य सुविधाओं को व्यवस्था करने में खर्च होता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कमरों में सुविधायें हैं, जैसे दरी है, टेबिल लैम्प है और अलमारियां हैं उन कमरों का किराया उनसे ज्यादा है जिनमें यह सुविधा नहीं है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---किराया तो सब का एक ही है । अगर किसी जगह दरी न हो तो वहां दरी पहुंच जायगी ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन दरों में हाल में कोई तब्दीली होने वाली है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, गवर्नमेंट ने इस हाउस के मेम्बरान की एक कमेटी बिठा दी है जो चरण सिंह जी की सदारत में काम कर रही है । आज सुबह भी उसकी मीटिंग हुई थी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि दो साल पहले जिन कमरों का किराया दो रुपये रोज था उनका किराया माननीय मंत्री जी ने डेढ़ रुपया रोज कराया था ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, सही है ।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो दरें रखी गयी है वह उस रिपोर्ट के अनुसार रखी गयी हैं जिसको कि स्टेट आफिसर ने देहली में जा कर इंक्वायरी करके तैयार किया कि वहां कौंसिल हाउस के कमरों का क्या किराया है और मेहमानों पर क्या चार्ज किया जाता है । इस रिपोर्ट के अनुसार यह तय की गयी है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मालूमात तो सब काम करने से पहले तमाम प्राविन्सेज और सेन्टर से सभी कर ली जाती हैं लेकिन यह खासतौर पर उस रिपोर्ट की बिना पर नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)---क्या सरकार इसका कोई कारण बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी के सम्मुख यह नियम क्यों नहीं रखे गये और बिना उसकी सलाह के क्यों जारी किये गये ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---किस कमेटी से आपका मतलब है, मैं समझा नहीं हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---उसी कमेटी से जिसका हवाला आपने देने की कृपा की है और जिसके सभापति श्री चरण सिंह जी हैं ।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---यह कमेटी तो खासतौर से इस पर ग़ौर करने के लिये कि यह जो किराया गवर्नमेंट ने लगाया है कहां तक ठीक है या गलत है, इस पर विचार करने के लिये और गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने के लिये अब बनाई गयी है ।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी--क्या सरकार उन किरायों को जिनको अभी तय किया गया है और जिनको मेम्बरान के पास सरक्यूलर के ज़रिये भेजा गया है, अनुचित समझती है और दोहराना चाहती है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम --मैं इस सवाल को कतअन समझा नहीं। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसी चीज जारी नहीं की सिवाय इन रुल्स के जो कि एनफोर्स [लागू] किये गये हैं और कोई चीज नहीं की गयी है ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह किराया बढ़ाने का सवाल परमानेंट एडवायज़री कमेटी के सामने क्यों नहीं लाया गया ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मेम्बरान से मश्विरा करने की गरज़ से कमेटीज़ बनाई जाती हैं । परमानेंट एडवायज़री कमेटी के मेम्बरान मौजूद नहीं होते और नये लेजिस्लेचर के आने से पहले यह कार्यवाही होनी जरूरी थी । इसलिये गवर्नमेंट ने इनको बना दिया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो दर मुकर्रर हुई है वह स्टेट आफ़िसर ने मनमानी की है या गवर्नमेंट ने किसी कमेटी से पूछा है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--गवर्नमेंट ने खुद तय की है ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सदस्यों के पास जो मेहमान आयेंगे उन मेहमानों में उनकी स्त्री और बच्चे भी शामिल किये जायेंगे ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मेरे नज़दीक यह सवाल कब्ल अज़ वक्त है। मैं नहीं कह सकता कि कमेटी इन रुल्स का जो गवर्नमेंट ने बनाये हैं क्या इंटरप्रिटेशन (निर्वचन) करेगी और क्या रिकमेंडेशन सिफारिश करेगी और उसके बाद उस रिकमेंडेशन पर गौर होगा । फिर जो नतीजा मुरत्तब हो उसके बाद ही कहा जा सकता है कि फेमली में क्या चीज़ शामिल होगी और क्या चीज़ शामिल नहीं होगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्टेट आफिसर ने यह सर्कुलर्स (परिपत्र) ऐसे लोगों के पास भी भेजे हैं जिनसे इसका कोई संबंध नहीं है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--कौन से सर्कुलर भेजे हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--यह नई दरों के मुताल्लिक जो सर्कुलर है और जो मेम्बर्स के पास भेजा गया है, क्या यह मेम्बर्स के अलावा और लोगों के पास भी भेजा गया है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मुमकिन है किसी और साहब को भी भेजा गया हो। मुझे इसकी इत्तिला नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी--क्या सरकार यह बतलायेगी कि जो नये रेट्स सर्कुलर द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं वे लागू कर दिये गये ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जब गवर्नमेंट ने आर्डर जारी कर दिया है तो वे लागू हैं और जब तक कि गवर्नमेंट उनको मंसूख न कर दे वे बराबर लागू रहेंगे।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)--क्या सरकार बतलायेगी कि वेतनिक सरकारी कर्मचारियों को किराया किस दर से देना पड़ता है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--आमूली तौर पर तनख्वाह का १० फीसदी ।

श्री भगवानदीन मिश्र--ऐसी अवस्था में क्या यह उचित है कि सरकारी वेतनिक कर्मचारियों के लिये जो किराये की दर है वही किराया मेम्बर्स से लेना उचित होगा ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मेरे नजदीक इस सवाल का जवाब देना गवर्नमेंट के लिये जब कि इस सवाल पर एक कमेटी बैठी हुई है मुनासिब नहीं होगा ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो कमेटी उसने बैठाई है वह जो सिफारिशें पेश करेगी उसे सरकार मंजूर कर लेगी और जब तक कमेटी की सिफारिशें न आयें उस वक्त तक जो मौजूदा निर्ख है उसके मुताबिक किराया वसूल न किया जाय ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि जो सिफारिशें कमेटी की आयेंगी उनको गवर्नमेंट मंजूर ही कर लेगी । जहां तक किराये की वसूलयाबी का ताल्लुक़ है उसका तो सवाल इस लिये उठता नहीं क्यों कि अगर इस वक्त वसूल ज्यादा हो भी और बाद में कम हो जाय तो वह वापस हो सकता है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मुझे भी दो एक प्रश्न करने हैं ?

अध्यक्ष--आपको बहुत मौका था लेकिन चूंकि आप शुरु से आखिर तक खड़े नहीं हुये इसलिये आपकी दिलचस्पी कम मालूम होती थी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--दो एक मौलिक प्रश्न हैं ।

अध्यक्ष--अब मौका नहीं दिया जा सकता ।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में बादशाहपुर-शाहगंज सड़क का निर्माण

*१--**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में बादशाहपुर से शाहगंज जाने वाली सड़क का निर्माणकार्य जो गत महायुद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया था, पुनः चालू किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक निर्माणकार्य पूरा होगा और क्या व्यय होगा ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--बादशाहपुर से शाहगंज तक सीधी पक्की सड़क निर्माण करने की कभी भी योजना नहीं थी । शाहगंज से त्रिकोलिया तक पक्की सड़क बनाने की योजना सन् ४६ में की गयी थी और उस सड़क का निर्माणकार्य समाप्त हो गया है । शेष सड़क को पक्का करने की इस समय कोई योजना नहीं है और न उसकी आवश्यकता ही प्रतीत होती है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क सन् १९३८-३९ में बादशाहपुर से शाहगंज तक और शाहगंज से कठौनिया तक पक्की की गयी थी और दिलकुशा तथा निबुलापुर से महाराजगंज तक जो मिट्टी डाली गयी है वह किसी योजना के अनुसार डाली गयी है या वैसे ही ?

श्री गिरधारी लाल--इसकी मुझे कोई इत्तिला नहीं है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रान्त के पुराने मंत्रिमंडल के द्वारा सन् १९३९-४० ई० के बजट में उस्त सड़क पर गोमती पर पुल बनाने का अनुदान स्वीकृत हो चुका था ?

श्री गिरधारी लाल--इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस नये बजट के अन्दर बादशाहपुर और शाहगंज की सड़क पर कुछ काम जारी किया जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--मैंने प्रश्न के जवाब में बतला दिया है कि त्रिकोलिया तक सड़क बनी है और इसके अलावा और कोई प्रोग्राम में नहीं है ।

उच्च न्यायालय में हिन्दी अभिलेखों के अंग्रेजी में अनुवाद तथा उनका मुद्रण

* २-**श्री वीरेन्द्रपति यादव** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रदेश के उच्च न्यायालय में हिन्दी अभिलेखों के अंग्रेजी में अनुवाद व उनको मुद्रण करने की प्रथा अब तक प्रचलित है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--पेपर बुक बनाते समय हिन्दी रेकार्ड का अंग्रेजी में तर्जुमा व छपाई कराने का तरीका अब तक कुछ हद तक जारी है, क्योंकि हिन्दोस्तान के कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल ३४८ (१) (क) के मुताबिक हाई कोर्ट की जबान अंग्रेजी है। पहले २,००० रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले मुकदमों के कागजात का तर्जुमा व छपाई पहली व दूसरी अपीलों में होती थी अब सिर्फ पहली अपील में १०,००० रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले मुकदमों के कागजात का तर्जुमा व छपाई होती है। दूसरी अपील के कागजात की छपाई बिल्कुल बंद है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस अनुवाद के मुद्रण का उद्देश्य क्या था ?

श्री सैयद अली जहीर--छपने का आबजेक्टिव (उद्देश्य) तो यही था कि हाईकोर्ट के सामने मुकदमें आसानी के साथ रखे जा सकें । वहां पर अंग्रेजी में बहस होती है। लिहाजा अंग्रेजी में रिकार्ड तैयार होता था।

३-**श्री वीरेन्द्रपति यादव**--क्या इस प्रथा या नियम में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, इस मामले में सरकार हाईकोर्ट से सलाह लेगी ।

*४-६--**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)--[२८ अगस्त, १९५२ तक के लिये स्थगित किये गये ।]

विलीनकृत रामपुर राज्य में अधिनियमों का लागू किया जाना

*७--**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)--क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन कौन से अधिनियम रामपुर जिले में रामपुर (विधियों को लागू करने के) आधिनियम (ऐक्ट), १९५० ई० की अनुसूची १, भाग २, द्वारा तुरन्त लागू न होने के कारण बाद में लागू किये

गये हैं? क्या प्रत्येक के लागू होने का दिनांक भी बताया जा सकेगा और यह भी कि जो अभी तक भी शेष हैं कब तक लागू हो सकेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—उन अधिनियमों के नाम जो कि सन् १९५० ई० के रामपुर विधियों के लागू करने के अधिनियम की अनुसूची १ के भाग २ द्वारा रामपुर में तुरन्त लागू न होने के कारण बाद में वहां लागू किये गये हैं, संलग्न सूची में दिए हैं। उनके लागू होने की तिथि भी प्रत्येक अधिनियम के सामने दी हुई है।

शेष अधिनियमों को, जो अभी रामपुर में लागू नहीं किये गये हैं, लागू करने का प्रश्न संबंधित विभागों के विचारधीन है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ.....पर)

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये शेष कानून जो अभी लागू नहीं हो सके हैं वे कब तक लागू हो सकेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी कोई तारीख नहीं बतलाई जा सकती। जो कानून जिस डिपार्टमेंट (विभाग) के मुताल्लिक है वही फैसला करेंगे कि कब से लागू किये जांय।

इर्रीगेशन रेट्स कमेटी की रिपोर्ट

*८—**श्री कृष्णशरण आर्य**—क्या सूचना मंत्री दिनांक २१ मार्च, १९५१ ई० के प्रश्न संख्या १ के उत्तर के प्रसंग में बतलाने की कृपा करेंगे कि इर्रीगेशन रेट्स कमेटी की रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त हुई है अथवा नहीं ? यदि हुई है तो रामपुर में आबपाशी की दर बदलने के प्रश्न पर सरकार ने अब तक क्या विचार किया है ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)—इर्रीगेशन रेट्स कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय उप-मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि इस रिपोर्ट के कब तक आने की उम्मीद है?

श्री राममूर्ति—कोई निश्चित डेट (तिथि) तो नहीं बतलाई जा सकती। यह तो माननीय मेम्बरों के ऊपर है वह जितनी जल्दी काम समाप्त करेंगे उतनी ही जल्दी रिपोर्ट तैयार हो सकेगी।

जिला बिजनौर की सड़कों के मील सूचक पत्थरों तथा इन्स्पेक्शन हाउसों के साइन बोर्डों की हिन्दी मिटाकर अंग्रेजी में लिखा जाना

*९—**श्री शिवकुमार शर्मा** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला बिजनौर में पी० डब्लू ०डी० की सड़कों के किनारों पर फरलांग तथा मील के पत्थर तथा इन्स्पेक्शन हाउसों के साइन बोर्ड जो पहिले अंग्रेजी में लिखे हुये थे वह अंग्रेजी के स्थान पर देवनागरी लिपि में गत वर्षों में लिखे गये थे, किन्तु अब फिर देवनागरी लिपि को मिटाकर अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि में लिखे गये हैं? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया है और इस अदला बदली में कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री गिरधारी लाल—सरकार को यह मालूम हुआ है कि कहीं कहीं मीलों तथा फर्लांगों के पत्थर जो पहले देवनागरी लिपि में लिखे गये थे वह अब फिर अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि में लिख दिये गये हैं किन्तु सरकार ने ऐसा परिवर्तन करने का कोई आदेश नहीं दिया था। सरकार अभी इस विषय में जांचकर रही है।

इस परिवर्तन कार्य का व्यय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रख रखाव मद से होता है। इस कार्य में कोई अन्य अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि क्या प्रांत के अन्य जिलों में भी ऐसा हुआ है?

श्री गिरधारी लाल---नहीं।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि इस तरह का जो सरकार का खर्च हुआ है क्या वह इस को अपव्यय नहीं समझते?

श्री गिरधारी लाल---अपव्यय तो हो सकता है लेकिन यह जो भाषा बदलने में खर्च हुआ है वह जैसा कि मैंने बताया मेन्टेनेन्स से हुआ। यह जरूर है कि थोड़ा बहुत इसमें वेस्ट (नष्ट) हुआ है।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि इस अदला बदली में कितना खर्च सरकार का हुआ?

श्री गिरधारी लाल---मामूली सा खर्च हुआ कोई विशेष खर्च नहीं हुआ और जैसा कि मैंने बताया वह खर्च मेनटेनेन्स [रख रखाव] चार्जेज से पूरा कर लिया गया?

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---यह भूल क्यों हुई और इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री गिरधारी लाल---इस की जांच की जा रही है।

श्री केशव गुप्त---क्या सरकार इस अपव्यय को उस अधिकारी से वसूल करने के लिये तैयार है जिसके जरिये से यह हुआ?

श्री गिरधारी लाल---इसका अभी कुछ जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकारी कोष से सरकारी नीति के विरुद्ध पी० डब्लू० डी० के अधिकारी इस प्रकार रुपये का अपव्यय करने में स्वतन्त्र और समर्थ हैं।

श्री गिरधारी लाल---वास्तव में जहां तक इस प्रश्न की बात है सन् १९४८ में हमारे सूबे की तरफ से यहां की भाषा हिन्दी तै की गई थी। उसी के मातहत जिला बिजनौर में जो माइल स्टोन (मील सूचक पत्थर) अंग्रेजी में थे वे वहां के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ने हिन्दी में करा दिये थे और उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया की भाषा के सिलसिले में एक खास पालिसी रही और माइल स्टोन का प्रश्न भी रोड कांग्रेस के पास पेश था। उसी सिलसिले में ऐसा हुआ

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---प्रांत द्वारा निश्चित की हुई भाषा में क्या भारतीय सरकार का कोई हस्तक्षेप हो सकता है?

श्री गिरधारी लाल---हो सकता है।

नये कौंसिलर्स रेजिडेंस दारुलशफा के निर्माण पर व्यय

*१०---**श्री शिवकुमार शर्मा**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नया कौंसिलर्स रेजिडेंस जो दारुलशफा भी कहलाता है उसके "ए" और "बी" दोनों ब्लाकों के बनाबाने में कितना धन अब तक व्यय हुआ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम––नये कौंसिलर्स रेजीडेंस दारुलशफा दोनों ब्लाक 'ए' और 'बी' के बनाने में जून, १९५२ ई० तक कुल ३५, ८८,००० रुपये खर्च हुये।

श्री शिवकुमार शर्मा––क्या सरकार 'ए' और 'बी' ब्लाकों के बीच में से होकर लालबाग तक कोई सड़क निकालने का विचार कर रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––विचार ही नहीं, बल्कि तयशुदा मामला रखा हुआ है। जो आगे काम होगा उस सिलसिले में वह भी बनेगी।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)––जो लिटरेचर सरकार ने इस विषय में दिया है क्या उसमें काउंसिलर्स रेजीडेंस की कीमत ४२ लाख बतलाई है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––काउंसिलर्स रेजीडेंस का पूरा एस्टीमेट (आक्कलन) ४२ लाख कुछ हजार का है। उसमें से यह रुपया खर्च हुआ है।

श्री भगवान सहाय––जो लिटरेचर बांटा गया है उसमें खर्चा ४२ लाख रुपया बताया गया है।

अध्यक्ष––अगर माननीय सदस्य कुछ पढ़ कर बतावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह तो हवाई बात हो रही है। इसको मैं इजाजत नहीं देता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मैंने अर्ज कर दिया था कि जो इमारत का पूरा एस्टीमेट हो उससे किसी वक्त कम हो सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह––क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे की दारुलशफा पर जितना खर्चा हो चुका है, उसके बाद और भी खर्च होगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––अब तो जितना काम वहां बाकी है वह सब आंखों के सामने है। एक तो सड़कों का है और कुछ थोड़े से हिस्से का है। उसपर जितना खर्चा होना होगा वह होगा, बाकी हो चुका है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय––क्या जो खर्चा हुआ है उसमें फर्नीचर (मेज़ कुर्सी आदि) भी शामिल हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––इमारत के खर्चे में जमीन की कीमत, बिल्डिंग सामान की कीमत और बिजली और सैनीटरी फिटिंग्स का खर्चा हुआ करता है। लेकिन कुर्सी जो उसमें बिछती है उसका खर्चा इमारत के खर्चे में नहीं लगाया जाता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)––क्या उसमें पंखों के दाम भी शामिल हैं।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम––यह मेरे पहले जवाब से जाहिर है।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी––आरम्भ में कितने रुपयों का एस्टीमेट इन इमारतों के बनाने के लिये था और अगर वह बढ़ा है तो कितना और किन कारणों से बढ़ा है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम––मुझे इस वक्त याद यह है कि इस बिल्डिंग का एस्टीमेट सन् १९४६ में जो था वह २८ लाख या इससे कुछ ज्यादा था। इसके बाद इसमें जो इजाफा हुआ है वह मैटेरियल (सामान) की कीमत, ट्रांसपोर्ट और लेबर का खर्चा बढ़ने की वजह से हुआ है।

*११––**श्री शिवकुमार शर्मा**––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि दारुलशफा के "ए" और "बी" दोनों ब्लाकों में कुल कितने सूट (कमरे) हैं और प्रत्येक सूट के बनवाने में कितना रुपया लगा है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम——नये कौंसिलर्स रेजीडेन्स दारुलशफा के दोनों ब्लाक 'ए' और 'बी' में मिलाकर सब २२६ कमरे (suite of rooms) हैं। 'ए' ब्लाक में १३१ कमरे और बी' में ९८। एक कमरे (suite of rooms) के बनाने का औसत खर्चा ११,९०० रुपये है।

गत तीन वर्षों के भीतर मुअत्तल तथा बर्खास्त किये गये ट्रेजरी अफसर, सेल्स टैक्स अफ़सर और क्लर्क

*१२——**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा** (जिला गोरखपुर)——क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के भीतर कितने ट्रेजरी तथा सेल्स टैक्स अफ़सर तथा क्लर्क, सेल्स टैक्स विभाग, मुअत्तल तथा बर्खास्त किये गये हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम——पिछले तीन साल में पांच ट्रेजरी अफ़सर, एक सेल्स-टैक्स अफसर और एक असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफ़सर इसलिये मुअत्तल किये गये कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

सेल्स टैक्स डिपार्टमेण्ट के क्लर्कों की तादाद

(अ) उन क्लर्कों की तादाद जो मुअत्तल किये गये और उसके बाद डिस्चार्ज या बर्खास्त किये गये २५

(ब) उन क्लर्कों की तादाद जो डिस्चार्ज या बर्खास्त किये गये वगैर मुअत्तल किये हुये ८

(स) जिन क्लर्कों के खिलाफ तेहकीकात हो रही है और मुअत्तल हैं ३

(द) उन क्लर्कों की तादाद जो मुअत्तल होने के बाद बहाल हो गये हैं १४

*१३——**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**——ऐसे मुअत्तल अथवा बर्खास्त किये गये सेल्स टैक्स अफसर तथा ट्रेजरी अफसर तथा क्लर्क सेल्स टैक्स विभाग कितने फिर से बहाल कर दिये गये अथवा बहाल करके फिर से मुअत्तल कर दिये गये हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम——जो ट्रेजरी अफसर मुअत्तल हुये थे उनमें से दो बहाल हुये। सेल्स टैक्स विभाग के क्लर्कों की तादाद हस्बजैल है :——

(अ) उनकी तादाद जो मुअत्तल व डिस्चार्ज (अलाहिदा) या बर्खास्त किये गये थे और बाद को बहाल कर दिये गये १४

(ब) उन क्लर्कों की तादाद जो बहाल होने के बाद फिर मुअत्तल किये गये हैं २

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)——क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्रेजरी आफिसर्स बहाल नहीं हुये हैं और जो बहाल कर दिये गये हैं उनके पृथक पृथक क्या नाम हैं और वे किन-किन जिलों में काम कर रहे थे ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम——इसके लिये नोटिस की जरूरत है क्योंकि मेरे पास इस वक्त नाम नहीं हैं ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा——क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने की मेहरबानी फरमायेंगे कि बर्खास्तशुदा क्लर्कों की तकर्रुरी और फिर उनकी मुअत्तिली किन वजूह से हुई ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम——ऐसे दो आदमी हैं जिनको पनिशमेंट (दण्ड) देकर रिइंसटेट (बहाल) कर दिया गया। इसके बाद उनको मुअत्तल इसलिये किया गया कि फिर उसी केस (मामले) में मजीद तेहकीकात की जरूरत हुई।

बहराइच-नानपारा सड़क पर "जिंगहा पुल" के टूट जाने के कारण अस्थायी पुल का निर्माण

*१४--श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बहराइच से नानपारा सड़क के दूसरे मील पर "जिंगहा पुल" के ३, ४ वर्ष से टूटे पड़े रहने के कारण वहां प्रति वर्ष एक अस्थायी पुल बनाया जाता है, जो बरसात में हटा लिया जाता है जिससे जनता को महान् कष्ट उठाना पड़ता है ?

श्री गिरधारी लाल--सन् १९४७ ई० की बाढ़ में पुल बह गया था। पुराने पुल के सामान से एक अस्थायी पुल बनाया गया था। इस पुल को बरसात के दिनों में हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि पुल के दूसरे तरफ के रास्ते में पानी आ जाने की वजह से यह पुल बन्द कर दिया जाता है। जब तक बाढ़ अधिक नहीं आती तब तक यात्री और मवेशी वगैरह इधर से निकलते रहते हैं । इसके अलावा एक नाव चलती है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि उक्त सड़क की सतह काफी नीची है जो बरसात में बाढ़ न आने पर भी पानी की सतह थोड़ी भी ऊंची होने से कतई बंद हो जाती है ?

श्री गिरधारीलाल--जो जवाब दिया गया है उससे ये सब बातें साफ हो जाती हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जिंगहा पुल की आजकल क्या हालत है ?

श्री गिरधारीलाल--आजकल उसकी हालत ठीक है । मैंने जैसा कि बतलाया इस वर्ष के प्रोग्राम में जो दूसरे पुलों के बनाने की योजना है उसमें १ लाख ५ हजार का खर्च है ।

*१५--श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या यह सही है कि उक्त पुल के टूटने के बाद एक साल बरसात में पी० डब्लू० डी० की एक नाव के उलट जाने से दो लड़कों की मृत्यु हो गयी थी ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, अक्तूबर सन् १९४७ ई० में निश्चित संख्या से अधिक यात्री भर जाने की वजह से और जबरदस्ती स्वयं ही खेकर ले जाने से एक नाव डूब गई थी और उसमें कुछ यात्री मर गये थे।

*१६--श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त पुल के टूटने के समय से आज तक उस अस्थायी पुल के प्रति वर्ष बनाने व हटाने में कितना व्यय हुआ और उस पुल के नव निर्माण में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारी लाल--जब से अस्थायी पुल बना है उसके हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि मामूली टूट फूट की मरम्मत हर साल होती रहती है। लगभग ५०० या ६०० रुपया हर साल खर्च होता है। २०० फीट लम्बा लकड़ी का पुल बनाने का अनुमान करीब १,०५,००० रुपया लगाया गया है।

कन्नौज से कानपुर जाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित इन्सपेक्शन हाउस

*१७--श्री काली चरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जी० टी० रोड पर कन्नौज से कानपुर की ओर चार मील पर स्थित पी० डब्लू० डी० इन्सपेक्शन हाउस में इस समय क्या क्या फर्नीचर (मेज कुर्सी आदि) है और उस इमारत की छत किस हालत में है ?

निर्माण उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---इन्स्पेक्शन हाउस में कोई भी फरनीचर नहीं है और इसकी छत गिर गई है।

श्री काली चरण टंडन---क्या सरकार को यह पता है कि उस इंस्पेक्शन हाउस का फर्नीचर और दूसरा सामान कहां पर है और किस हालत में है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उसका फर्नीचर पहले ही उठा लिया गया था और दूसरे इंस्पेक्शन हाउसेज में रख दिया गया है।

*१८---**श्री काली चरण टंडन**---उक्त इमारत में सब से आखिर में कौन सज्जन कब से कब तक विश्रामार्थ ठहरे?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कुछ सालों से इस इंस्पेक्शन हाउस में कोई भी मनुष्य नहीं ठहरा दुर्भाग्य से विजिटर्स बुक नहीं मिल रही है इसलिये यह नहीं बताया जा सकता कि अन्तिम समय से व्यक्ति कब और कब तक ठहरे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस भवन के सदस्य लोग भी पी० डब्लू० डी० के इंस्पेक्शन हाउस में टिक सकते हैं या नहीं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, टिक सकते हैं।

श्री काली चरण टंडन---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कब से यह इंस्पेक्शन हाउस काम में नहीं आ रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस इंस्पेक्शन हाउस में जनवरी, सन् १९४९ से कोई आदमी नहीं ठहरा। सन् ४९ के पहले तक यह काम में आता रहा।

श्री काली चरण टंडन---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इंस्पेक्शन हाउस को वर्षों से काम में न लाने का क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सन् ४९ के पहले तक काम में आता रहा। बाद में काम में आने लायक नहीं था इसलिये उसके बाद काम में नहीं आया।

श्री काली चरण टंडन---क्या सरकार के पास कोई वैभागिक शिकायत भी मिली है कि इस इंस्पेक्शन हाउस के इस्तेमाल योग्य न रहने के कारण उनके काम में अड़चनें पड़ती हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई वैभागिक सूचना नहीं है।

श्री काली चरण टंडन---क्या सरकार इस इंस्पेक्शन हाउस के पिछले तीन वर्षों से इस बुरी दशा में होने के बाद भी और कोई शिकायत न मिलने के बाद भी उसे पुनः कायम करने की जरूरत महसूस करती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---चूंकि इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और दूसरी इमारतें कुछ ऐसी हैं कि जिनमें पी० डब्लू० डी० के आफिसर साहबान ठहर जाते हैं इसलिये अभी तक इसके दुरुस्त करने की जरूरत नहीं मालूम हुई है।

नये कौंसिलर्स रेजिडेंस दारूलशफ़ा के निर्माण पर व्यय

श्री भगवान सहाय---अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १० पर अपने अनुपूरक प्रश्न में जिस लिटरेचर के लिये मैंने कहा था उसे मैं लाया हूं अगर आप कहें तो मैं उसे पढ़ कर सुना दूं।

अध्यक्ष---वह सवाल तो निकल चुका। अगर आपको इसमें कुछ एतराज है कि ठीक जवाब नहीं दिया गया तो मैं आपको बाद में इजाजत दे सकता हूं, आप उसे पढ़कर सुना देंगे। लेकिन अभी सवाल समाप्त नहीं हुआ है। इसके लिये और दूसरे नियम भी हैं। अगर सवाल का जवाब गलत हो तो नियम के अनुसार उसके ऊपर बहस की जा सकती है। भवन के सब कार्य समाप्त हो जाने के बाद में भी उसके ऊपर चर्चा हो सकती है लेकिन अभी तो सवाल जारी है। इसलिये इन प्रश्नों के बाद मैं आपको उसे पढ़ने की इजाजत दे दूंगा।

कन्नौज से कानपुर जाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित इन्सपेक्शन हाउस

१९---**श्री कालो चरण टंडन**---उक्त इंस्पेक्शन हाउस की इमारत की मरम्मत पर पिछले तीन सा'ल में कब-कब, कितना-कितना धन खर्च हुआ है तथा उसे रहने लायक बनाने में क्या खर्च पड़ने का अनुमान है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---पिछले तीन वर्षों से इस इंस्पेक्शन हाउस की मरम्मत में कोई रुपया नहीं खर्च किया गया। इसको रहने के लायक बनाने के लिये १०,००० रुपये की आवश्यकता होगी।

श्री कालो चरण टंडन---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगी कि पिछले ३ वर्ष से उस इंस्पेक्शन हाउस की हालत की देख रेख करने के लिये क्या व्यवस्था सरकार की ओर से है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---विभाग के पास कोई सूचना नहीं है।

श्री केशव गुप्त---उस इंस्पेक्शन हाउस की जब जरूरत नहीं है तो उसको अब तक डिस्पोज (विक्रय) क्यों नहीं किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं किया गया।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो ३ साल से सरकारी इमारत इस्तेमाल में नहीं आ रही है वह किसके कबजे में अब तक रही? क्या सरकार इसको अपना बंगला नहीं मानती?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मानती क्यों नहीं? पी० डब्लू० डी० का बंगला है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने साल उनको और लगेंगे जिससे वह अपनी स्टैंडर्ड (प्रामाणिक) हालत पर आ सके?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० डब्लू० डी० के बंगले के लिये जैसे चौकीदार रहते हैं, वैसे इस टूटे हुये बंगले के लिये भी अब तक कोई मौजूद है या नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कोई चौकीदार नहीं है।

नये कौंसिल्स रेजिडेंस दारूलशफा के निर्माण पर व्यय

श्री भगवान सहाय---अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न समाप्त हो गये इसलिये मैं उस लिट्रेचर से पढ़ता हूं। यह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पर रेव्यू (विवेचन) करके एक बुकलेट लिखी हुई है जिसमें न्यु कौंसिल से रेजिडेंस की मद में लिखा हुआ है।

"The construction work was started in 1946 and due to certain changes suggested by the Government, the progress was delayed, However,the building has been completed now at a cost of Rupees.42.00,000. approximately"

[यह निर्माण कार्य १९४६ ई० में आरंभ किया गया था और सरकार द्वारा कुछ परिवर्तनों के सुझाव दिये जाने पर कार्य की प्रगति में देरी हो गयी । तो भी अब इमारत लगभग ४२,००,००० रुपये के व्यय से पूरी हो गयी है ।]

श्री हाफ़िज़ मुम्मद इब्राहीम---हां, वह ठीक है। उसमें कोई फर्क नहीं है। कम्पलीशन (पूर्ति) में अब जितनी चीज़ बाक़ी रही है उसके पीछे उसको भी कम्पलीट (पूरा) कर सकते हैं। जो उसके कम्पलीशन का खर्चा है, तो मैंने डेट दी है कि फलां तारीख तक इतना खर्चा हुआ है और उसके बाद से अब तक भी हो रहा है और आगे को भी होगा।

अध्यक्ष---(श्री भगवान सहाय के खड़े होने पर) जवाब तो आप को मिल गया। "ऐप्राक्सिमेट" का लफ्ज़ है, इस से शायद उसमें फर्क का स्पष्टीकरण आ जाय।

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)---आदरणीय स्पीकर महोदय, मैंने कुछ विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न लिखित आप की सेवा में दिये थे जो प्रिविलेज के संबंध में थे। उनका जवाब अभी तक नहीं मिला।

अध्यक्ष---उसके जवाब के संबंध में मैंने यह कर दिया था कि इजाज़त न दी जाय, क्योंकि आप की जो अखबार की रिपोर्ट है यही सबूत आपने सामने पेश करके सवाल पूछा था, जो स्पष्ट नहीं था, डेफ़िनिट (निश्चित) नहीं था, स्पेसिफिक (विशिष्ट) नहीं था। उस में शिकायत अखबार की रिपोर्ट के ऊपर निर्भर थी। शिकायत के लिये जो रीजनेबिल (उचित) और बानी मुबानी बातें हो सकती हैं वे ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स (मूल लेख्य) आपने पेश नहीं किये, जैसा कि नियम ४५ के अनुसार पेश करना फ़र्ज़ था। इसलिये मैंने समझा कि कोई ऐसा प्राइमाफ़ैसी केस ब्रीच आफ़ प्रिविलेज (विशेषाधिकार की अवहेलना का स्पष्ट मामला) का उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्था में भवन का समय लेना उचित नहीं है। मैंने उसकी इजाजत नियम ४४ के अनुसार नहीं दी।

श्री राज नारायण---आदरणीय स्पीकर महोदय, इस संबंध में मैं आप से निहायत अदब के साथ यह जानना चाहता हूं कि जो "डाकूमेंट" शब्द इसमें लिखा हुआ है, नियम ४५ में, मैं समझता हूं कि जो अख़बार में सूचना प्रकाशित हुई है, जो लिखित सूचना उसकी कापी के रूप में मैंने आप की सेवा में दे दी, वह उस शर्त को पूरा कर देती है। यदि नहीं करती तो···

अध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि यह बहस करने की बात नहीं है। मैं उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन चूंकि आप इस सदन में बिल्कुल नये नये आये हैं इसलिये मेरा काम है कि मैं उसका स्पष्टीकरण कर दूं। एक तो अख़बारी जितनी रिपोर्ट हैं उनके ऊपर इस सदन में बहस वैसे भी नहीं होती। दूसरे अख़बार में जो दिया हुआ है कि कोई एक्सप्लैनेशन (स्पष्ठीकरण) काल किया गया है, तो जिस पत्र के द्वारा एक्सप्लेनेशन काल किया (मांगा) जाता है वह ओरिजनल (मूल) होता है। जो अख़बार की रिपोर्ट है वह ओरिजनल नहीं होती। अख़बार तो तभी ब्रीच आफ़ प्रिविलेज में पेश हो सकता है जब कि अख़बार में छपने की वजह से ही ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हो जाता है और उस बिना पर किसी व्यक्ति या अख़बार के ख़िलाफ़ कार्यवाही करनी होती है। तो उस वक्त वह अख़बार सामने पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी दूसरे कारण से किसी माननीय सदस्य के ऊपर ब्रीच आफ़ प्रिविलेज की कार्यवाही करनी है तो ऐसी अवस्था में जो ओरिजनल डाक्यूमेंट है जिसकी बेसिस (आधार) पर आपकी कंप्लेंट (शिकायत) है वही डाकूमेंट इस भवन के सामने आना चाहिये या अध्यक्ष के सामने आना चाहिये। उसके ऊपर विचार किया जायगा।

श्री राज नारायण---तो इसका मतलब क्या मैं यह समझूं कि अगर मैं ओरिजनल एक्सप्लेनेशन जिसके द्वारा मांगा गया है पेश कर दूं तो आप इजाज़त दे देंगे ?

अध्यक्ष—तब मैं विचार करूंगा कि भवन के सामने पेश करने की इजाजत दूं या न दूं। फिर मेरिट्स के ऊपर विचार करूंगा। अभी सदन के सामने यह प्रश्न आ ही नहीं सकता क्योंकि टेक्निकल डिफेक्ट यह रह गया है।

गन फैक्टरी क्वार्टर्स, लखनऊ, के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—अभी मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने दिया है और गन फैक्टरी के क्वार्टर्स के संबंध में उनको कुछ मालूम हुआ है, उसके संबंध में है। यह प्राप्त हुआ है ११ बजे के बाद जिस वक्त कि इस सदन की कार्यवाही शुरू हो गयी थी। नियम ६९ में नोटिस देने का तरीका यह है—

"Notice of an adjournment motion shall be given to the secretary in duplicate....."

[कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना की दो प्रतियां सचिव को दी जायंगी.....]

तो डुप्लीकेट में आना चाहिये वह भी नहीं है।

"Before the commencement of the sitting on the day....."

[उस दिन उपवेशन आरम्भ होने के पूर्व.....]।

उसके पेश्तर नहीं आया। इसलिये मैं इसके ऊपर बिलकुल विचार करने से इन्कार करता हूं और इसके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २९-पुलिस (क्रमागत)

अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए प्रस्तावों पर विवाद जारी रहेगा। श्री रामनारायण जी त्रिपाठी का प्रस्ताव शुरू है। उसी पर वाद विवाद शुरू होगा।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—अध्यक्ष महोदय, अनुदान का विषय इतना गम्भीर और इतना नाजुक है कि यहां पर इस पर वादविवाद करते समय सचेत हो कर वाद-विवाद न करें या सावधानी से काम न लें तो संभव है कि इसकी प्रतिक्रिया और परिणाम हमारे उद्देश्य के विपरीत निकलें। हम जो वादविवाद करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि पुलिस का कार्य देश में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित करना है और समाज विरोधी तत्त्व और अराजकतावादी तत्त्वों से समाज की रक्षा करनी है और देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी हैं जिनमें कि नागरिक अपने बेसिक अधिकारों का उपयोग कर सकें। इसलिये यदि हमारे भाषणों से पुलिस के मोरेल पर उल्टा असर पड़े तो हम निश्चय ही अपने उद्देश्य में सफल न हों सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ यह बात भी है कि कोई भी सरकार उन सारी चीजों के प्रति, उन सारे आक्षेपों के प्रति जो इस सदन के भीतर या बाहर इस विभाग पर लगाये गये हैं, उपेक्षा की दृष्टि नहीं रख सकती। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के कर्मचारियों की व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाहियों के कारण सरकार को जितनी चिन्ता पैदा हुई है और यह कार्यवाहियां जितनी विवाद और चर्चा का विषय बन गयी हैं शायद ही कोई विभाग इतनी चिन्ता और विवाद का प्रश्न बना हो। इसलिये किसी भी सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जब कि इतने गंभीर आक्षेप और आरोप सदन में और सदन के बाहर लगाये जा रहे हैं तो या तो वह इन कर्मचारियों को निरपराध घोषित करे अथवा इस विभाग का पुनःसंघटन करे।

[श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा]

माननीय पुलिस मंत्री के इस कथन से कि इस विभाग में पुनःसंघटन की और उन्नति की गुंजायश है मैं समझता हूं कि अब यह प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि इसका पुनःसंघटन किस तरह से किया जाय, इसमें उन्नति किस प्रकार से की जाय।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा कि पुनःसंघटन करने के लिये पुलिस पर ज्यादा व्यय किया जाय। मैं उनके इस कथन का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि अगर हमने इस पर ज्यादा व्यय किया तो इसके दो परिणाम होंगे, एक तो यह कि हम को ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा और दूसरे अगर हम टैक्स नहीं लगाते हैं तो समाज के निर्माण की जो कार्यवाहियां हैं, योजनायें हैं, उनमें कटौती करनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें गलत हैं। मैं समझता हूं कि हमारी स्टेट वैल फेयर स्टेट है पुलिस स्टेट नहीं है, और इसलिये अगर हमने समाज की निर्माणकारी कार्यवाहियों में कटौती की तो यह संभव हो सकता है कि इस स्टेट को एक पुलिस स्टेट हो जाने का भय हो जाय। इसलिये हमारे सामने प्रश्न यह है कि वर्तमान साधनों के रहते हुये जितना पैसा है, जितना धन है उसके दायरे में ही हम पुलिस का पुनःसंघटन करें और उसके लिये मैं थोड़े से सुझाव माननीय गृह मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। उनमें से कुछ सुझाव ऐसे हैं जो कि दूसरे प्रदेशों में कार्यान्वित किये गये हैं। उन्हीं के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम में पहली जुलाई को वहां की सरकार ने एक आदेश निकाला था जिस के द्वारा उन्होंने आज्ञा अपने यहां के पुलिस अफसरों को दी थी कि वे अपनी चल और अचल सम्पत्ति का विवरण दें और वह विवरण कम नहीं होना चाहिये और ज्यादा नहीं होना चाहिये। इस विवरण की सरकार समय समय पर इंक्वायरी करती रहेगी कि इस विवरण से सम्पत्ति अधिक तो नहीं बढ़ गयी या कम सम्पत्ति तो नहीं हो गयी। दूसरी चीज यह है कि उन अफसरों को अपने निकट संबंधियों की चल और अचल सम्पत्ति का विवरण देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अगर कोई भूल इस विवरण के देने में हो जायगी तो सरकार उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करेगी क्योंकि विवरण के देने में अगर सम्पत्ति होगी तो यह साबित हो जायगा कि यह जानबूझ कर कमी की गयी है जिससे कि रिश्वत लेने की गुंजायश रहे। ये तीन मोटी मोटी चीजें मैंने आपके सम्मुख उपस्थित की हैं।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय गृह मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार यहां पर एक सोशल फेनामिनन है, इस लिये समाज की सहायता लेकर ही हमको इस फेनामिनन को समाप्त करना पड़ेगा। उसके लिये मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हम लोग विजिलेंस कमेटी यानी देख रेख करने वाली कमेटी बनायें और उस कमेटी में पांच आदमी हों। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुपरिंटडेंट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड केचेयरमैन, एक एम० एल० ए० जिसको सरकार नियुक्त करे और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट, इन पांच आदमियों की विजीलेंस कमेटी रहेगी। इसके बाद दूसरी चीज जो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि सी० आई० डी० के पास आज बहुत कम काम है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री उनकी सेवाओं का उपयोग करें और बजाय इसके कि उनके पास फ़ालतू वक्त रहे और इधर उधर के काम में उनका दिल दिमाग रहे कोई निश्चित आदेश उनको दिये जायं और वे इस विजीलैंस कमेटी के साथ सहयोग करें और पुलिस अधिकारियों के संबंध में जो शिकायतें उनकी गुप्त रिपोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास भेजें।

अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह लाइसेंस के बारे में है। अभी तक लाइसेंस के संबंध में जो तरीका रहा है वह संतोषजनक नहीं है।

श्री शिवदान सिंह (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के अन्तर्गत चालू बजट में पुलिस के खर्च के लिये जो रकम रखी गयी है उसके लिये जो माननीय

सदस्य यह राय रखते हैं कि यह अधिक है। कम से कम मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हो सकता चूंकि जिस परिस्थिति में सारे हमारे सूबे को गुज़रना पड़ रहा है और जिन कठिनाइयों का हमारे सूबे को सामना करना पड़ रहा है और जिन का ज़िक्र माननीय पुलिस मंत्री ने अपने भाषण में किया था उनको देखते हुये यह हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि यह रक़म ज्यादा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि आजादी के बाद हम सब ने यह बात महसूस की कि हमारे सूबे की पुलिस ऐसी पुलिस नहीं है जो एक आजाद देश की पुलिस को होना चाहिये। उसमें कमियां थीं, उसका स्टैंडर्ड बहुत नीचा था और इसी कारण से हमारी सब की बराबर यह कोशिशरही है कि उसका स्टैंडर्ड ऊंचा हो, उसकी कमियां दूर हों और वह अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुये एक ऐसी पुलिस बन जाय जैसी एक आजाद देश की पुलिस होती है। उसमें जो ख़राबियां और कमियां हैं और जो वर्षों से चली आ रही हैं उसका एक कारण था। वह कारण यह था कि जिस विदेशी सरकार ने इसको कायम किया था उसका उद्देश्य और मतलब उन मतलबों और उद्देश्यों से भिन्न था जो एक आजाद देश की पुलिस का होता है। उस वक्त की पुलिस का तो यह काम था कि वह हमारी भावनाओं का दमन करती रहे और हमारी छाती पर जो सरकार उस वक्त थी उसको बैठाये रखे। उस ज़माने का जो गुण था अब ज़माने के बदलने के साथ दोष हो गया और उस दोष को हमें गुण में बदलना है, जो ख़राबियां थीं उन्हें दूर करना है और उन गुणों को पैदा करना है जिससे हमारी पुलिस ऐसी पुलिस बन सके जैसे हम सब की इच्छा है। हमारी सरकार का क़दम बराबर इस ओर बढ़ रहा है कि उसमें सुधार हो। मैं तो कम से कम इस बात को मानता हूं कि जो पुलिस के बड़े बड़े आफ़िसर्स हैं उनमें काफ़ी सुधार हो चुका है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स में ९९ नहीं तो ९५ फ़ी सदी सुधर गये हैं और वे ईमानदार हैं। डी० एस० पीज़० का भी यही हाल है। हां, पुलिस के नीचे के लोग अभी नहीं सुधरे हैं, उनमें काफी गड़बड़ी है। अफ़सोस तो यही है कि जो नीचे के कर्मचारी हैं उनमें यह भावना हम जागृत नहीं कर सके कि समाज की सेवा करना और जो ग़रीब हैं उनकी रक्षा करना उनका धर्म है। जब तक उनमें यह भावना जागगित नहीं होगी तब तक हमारी पुलिस ऊंची नहीं उठ सकती और जो जनता में असंतोष है वह दूर नहीं हो सकता, क्योंकि रोजमर्रा इन्हीं लोगों से उसका काम पड़ता है।

आप देहातों में जाइये तो वहां काफी परेशानी है, गुंडों का बड़ा ज़ोर है, चोरियां, क़त्ल और डकैतियां बढ़ रही हैं। जिस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मंत्री यह कहते हैं कि सूबे में क्राइम्स (अपराध) घट रहे हैं मेरा उनसे यह कहना है कि उस रिपोर्ट पर वह भरोसा न करें क्योंकि वह रिपोर्ट तो उन्हीं लोगों की बनायी हुई है जिनके ख़िलाफ हमारी शिकायत है। इसलिये आप उस रिपोर्ट पर निर्भर न रहें और यह जानने की कोशिश करें कि क्राइम्स अभी घट नहीं रहे हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं। आज भले आदमियों का रहना मुश्किल हो रहा है और गांवों में उनके जान-माल और इज़्ज़त की रक्षा नहीं हो पा रही है। इसके लिये एक जांच कमेटी बनाई तो जो दस पांच देहातों को चुने और देखे कि हालत क्या है। तब सही हालत मालूम होगी और सही इलाज हो सकेगा।

इसके अलावा मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि हर थाने में दस पांच दलाल रहते हैं। जिस तरह गिद्ध कारकेस (कलेयर) पर मंडराया करते हैं उसी तरह से ये लोग भी थाने के इर्द गिर्द रहते हैं और थानेदार को बहकाते रहते हैं।आप इस चीज़ को हर सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस से मालूम कर सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनका सम्पर्क थानेदार से बिलकुल बन्द करवा दिया जाय। अगर थानेदार उनके पास जायगा या उनके पास देखा जायगा तो उसका जवाब तलब होगा और उसका तम्बीह होगी। यह चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं और इससे काफी असर पड़ेगा। अगर थानेदार न भी लेता हो तो ये लोग अपने फायदे के लिये उसको मजबूर करते हैं और ये लोग थानेदार के साथ इंक्वायरी में जाते हैं और वहां पर ऐसी हालात पैदा कर देते हैं जिनसे थानेदार रिश्वत लेने को मजबूर हो जाता है। यह चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिये इसको आप जल्दी से जल्दी कर दीजिये।

[श्री शिवदान सिंह]

कल विरोधी पक्ष के एक दोस्त ने अलीगढ़ का नाम लिया था। उनको अलीगढ़ पर मेहरबानी है; उसके साथ हमदर्दी है; उसका उनको ख्याल है; इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी नियत पर लेशमात्र भी संदेह करने की बात मैं कभी ख्वाब में सोच नहीं सकता, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उनका जो इत्तला का सोर्स (आधार) है वह गलत है। उनके पास जो इत्तला है वह एकतर्फा गहरे रंग से रंगी हुई है और वह असल बात मालूम नहीं कर सके हैं। अगर उनकी इच्छा है और वह चाहते हैं कि जैसा कि वह जरूर चाहते हैं कि अलीगढ़ की सेवा करें तो मैं उनका इसके लिये स्वागत करूंगा। लेकिन प्रार्थना करूंगा कि वह अपने सोर्स को सही करें ताकि उनके पास सही इत्तिला आ सके और वह सही राय कायम कर सकें। क्योंकि जब तक सही राय कायम नहीं हो सकेगी तब तक सच्ची सेवा भी नहीं हो सकेगी। मैं उनका मश्कूर होऊंगा कि वह आइन्दा अहतियात बरतेंगे। कल कहा गया कि सिकन्दराबाद में जो म्युनिसपैलिटी है उसके चेयरमैन कांग्रेसी हैं। उनके खिलाफ नोकांफीडेंस (अविश्वास) का मोशन था उस नोकांफीडेंस के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई। उनको बिलकुल गलत रिपोर्ट मिली है। वहां के चेयरमैन कांग्रेसी नहीं हैं और न वे पहले कांग्रेसी थे और न अब हैं। वहां चेयरमैन पुराने ख्याल के हैं। वहां म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं हुआ। वे भले आदमी जरूर हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो इस सदन के समक्ष ७,११,४१,००० रुपये की मांग पेश की है उसमें एक रुपये की कमी करने का मेरा प्रस्ताव है।

अध्यक्ष—यह प्रस्ताव तो कट मोशन के जरिये पेश हो चुका है। यह प्रस्ताव इसमें नहीं आयगा।

श्री नेकराम शर्मा—हमारे माननीय गृह मंत्री जी की भावनायें और योजनायें कितनी ही सुन्दर और श्रेष्ठ क्यों न हों, लेकिन जब तक कार्य रूप में परिणित करने वाले कर्मचारी ठीक नहीं हैं तब तक गृह मंत्री जी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कल अपने भाषण में सर्व प्रथम और पहली बार इस सदन में भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार किया है। वे कांग्रेस के और हमारे एक माने हुये नेता हैं और वे इस बात को मानते हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार है और समाज को इसका जिम्मेदार बताया है और वास्तव में ऐसा है भी। समाज का पुलिस एक अगं है और जब तक समाज ठीक नहीं होगा तब तक उसका असर पुलिस पर जरूर पड़ेगा। लेकिन समाज और पुलिस दोनों में भिन्नता है। पुलिस पर हमारे माननीय मंत्री जी का डायरेक्ट कंट्रोल (सीधा नियन्त्रण) है। यदि हमारे गृह मंत्री जी इस कंट्रोल के द्वारा पुलिस के सुधार करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि इसका प्रभाव समाज पर भी अच्छा पड़ेगा।

पुलिस विभाग का जहां तक संबंध है और जो आंकड़े पेश किये जाते हैं वे ज्यादा सही नहीं होते और वास्तक में जुर्म में कमी नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, कुछ हद तक वे आंकड़े सही हो सकते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं सारे प्रान्त की बात तो नहीं जानता लेकिन अपनी कांस्टीटुएंसी के बारे में जानता हूं कि आज वहां अराजकता सी फैली हुई है। शाम को दिन छिपने के बाद जनता भय से बाहर नहीं निकलती। चोरियां, डकैतियों और कत्लों की भरमार हो रही है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस का आज यह काम है जुर्मों को छिपाना, डकैती को चोरी लिखना और बहुत से जुर्मों की तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। कानकाकशन आफ एवीडेंस (गवाही का घड़ना) और मिनीमाइज आफ दी क्राइम्स (अहराधों को घटाना) ये चीजें आज चल रही हैं। मैंने पुलिस आफिसर्स से बातें कीं कि आखिर आप क्रा इम्सको छिपाना क्यों चाहते हैं तो जवाब मिला कि हमारी पालिसी प्राविन्शयल कंसीलमेंट के बेसिस (आधार) पर है। आज यदि यह पालिसी रही तो हमारी सरकार तक सही चीज न पहुंचाई जाय तो नतीजा क्या होगा। मैं नहीं कह सकता कि गलत आंकड़े आते हैं।

लालेसनेस [अराजकता] के विषय में मंत्री जी ने इसकी तरफ स्वयं इशारा किया है। क्या वजह है कि ये चीजें चल रही हैं और इस तरह से लालेसनेस बढ़ती जा रही है। आखिर इस रुबकी जिम्मेदारी किस पर है ? हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं और दूसरे लोग हैं उनका कहना यह है कि रैंक एंड फाइल की जिम्मेदारी है, उनमें करप्शन[भ्रष्टाचार]है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। इसकी जिम्मेदारी उन उच्च आफिसर्स पर है जो आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० पी० और डी० एस० पी० हैं। मैं पुलिस रीआर्गेनाइजेशन कमेटी की उस रिपोर्ट की तरफ गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहताहूं जिसमें कहा गया है कि कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी (सामूहिक उत्तरदायित्व) मुआवजा और हानि का उन्हें देना पड़ता था। भारत में परिपाटी रही है जैसे कोतवाल आदि हुआ करते थे इंसी तरह जो आफिसर्स हैं उन सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो आंकड़े पेश किये गये उनसे पता चलता है, अध्यक्ष महोदय, कि इतने सिपाही निकाल दिये गये, इतने सब इंनस्पेक्टर निकाल दिये गये लेकिन कोई उच्च अफसर जैसे एस० पी०, डी० आई० जी० न तो निकाला गया और न सस्पेंड किया गया और एक सस्पेंड किया भी गया तो उस सस्पेंड पीरियड को लीव [अवकाश पर] कर दिया गया। गृह मंत्री जी ने बताया कि हैदराबाद में हमारी कम्पनी ने आदर्श काम किया मैं इसे स्वीकार करता हूं लेकिन जो घटना मीर लायक अली के भागने के संबंध में घटित हुई वह हमारे और इन आफिसर्स के लिये शर्म की बात है। नैपाल बार्डर पर भी इसी तरह का प्रबन्ध किया जा रहा है। हमें रैंक एंड फाइल और पुलिस के निम्न कर्मचारियों पर गर्व है लेकिन वहां भी हैदराबाद सरीखे अफसर रक्खे गये तो प्रदेश के लिये अहित होगा और यदि इस तरह की बात की गई तो हम अपने लक्ष्य पर न पहुंच सकेंगे ऐ। अफसरों के मुताल्लिक सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये और आई० जी० इन बातों के लिये जिम्मेदार हैं।

मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्टत करूंगा आपके द्वारा कि एक पंचवर्षीय योजना बनायी जाय, उसे लागू किया जाय और आई० जी० से कह दिया जाय कि पांच बरस में भ्रष्टाचार को मिटाना है और भ्रष्टाचार इन पांच सालों में समाप्त न हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आई० जी० पर होगी, असफल होने पर सर्विस छोड़ कर चले जाना होगा। मुझे अपने यहां की घटना का जिक्र करना आवश्यक हो गया है। मैं पुलिस मंत्री जी का ध्यान अध्यक्ष महोदय के द्वारा सिकन्दरा राऊ घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में श्री शिवदान सिंह जी ने भी कहा है, सरदार अली खां साहब हमारे यहां म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर हैं। कुल १४ मेम्बर थे और ९ मेम्बर्स ने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था। उनमें ५ मुसलमान थे। मुसलमानों के लीडर सरदार अली खां थे। वे बहुत ही आदरणीय और प्रतिष्ठित सदस्य हैं। उनके हथियार १० जुलाई, १९५२ को यह कह कर छीन लिये गये कि तुम पाकिस्तान जा रहे हो और देश द्रोही हो। उनको १२ तारीख को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, जिस दिन ने कांफिडेंस मोशन पेश होने वाला था। साढे ५ बजे सिकन्दरा राऊ के सेकिंड आफिसर श्री वाजिद अली खां आते हैं और कहते हैं कि आपकी गिरफ्तारी का वारण्ट है, आप हमारे साथ चलिये। वारण्ट उनको नहीं दिखाया गया और कहा गया कि थाने पर चलिये वहीं वारण्ट है। उनको थाने ले जाया गया और वहां से अलीगढ़ पहुंचाये गये और वहां डी० एम० के पास पहुंचे। वहां से एस० डी० एम० के पास गये, मीटिंग का टाइम उस वक्त खत्म हो गया था और उनको बाद को १२ बजे के लगभग छोड़ दिया गया। मेरा समय समाप्त हो गया है। इसलियें मैं यहीं पर खत्म करता हूं

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पुलिस के अन्दर से अभी भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ है और रिश्वत दूर नहीं हुई है और पुलिस ठीक तरह से अनुसंधान नहीं करती है, लेकिन इसके साथ यह बात हमको माननी पड़ेगी कि जैसे आंकड़े बतलाते हैं अपराधों में कमी है और विशेषतया पुलिस का खर्चा बमुकाबले दूसरे प्रमुख प्रदेशों के कम होते हुये सफलता भी मिली है, इसके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है। खास-तौर से डकैतियों के गिरोहों को तोड़ कर जो काम किया गया है वह सराहनीय है। परन्तु इस अवसर पर अपने क्षेत्र का अनुभव जो मुझे है उसके आधार पर माननीय गृह मंत्री के समक्ष अपने कुछ सुझाव रखना असंगत न होगा और आशा करता हूं कि वे उस पर ध्यान देंगे।

[श्री जगदीशप्रसाद]

मैं आपको बताऊं मेरी जो तहसील है हसनपुर उसके अन्दर साधारणतः जो कत्ल हुये हैं वे पिछले ६ साल के अन्दर ५ से २ तक हुये हैं (इससे ज्यादा कत्ल नहीं हुये हैं और इससे ज्यादा संख्या कभी नहीं रही) लेकिन इधर ४, ५ महीनों में ५ क़त्ल हो चुके हैं और इसमें भी खास बात यह है कि इन सब क़त्लों में केवल एक केस में एक आदमी को ट्रांस्पोर्टेशन आफ लाइफ (कालेपानी) की सजा हुई है और कुछ मुकदमे चल रहे हैं और बाकी सब में करीब करीब सब को छोड़ दिया गया है। अब आप सोचें कि किसान चाहे कितनी ही अपनी हालत को ठीक कर ले परन्तु वह जानता है कि गाड़ी में अनाज भरकर जब वह बेंचने के लिये जायगा तो वापसी में उसको विश्वास नहीं है कि वह रुपया लेकर घर पहुंच जायगा और वह सहीसलामत आ जायगा, तब कितनी विषम स्थिति है इस तरह से उसकी उन्नति में भी बहुत बाधा पड़ती है। बहुत सी इसकी वजह हो सकती हैं लेकिन अनुसंधान नहीं हो पाता। मैं समझता हूं कि अनुसंधान पुलिस जो इससे अलग कर दी गई है उससे कुछ सफलता प्राप्त होगी। यदि आप यह समझते हैं कि कानून ऐसा है कि जिसमें सजा नहीं कर सकते तो उसके लिये मैं माननीय गृह मंत्री की सेवा में यह निवेदन करूंगा कि वे ऐसे कानून बनायें जिससे इस तरह की ताकत उनके हाथ में आजाय और वे उनको सजा दिला सकें। गवाहों का स्वीकृत खर्चा कम है यह बात सही है। पहले बहुत सस्ता था लेकिन आजकल के जमाने में इस पैसे में किसी तरह काम नहीं चल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरफ ध्यान दें।

एक खास परिस्थिति आज हमारे मुल्क की है उसमें अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जो देश के लिये हानिकारक है तो उसको रोकना जरूरी है। इसके लिये मैं कुछ सुझाव और देना चाहता हूं और वे ये हैं कि जिस थानेदार के इलाके में क़त्ल होता है उसकी एक लिस्ट होनी चाहिये चूंकि मैं यह समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिये यह जरूरी है कि शांति रहे। अगर उसकी योजनाओं को सफल बनाना है तो उसके लिये पुलिस का ठीक होना ज़रूरी है चूंकि वह शांति को स्थापना रखती है और शांति उसके ऊपर निर्भर करती है और अगर किसी जगह पर अशांति रहती है तो कोई काम सफल नहीं हो सकता। थानेदार को उनकी योग्यता के आधार पर उनकी रिपोर्ट के आधार पर तरक्की देना उचित है परन्तु साथ ही यह भी साफ कर दिया जाय कि अगर किसी थानेदार के इलाके में ५ वर्ष के अन्दर ५ क़त्ल होते हैं और उनमें से एक भी केस सफल नहीं होता है तो वह थानेदार डिग्रेड कर दिया जायगा और अगर ५ क़त्ल होते हैं और उनमें ३ केसेज ऐसे हैं कि जिनमें पुलिस सफल हो जाती है और ठीक तरह से तफतीश कर लेती है और सजा हो जाती तो उनके लिये कुछ रिवार्ड का इन्तजाम होना चाहिये और उनको कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिये। आज अक्सर लोग यह समझते हैं कि कुछ भी मेहनत की जाय उनमें कोई रिवार्ड नहीं है और बहुत मेहनत का कुछ भी नतीजा नहीं निकलता तो ऐसी हालत में उनको उत्साह नहीं होता। यह तरीका ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

एक दूसरी बात मुझे आपके सामने यह भी रखनी है कि हमारी तहसील हसनपुर में एक बड़ी समस्या है और वह समस्या जानवरों की चोरी की है। कुछ की तो रिपोर्ट लिखी जाती है और बहुत सों की नहीं लिखी जाती। क्यों नहीं लिखी जातीं? जब वे रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस वाले वेउन्हें मशवरा देते हैं कि रिपोर्ट न लिखाओं क्योंकि रिपोर्ट लिखने के बाद वे चोरी के जानवर काट डाले जायेंगे हैं। वहां के ४ थानों में हसनपुर में तो कुछ कम लेकिन बाक़ी ३ थानों में ऐसी स्थिति है कि जो चोर है वे पुलिस से मिले रहते हैं और वे जानवर कम कीमत पर आधी या तिहाई पर वापिस दे दिये जाते हैं। यह चीज वहां पर इतनी खुली हुई है कि यदि आप वहां के किसी भी कार्यकर्त्ता से पूछेंगे तो आप को पता चल जायगा और अब तो कुछ ऐसा हिसाब हो गया है कि रिपोर्ट लिखा जाना या न लिखा जाना कोई माने नहीं रखता। लोग खुद ही नहीं लिखाते और टाल जाते हैं। यह समस्या हमारे यहां कोई कांग्रेस सरकार के जमाने की ही नहीं है, बल्कि यह

बहुत पुरानी है और २५-२६ साल पहले एक बार एक अफसर इस समस्या को हल करने के लिये मुकर्रर भी हुये थे परन्तु फिर भी वह कम नहीं हुई। इस लड़ाई के बाद जब और अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई तो इस में भी तरक्की हुई है। इसके बाद जैसा कि बताया गया है पुलिस पर परकैपिटा (प्रति-व्यक्ति) खर्च कम है। इसलिये मैं इस कटौती से सहमत नहीं हूं।

श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो आज मुझे इस सदन में इस महत्त्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये अनेकानेक धन्यवाद। यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण अनुदान है जिसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है और कल से इस पर जो वाद-विवाद हो रहा है उस पर मैं अच्छी तरह से गौर कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि इस अनुदान के सम्बन्ध में क्या कहा जाय और किस तरह के सुझाव रखे जायं जिससे हमारे इस विभाग में अच्छी तरह से सुधार हो। यह तो मानना पड़ेगा कि स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश की पुलिस पर जो जिम्मेदारी आई उसको उसने अच्छी तरह से वहन किया और जो उथल पुथल मचने की आशंका थी उसको घटाने का प्रयत्न उसने किया। नैपाल की सरहद पर और तिब्बत में जो आशंकायें इस प्रकार की थीं उनको भी पूर्ण रूप से दबाने में हमारी पुलिस सफल हुई है। यह मानना पड़ेगा कि पुलिस में ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सच्चाई और ईमानदारी पर किसी तरह का शुबहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बात जाहिर कर देना चाहता हूं कि इन तमाम बातों के होते हुये भी हमारे पुलिस विभाग में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी पुलिस को इस बात पर गर्व करना चाहिये था कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और जो खराबियां विदेशी हुकूमत ने हमारे अन्दर पैदा कर दी थीं उनको निकाल बाहर करना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आज भी पुलिस विभाग में उसी तरह की जहनियत काम कर रही है जिससे कि गर्व के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि वाक़ई उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छी है। आज पुलिस विभाग पर जितनी जिम्मेदारी है उतनी किसी और विभाग पर नहीं है। यों तो इस विभाग के लिये बड़े अच्छे से अच्छे और योग्य से योग्य मंत्री प्राप्त हुये। माननीय लाल बहादुर जी का नाम हमारे देश में विख्यात है। वर्तमान मंत्री, माननीय सम्पूर्णानन्द जी की न्यायप्रियता और उनकी कार्यक्षमता के ऊपर किसी प्रकार का शुबहा नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी इस तरह की कमजोरियां हैं जिन्हें छिपाने से किसी तरह का फ़ायदा नहीं। आज भी हमारे थानों में पुलिस की रिपोर्टें सचाई के साथ नहीं लिखी जाती हैं। मामूली मामला दर्ज करके टाल दिया जाता है। लिखते समय बग़ैर लिखाई लिये नहीं लिखा जाता है और बग़ैर बड़ी बड़ी लम्बी रक़में लिये रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं। जो आंकड़े एकत्र किये जाते हैं उनमें कमी दिखाई जाती है।

एक चीज जिसे नहीं टाला जा सकता वह क़त्ल की वारदातें हैं। ये नहीं छिपाई जा सकतीं। तो देखने के लिये तो जरूर ऐसा मालूम होता है कि हमारे प्रान्त के अन्दर जरायम में कमी हो रही है लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। असल बात तो यह है कि कमी नहीं, बल्कि दोषों में ज्यादती आई है और मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर रहने वालों में इस तरह का असन्तोष और अविश्वास है जो हमारे लिये घातक सिद्ध हो सकता है। मर्ज को छिपाने से कोई लाभ नहीं होता, लाभ तो इसी में है कि उसका इलाज किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से और सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वास्तविकता को सामने रख कर काम करना चाहिये। आज हमारी पुलिस को इस बात का प्रोत्साहन दिया जाता है कि वह दफा १०९ के मुक़दमों का चालान करे लेकिन उनमें होता क्या है? चरवाहों और हलवाहों को पुलिस वाले पकड़ कर जेल भेज देते हैं। आज इस बात में भी

[श्री रामबली मिश्र]

प्रोत्साहन है कि रिवाल्वर पकड़े जावें और बरामद किये जावें परन्तु उनमें अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस के रखे हुये होते हैं। इस तरह की साजिशें की जाती हैं।

आज हमारे प्रान्त में गुंडों का इतना जोर है कि उनको दबाना मुश्किल हो रहा है। अगर यही स्थिति रही तो एक भयानक स्थिति पैदा हो जायगी। हमें अपने माननीय पुलिस मंत्री पर इस प्रकार का आश्वासन और विश्वास है कि उनके नेतृत्व में वास्तव में पुलिस विभाग सुधर जायगा लेकिन अगर आज ये लीपापोती की बातें कर दी जावें कि वह विभाग ठीक हो गया है तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। हमारे इस विभाग में नये सिरे से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शुरू से लेकर आखिर तक इसे छलनी किया जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे इसके अन्दर का कूड़ा करकट शीघ्र दूर हो जाय, अन्यथा हमारे राज्य और देश की बदनामी होगी। आवश्यकता आज इस बात की बहुत बड़ी है कि पुलिस विभाग में ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जिससे कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर ठीक तरीके से संभल जावें और हम विश्वास के साथ यह कह सकें कि हमारे प्रदेश की पुलिस हमारे लिये गर्व की वस्तु है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—माननीय, कल और आज जो पुलिस के बारे में बहस हुई है, उसे देखा जाय तो स्पष्ट है कि बहुत से सदस्यों के मन में ऐसी आशंका है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत बढ़ गये हैं। एक साहब ने तो बहुत उचित बात कही कि यदि इसे ट्रांजीशनल पीरियड (संक्रान्ति काल) माना जाय, तो आखिर यह ट्रांजीशनल पीरियड कब तक रहेगा? किसी सदस्य ने यह भी कहा कि भुखमरी के कारण अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि समूचे संसार के सामने यह समस्या बहुत विकट रूप धारण कर चुकी है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। आखिर यह ट्रांजीशनल पीरियड कब तक समझा जाय। देशों में बोर्स्टल इंस्टीटचूट, प्रोबेशन प्रणाली जेलों में सुधार तथा अमेरिका में ४०,००० मनोवैज्ञानिकों की सेना है, परन्तु अपराधों में किसी प्रकार की कहीं भी कमी नहीं हो रही है। यह भी कहा गया कि अपराधों की संख्या को छिपाया जाता है। किसी अंश में यह ठीक हो सकता है। सारे संसार का अपराध सम्बन्धी नियम है कि एक अपराध के पीछे ३ अपराध ऐसे होते हैं, जो रेकार्ड पर नहीं आते या न आ सकते हैं। यह बात अनुभव के आधार पर ठीक है जो आंकड़ों से सिद्ध होती है। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे यहां और जगहों के मुकाबिले में अपराध कम होते हैं। हमारे यहां के सन् ५० के आंकड़े प्राप्त हैं। अमेरिका आदि देशों के भी सन् ५० तक के ही आंकड़े प्राप्त हैं। सन् ५० में हमारे यहां ७६,००० के करीब कागनिजेबिल आफ़ेंसेज (हस्तक्षेप्य अपराध) हुए हैं। हमारा बहुत छोटा सा प्रदेश पश्चिमी बंगाल है वहां ८० और ९० हजार के बीच औसत पड़ता है। पुलिस के लिहाज से बम्बई तो बहुत उन्नत प्रान्त समझा जाता है तथा वहां की पुलिस की व्यवस्था ऊंचे पैमाने की है। लेकिन अगर आप वहां के आंकड़े देखेंगे तो वह भी जहां तक अपराधों का सम्बन्ध है वे हमारे यहां से ज्यादा ही मिलेंगे।

हमारे यहां की पुलिस की संख्या अन्य प्रदेशों तथा देशों की तुलना में काफी कम है। आज के जमाने में बगैर मोटरों के पुलिस का काम चल ही नहीं सकता। हमारे पास ६२९ मोटरें हैं और इनमें से करीब २०० खराब हैं तो ४०० होंगी। संयुक्त राज अमेरिका में ४५८ मोटरें रोज चोरी जाती हैं। आपको मालूम होगा कि अमेरिका जैसे धनाढ्य और उन्नति तथा समृद्धिशाली देश में बहुत अधिक चोरियां होती हैं। हमारे प्रदेश में ढाई मिनट में एक अपराध होता है। बम्बई में क़रीब डेढ़ मिनट में

एक अपराध का औसत पड़ता है और इतने बड़े देश अमेरिका में १८ सेकेंड पीछे एक अपराध का औसत है और फी ५ मिनट पीछे एक हत्या होती है। फी ढाई मिनट पीछे एक पर्सनल असाल्ट (व्यक्तिगत हमला) हुआ करता है।

एक सदस्य रूस के बारे में पूछ रहे थे । रूस का पीनल कोड भी मैंने देखा है और अभी एक पुस्तिका 'जस्टिस इन रशा' बर्मन की लिखी क़रीब डेढ़ माह के हुआ, प्रकाशित हुई है। वहां की सरकार ने असली आंकड़े देना अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने अपने पीनल कोड में यह संशोधन किया है और यह नियम कर दिया है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके रिश्तेदार को भी हम क़ैद कर लेंगे और जो सजा अपराधी को मिलेगी वही उसके रिश्तेदार को भी दी जायगी। आज-कल चीन के नाम की बड़ी धूम है । वहां सूदखोरी का अपराध काफी बढ़ गया था। चीन ने यह नियम कर दिया है कि १०० रुपये पर जो कोई २३६ रुपये से ज्यादा सूद लेगा उसको सजा दी जायगी। इंगलैण्ड जो इतना उन्नत कहा जाता है वहां ६,००० का औसत पड़ा करता था उन छोटे बच्चों का जो १४ वर्ष की उम्र के नीचे के थे और शराब पीते पकड़े जाते थे। लेबर गवर्नमेंट ने जो इनक्वायरी कराई तो औसत १२,००० का हो गया था।

आप सब ने अखबार में एक नाम पढ़ा होगा 'कैफेऊर' का, जो अमेरिका में प्रेसीडेंटशिप के लिये एक कैण्डीडेट हैं । उनकी अध्यक्षता में एक सरकारी कमेटी बैठी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में है कि अपराधों को रोकने का सब से अच्छा तरीका यह भी हो सकता है, कि कुछ अपराधों को जायज़ करार दिया जाय, जैसे गैम्बलिंग (जुवा) है, तो गैम्बलिंग को लीगलाइज़ (वैध) कर दिया जाय । इस तरह की आज बहुत सी समस्यायें संसार के सामने हैं । हम क्रिमिनालोजी (अपराध विज्ञान) की चर्चा बहुत करते हैं। यह तमाशे की बात नहीं है केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि संसार के और देशों के लोग भी इस समस्या को सुलझाने में एक साथ लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध शास्त्र के सब से बड़े विद्वान् श्री हैकड़वाल साहब जब जेनेवा गये थे तो उन्होंने वहां भी यही पाया कि सब देशों के लोग इसी उलझन में थे कि आजकल बाल अपराधों की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है उसके लिये क्या उपाय निकाला जाय। क्रीमिनालोजी शब्द अब तो आऊट आफ फैशन समझा जाने लगा है और उसके बदले में अब "किंडिओनालाजी" शब्द का व्यवहार होने लगा है। यह शब्द यूनानी भाषा से बना है। इसका अर्थ है खतरा। अपराध शास्त्र न होकर अब खतरा शास्त्र हो गया है। चारों ओर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। गत वर्ष १८ लाख अपराध तो संयुक्त राज अमेरिका में ही हुए । रूस में भी इस समस्या के ऊपर विचार किया जा रहा है कि अपराधों को कैसे रोका जाय।

सब से विचित्र इस दिशा में जो काम किया है वह इब्नसऊद ने किया है। वहां पर नियम है कि अगर १० रुपया की कीमत तक की कोई चीज कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट लो और जिस किसी मुसाफिर का धन चोरी जाने के दो घंटे के अन्दर वसूल न हो जाय तो उस गांव के चारों तरफ आग लगा दो। अस्तु आज जो अपराध शास्त्र में रुचि रखने वाले हैं, पुलिस विज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन सब को इस समस्या पर विचार करना है और सोचना है कि अपराधों की बढ़ती रोकने के लिये क्या किया जाय। इंगलैण्ड जुए के नियंत्रण पर हर व्यक्ति पीछे दो रुपये साढ़े दस आने हर वर्ष खर्च करता है, लेकिन वहां जुए का प्रचार कम नहीं हो रहा है। तो मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आज जब कि हम पुलिस बजट पर बहस कर रहे हैं हम यह भी सोचें कि आखिर इसके क्या कारण हैं कि संसार के हर कोने में चाहे वह साम्यवादी हो, समाजवादी हो या पूंजीवादी हो, हर जगह अपराध इस क़दर बढ़ते ही जा रहे हैं कि हम को यह भी सोचना है कि कहीं इसमें कोई सांस्कृतिक बात, परम्परा की बात तो सन्निहित नहीं है?

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

इस प्रदेश की हर पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की चेष्टा करे कि जनता में जो अपराध-प्रवृत्ति है उसे कम किया जाय। इस अवसर पर मैं आपका ध्यान रोरशाख के सिद्धान्त की ओर दिलाता हूं कि शासन से भय कम होना अपराध का लक्षण है। हमें यह देखना होगा कि आखिर अपराध की वृद्धि शासन के प्रति अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न करना ही नहीं है। प्रजातंत्रवाद में प्रत्येक दल शासक दल के विरुद्ध अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है। राज्य के प्रति भय कम होने से तो अपराध नहीं बढ़ता! अगर ऐसा है तो लोगों में अपराध की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जायेगी। मैं केवल यह समस्या सदन के सामने रखना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर शान्तिपूर्वक विचार करे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल से इस अनुदान पर जितने भाषण हुए उन पर बहुत गम्भीरता पूर्वक-विचार किया। इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं है कि जितने मेम्बर साहब इस भवन में हैं वे इस विभाग की अहमियत को समझते हैं कि आज जो हमारे प्रान्त की स्थिति है उसे देखते हुए हम अपने विचार माननीय मंत्री महोदय के सामने रखें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं जानता हूं कि यह विभाग अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। इस विभाग का काम बहुत कठिन है और इस कठिनता के कारण ही इससे जो बहुत सी बुराइयां आ गयी हैं। उनको दूर करने में अभी बहुत कुछ कमी है लेकिन मैं फिर भी आपके जरिये कहना चाहता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि जिन बातों में सुधार हुआ है उसकी मैं यहां चर्चा करूं। मैं इस बात को मानता हूं कि जो पुलिस डकैतों को पकड़ने के लिए तैनात की गयी है उसने जरूर डकैतों को पकड़ कर यहां की डकैतियों में कमी की है। दूसरे यहां की ट्रैफिक पुलिस ने भी काफी तरक्की की है। तीसरी बात यह है कि जो उच्च कर्मचारी हैं वे भी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि पुलिस का भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन, मैं देखता हूं कि इसमें सफलता इस वजह से नहीं मिलती कि आपके बजट में जहां ५ करोड़ ११ लाख रुपया है वहां आप कम तनख्वाह पाने वाले सिपाही और चौकीदार या नीचे के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। आज प्रान्त में क्या स्थिति चल रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति गम्भीर है और मैं यह भी आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ग था जिसका शांति रखने में बहुत हाथ था उसके अलग हो जाने के बाद आज कितनी गुंडाशाही आप देख रहे हैं जिसका जिक्र हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने किया है, इससे और अधिक बढ़ने की संभावना हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि आपको बहुत सावधानी से कार्य करना है। और मैं आपके जरिये से यहां के माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करूंगा कि उनका काम जहां आलोचना करना है, वहां यह भी काम है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद करें। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में अशांति हो रही है या अपराध बढ़ रहे हैं और हम उसमें कोई मदद नहीं कर सकते। मैं खुद विश्वास करता हूं कि अगर हमारे सदस्यगण या सरकार हमारे सुझावों पर विचार करें तो अवश्य अपराधों में कमी हो सकती है।

मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं कि डकैतियां इतनी बढ़ गयी हैं कि पहले डकैतों की एक खास जमाअत थी। लेकिन अब डकैत जो होते हैं अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि अब आस-पास के गांव वाले ही पड़ोसी गांव में डाका डाल देते हैं। अब गांव वाले खुद डकैती करने लगे हैं। पहले डकैती करने वाले खास लोग होते थे। अब यह पेशे की बात, श्रीमन्, नहीं रही।

आज आप देखें कि बहुत सी डकैतियों की रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि आपकी आज्ञा है कि रिपोर्ट में अपराध कम दिखलाये जायं, इसलिये आधी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती और जो लिखी जाती हैं उनमें अगर डकैती है तो चोरी लिखी जाती है और चोरी है तो कुछ और लिखा जाता है। यानी सही रिपोर्ट नहीं होती, यह तो मानना पड़ेगा।

इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि राम मुहम्मद नाम का एक शख्स था। उसने उपद्रव किया और पकड़ा गया। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे शख्स हर जिले में हर तहसील में मौजूद हैं। उनका आतंक जनता पर फैला हुआ है। जनता भयभीत है जिसके कारण पुलिस को जितनी सहायता करनी चाहिये उतनी नहीं कर पाती। मैं अपने जिले का वाकया बतलाना चाहता हूं। हमारे जिले में एक डकैती सुनेजा ग्राम में, थाना कदौरा में पड़ी। एक रात में ४ जगह डाका डाला गया। ५८ हजार रुपये का माल गया। तहकीकात हुई। २–३ आदमी पकड़ कर बेंड़ दिये गये और उनको मुझे ठीक नहीं मालूम, शायद ४–५ दिन में छोड़ दिया गया। ऐसे ऐसे लोग हैं मैं उनके नाम यहां नहीं बताना चाहता हूं। बाद को बता दूंगा। अगर ऐसे लोगों का दमन आप अपने गुप्तचर विभाग द्वारा करा दें तो जनता की बहुत हिम्मत हो जायगी और आगे पुलिस की सहायता करेगी। जनता देखती है कि पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर पाती और आप चाहते हैं कि वह आपसे सहयोग करे। जब तक उसको अपनी रक्षा की आशा न होगी तब तक वह आपकी पुलिस की मदद नहीं कर सकती। जनता में आज कल यह भाव आ गया है कि वह सरकार की सेवा करे।

इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूं और क्षमा मांगता हूं कि सरकार की जो पार्टी है वह अपना प्रभाव रखने के लिये रिपोर्ट्स लिखाती है। अगर रिपोर्टों को देखा जाय तो आपको यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि ऐसी बहुत सी रिपोर्टें भरी पड़ी हैं जिनसे उनका आतंक कायम रहे। आपकी कांग्रेस के कार्यकर्त्ता बहुत सी रिपोर्टें जनता को भयभीत करने के लिये, उसमें अपना आतंक कायम रखने के लिये, लिखाते हैं। आपके मंडलों की रिपोर्टें इतनी ज्यादा होंगी जितनी किसी और की न होंगी और यह इसलिये किया जाता है कि जनता भय के कारण कांग्रेस के साथ बनी रहे। इन रिपोर्टों में सरकार को देखना चाहिये कि वे कहां तक सही हैं। अगर कोई ग़लत रिपोर्ट करता है तो वह इस वजह से नहीं छोड़ा जाना चाहिये कि कांग्रेस का कार्यकर्त्ता है या मंडल का सभापति है। मैं इन शब्दों के साथ चाहूंगा कि सरकार इस पर ग़ौर करे।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (ज़िला सुल्तानपुर)—अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के कारनामों को देखने के लिये पहिले हमें यह देखना होगा कि आया इस विभाग के कर्मचारियों में कांपीटैंसी (योग्यता) और ऐफीशियेंसी (क्षमता) है या नहीं। अगर उनमें योग्यता है, अगर वे अपने कार्य में निपुण हैं तो एक चीज़ की हमको अवश्य प्रसन्नता होगी कि हमारा पुलिस विभाग काफी कांपीटेंट है और ऐफीशियेंट है। इसकी मिसाल हमारे पास बहुत सी मौजूद हैं। इसके बारे में बहुत न कह कर मैं इतना ही कहना काफी समझता हूं कि हमारे यहां की पुलिस की प्रशंसा दूसरे प्रदेश भी करते हैं। दूसरे प्रदेश मांग करते हैं कि यहां की पुलिस वहां पर भेजी जाय। इससे ज्यादा और क्या हमारे पुलिस विभाग की ऐफीशियेंसी और कांपीटैंसी हो सकती है? लेकिन इसके साथ एक प्रश्न यह उठता है कि अगर हमारी पुलिस इतनी ऐफीशियेंट और कांपीटेंट है तो यह बदअमनी और अराजकता क्यों? इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह कहा जाय कि इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस पर ही है और यह जितनी बदअमनी फैली हुई है यह पुलिस विभाग की वजह से ही है, तो यह उचित नहीं होगा। इसके बहुत से कारण हैं, उन कारणों पर भी हमें ध्यान देना होगा। इसके जो कारण हैं वे तो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। यह जो

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

वर्ल्ड वार (संसार-युद्ध) हुई थी, और उसका असर जो सारी दुनिया पर पड़ा वह तो सभी लोगों को मालूम है। आखिरकार यह वार (युद्ध) क्या चीज है सिवाय इसके कि एक बड़े स्केल पर आर्गेनाइज्ड (संघटित) लालेसनेस या अराजकता है। तो उसका असर तो कुछ न कुछ पड़ेगा ही। उसके बाद हम यह भी जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश राज स्थापित था और वह राज उल्टा है और उस राज के उलटने पर एक दूसरा राज स्थापित हुआ तो दुनिया में जब किसी भी देश में एक राज उलटता है और दूसरा राज स्थापित होता है तो कुछ न कुछ ऐसी बातें फैलती हैं।

तीसरी बात यह है कि हमने यह भी देखा कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने भी लालेसनेस (अराजकता) की और उसका असर हमारे देश पर भी पड़ा। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि इस वर्ल्ड वार की वजह से जो सारे संसार में बात हुई वह हमारे देश में भी हुई कि बहुत सी बातों की हमें तंगी आई, हममें बहुत ज्यादा ग़रीबी फैली, भुखमरी आई। उस भुखमरी की वजह से बहुत से लोगों का रुजहान इस तरफ हुआ।

ये वजहें थीं। लेकिन एक वजह और भी हुई जिसको मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है और वह यह है कि हमारे महात्मा गांधी इस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिये हिंसा का दखल नहीं चाहते थे। लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने हिंसा का एक प्रोग्राम महात्मा गांधी जब जेल चले गये तो इस देश में चालू किया। हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने आदरणीय जयप्रकाश नारायण की बहुत ही प्रशंसा की और यह कहा कि उन्हीं की वजह से हम लोग या यह सरकार आज इस कुर्सी पर विराजमान है। मैं आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की बहुत ही प्रशंसा करता हूं। उनका इस आजादी के लाने में बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बड़े बड़े उन्होंने त्याग किये, लेकिन यह कहना कि केवल उनकी वजह से यह कांग्रेस सरकार यहां पर विराजमान है, यह चीज तो उचित नहीं है, बल्कि मैं तो यह समझूंगा, मेरा यह कहना है कि यह एक हद तक गलत है। मेरा तो कहना यह है कि उन्होंने जो प्रोग्राम चालू किया, ठीक है उससे हमको कुछ न कुछ मदद मिली अपनी आजादी को प्राप्त करने में, लेकिन चूंकि वह हिंसा पर मबनी था इसलिये उसने हिंसा का बीज इस समाज में, हमारे देश के निवासियों में बोया और मैं यह देखता हूं कि हमारे कम्यूनिस्ट भाई तो इस दौड़ में बहुत ज्यादा तेज थे ही, हमारे सोशलिस्ट भाई भी ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं, ख्वाह वह जयप्रकाश नारायण जी के आदेशानुसार होता हो या किसी तौर पर होता हो। वह ऐसी बातें हमारे समाज में पैदा करते हैं, जैसे स्ट्राइक कराना और दुनिया भर की उद्दण्डता पैदा करना। ये चीजें क्या समाज में लालेसनेस नहीं फैलाती हैं? क्या वह इसके जिम्मेदार नहीं हैं और मैं यह कहूंगा कि उनकी तरफ से इस बात का उठाना कि लालेसनेस बढ़ती जा रही है उनके मुंह से शोभा नहीं देता। उनको भी तो अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिये। वे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, असेम्बली के सदस्य हैं। अगर वे स्वयं इस किस्म की बातों को प्रोत्साहन देते हैं तो फिर कैसे यह राज ठीक तौर पर चल सकता है और हमको अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिये।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं इसलिये कि मैं प्रतिदिन इसी प्रतीक्षा में बैठा रहा करता था कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय मुझको यह सुअवसर देंगे कि मैं अपने जिले तथा क्षेत्र की जनता के दुखों और सुखों को सरकार के सामने रख सकूं, क्योंकि जनता आज इस प्रतीक्षा में होगी कि हमारे चुने हुये सदस्य हमारे दुखों और सुखों को लेकर वहां पर गये हैं जहां पर हमारे भाग्य का निपटारा होगा। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा मैं सदन के उपस्थित सदस्यों के सामने तथा पुलिस मंत्री महोदय के सामने

पुलिस की कार्यवाहियों का एक विवरण रख देना चाहता हूं और उसके साथ साथ कुछ समुचित सुझाव रखना चाहता हूं। जो आज तक देहातों और शहरों में पुलिस की कार्यवाहियों से जनता में असन्तोष फैला हुआ है उसका पहला कारण यह है कि जो पुलिस की जिम्मेदारी पब्लिक के फायदा के लिये है उसमें हमको यह देखना है कि पुलिस कहां तक पब्लिक को फायदा पहुंचा रही है और कहां तक नहीं फ़ायदा पहुंचा रही है।

शहर के अन्दर जब पुलिस रात में गश्त करने के लिये जाती है तो वह अपनी सीटी के द्वारा शहर की पब्लिक को जगा कर होशियार करती है और प्रत्येक मुहल्ले में जाकर सब बातों को देखती है लेकिन देहातों में अक्सर मैंने देखा है कि जब पुलिस गश्त में जाती है तो जाने के पहले ही वह यह विचार कर लेती है कि किस के दरवाजे पर जाना चाहिये जहां सोने का अच्छा प्रबन्ध होजायगा तथा बढ़िया खाना मिल जायगा, पब्लिक चाहे भाड़ में जाय, चाहे उसके ऊपर डाका पड़े, चाहे चोरी हो, चाहे कत्ल हो, इसकी कोई जिम्मेदारी पुलिस अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस वालों का पहला कर्त्तव्य देहात तथा शहर में यह होना चाहिये कि वे इस जिम्मेदारी को महसूस करें कि हमारा क्या कर्त्तव्य है और हमको क्या करना चाहिये। इसलिये माननीय मंत्री महोदय एक कमेटी बनाने का निश्चय करें जो प्रत्येक थाने के अन्तर्गत प्रत्येक थानेदार को यह राय देती रहे कि आपके नीचे जो पुलिस काम करती है वह जनता के हित के लिये काम करती है या नहीं करती है और अगर नहीं करती है तो क्या करना चाहिये।

आज यहां पर कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो मिल कर जनता को दुख देने के लिये तरह तरह की चीजें पैदा किया करती हैं। अगर पुलिस सच्ची है, अगर पुलिस ईमानदार है अगर पुलिस जनता के हित में कार्य करती है तो पार्टियां क्या करेंगी? अगर पुलिस ही पार्टियों से मिल कर यह सब कराना चाहती है, तो पार्टियां क्यों नहीं करेंगी। इसलिये मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दूंगा, किसी पार्टी का दोष नहीं है, बल्कि उन कर्मचारियों का दोष है जिनके समक्ष ऐसी बुराई पब्लिक में फैले तथा देश में अशांति फैले। ऐसे कर्मचारियों को तो बिलकुल नेस्तनाबूद कर देना चाहिये जिनके रहने से जनता का कोई फायदा न हो। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मैं यह कह देना चाहता हूं कि वे इस बात पर तुरन्त ध्यान दें।

अब इसके अतिरिक्त मैं अपने जौनपुर जिले का एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से मैं आगया हूं वहां पर एक ग्राम सोंगर थाना सरायख्वाजा के अन्तर्गत है। उस ग्राम में एक जगरदेव हरिजन है जिसको वहां के अत्याचारियों ने ऐसा मारा कि उसके दाहने हाथ की हड्डी बिलकुल टूट गयी लेकिन जब वह थाने पर आया और कहने लगा कि मेरे हाथ की हड्डी टूट गयी है, मुझको अत्याचारियों ने मारा है, तो इस पर थानेदार ने कहा कि उधर बैठो, थोड़ी देर बाद तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जायगी। वह बेचारा सारे दिन बैठा रह गया और क़रीब सात बजे उसकी रिपोर्ट लिखी गयी और वह भी दफा ३२३ लगा कर लिख दी गयी जो कि एक मामूली चोट के लिये होती है ताकि वह पुलिस केस न हो सके। जब उसके बाद वह मेरे पास आया तब मैंने कहा कि तुम एस० पी० महोदय के पास जाओ और देखो कि वे क्या कहते हैं और मैं यहीं पर बैठा हूं और जब तक तुम वापस नहीं लौटोगे यहीं पर बैठा रहूंगा। तो जब वह एस० पी० महोदय के पास गया तो उन्होंने उसको देखा और उसके सारे कपड़े उतरवा कर सारे शरीर की चोटें अच्छी तरह से देखीं और जब हाथ की टूटी हुई हड्डी को देखा तो कहा कि ओफ़ ओह, यह तो बहुत गहरी चोट आयी है और उन लोगों ने बहुत ग़लत काम किया जो दफा ३२३ में रिपोर्ट लिखी। बाद में उन्होंने उस रिपोर्ट को फाड़ डाला और ३२५ दफा क़ायम की और उसको अस्पताल में

[श्री बाबूनन्दन]

भर्ती कराया और वहां पर डाक्टरी मुआयना हुआ और रिपोर्ट दी गयी। बाद में जब वह लौट कर आया तो मैंने एस० पी० महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और मैंने उनसे वादा किया था कि अगर आपका ऐसा ही सराहनीय कार्य रहेगा तो मैं सदन के समक्ष माननीय मंत्री महोदय के सामने आपकी तारीफ़ करूंगा और कहूंगा कि ऐसे ही एस० पीज़० होने की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से पुलिस अनुदान पर बहस चल रही है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने पुलिस के ऊपर और उसके ग़लत कारनामों के ऊपर छोटा कशी की है। इसलिये ख़ासकर के जो विरोधी दल है उसका भार कुछ हल्का हो गया है।

मैं तीन सुझाव पुलिस विभाग के बारे में आपके द्वारा माननीय पुलिस मंत्री को देना चाहता हूं। पहला सुझाव तो यह है कि जो छोटे छोटे कर्मचारी इस विभाग में काम करने वाले हैं उनका वेतन बहुत ही कम है। जो कांस्टेबिल है उसकी तनख्वाह ३० रुपये है और महंगाई २० रुपये है। ५० रुपये इस वक्त उसको मिलते हैं। उसको रहने के लिये ३ रुपया १२ आने घर का किराया मिलता है। हेड कांस्टेबिल को सवा छै रुपये मिलता है और थानेदार को १८ रुपये १२ आने मिलता है। १९३६ में दो रुपया कपड़े के लिये एलाऊन्स मिलता था और वही दो रुपये एलाउंस अब तक चला आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से कि यह जो तनख्वाह हैं और घर और कपड़े का एलाउंस है यह बहुत ही कम है आज कल के ज़माने के लिये। उसमें आपको वृद्धि करनी चाहिये और उसके न करने के कारण जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनमें बहुत ही असन्तोष है और अच्छी भांति से सरकार का काम नहीं करते हैं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो कर्मचारी अंग्रेजी राज में बदनाम थे आज भी वही कर्मचारी इस सरकार के बड़े वफादार हैं। मैं सरकार से आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारी जो अंग्रेजी जमाने में बदनाम थे और आज भी वे जनता की नजरों में बदनाम हैं सरकार को उन्हें निकाल देना चाहिये। मैं अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि बहुत से राजनीतिक पीड़ित लोग डी० एस० पी० हुये हैं उनमें बहुत से लोगों से बातें हुईं। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को मजबूर किया जाता है पुराने ढांचे में चलने के लिये। पुलिस के छोटे छोटे कर्मचारी भी यही कहते हैं कि हम लोगों को मजबूर किया जाता है कि प्रदेश में, गांवों में, देहात में, अराजकता फैले, लोगों को परेशान किया जाय और उनसे पैसा लिया जाय। तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि सरकार चाहती है कि शान्ति हो, न्याय हो, नया निज़ाम, नई बातें पुलिस के अन्दर हों तो ऐसे लोगों को निकालना होगा। बिना उनको निकाले अगर सरकार सोचे कि नयी बात होगी तो नहीं होने की और जो पुराना रास्ता है उसी पर छोटे छोटे कर्मचारियों को जो बड़े बड़े अफसर आज कुर्सियों पर बैठे हैं ले जायेंगे।

तीसरी चीज जो इस पुलिस के अन्दर सब से बड़ी खराबी है वह यह है कि पुलिस के अन्दर कोई आदमी किसी दूसरे की शिकायत किसी उच्च अधिकारी के पास नहीं भेज सकता, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अगर कोई कर्मचारी सही बात अपनी सरकार के पास भेजना चाहता है तो उसको दरोगा, एस० पी० और डी० आई० जी० के द्वारा ही भेजना पड़ता है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत से छोटे छोटे कर्मचारी इसके शिकार होते हैं और बहुत ही बुरी तरह से शिकार होते हैं जो नहीं होने चाहिये। अभी अभी आजमगढ़ जिले के महेश प्रसाद नामक कांस्टेबिल ने सन् १९५० ई० में, जो मुरादाबाद में ट्रेनिंग पा रहा था, जन्माष्टमी के दिन

गीता पर व्याख्यान देने के लिये आज्ञा मांगी। इस पर उसको बरखास्त कर दिया गया। सरकार को चाहिये कि ऐसे लोगों के बारे में ऐसा प्रबन्ध हो कि ठीक तरह से सोचा समझा जा सके और सही माने में सलाह दी जा सके। इसके लिये वह कोई कमेटी बना दे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय पुलिस मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के लिये पुलिस का रहना अत्यन्त उपयोगी है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी उपयोगी है कि पुलिस अपना काम सही तौर पर करती है या नहीं। यहां के भाषणों से यही फैसला होता है कि पुलिस अपने काम में विफल रही है, अयोग्य रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस की इस अयोग्यता को दूर करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आजमगढ़ जिले में जो पुलिस की हालत है उसके ऊपर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां एक मधुवन का थाना है जो सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है, जिसमें सन् १९४२ ई० में आजादी के मतवाले ८०-८५ आदमियों ने हंसते हंसते पुलिस की गोली का सामना किया था। लेकिन आज भी वहां की पुलिस जनता के साथ बेरहमी का व्यवहार करती है। १९४२ उस मधुवन से अब मात हो गया है। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि धर्मपुर में तीन औरतों को जिनके नाम ये हैं, बसमतिया, जगरनिया, बनुही, उनको मारा गया, थाने में लाया गया और तीन तीन दिन तक रखा गया। वहां के थानेदार के खिलाफ इस लाल फीते वाली सरकार के पास दरख्वास्त दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राजबली अहीर को घोड़े की गर्दन में बांध कर दौड़ाया गया। विजयी नामक आदमी की मूंछें उखाड़ी गईं। पुलिस के वही पुराने कारनामे हैं। कोई नया रंग रवैया नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय पुलिस मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक दिन वह आजमगढ़ चलें और देखें कि वहां की क्या हालत है। वहां की पुलिस ने दीदारगंज थाने के भगवतीराम के बाल उखाड़े और पवई के सिद्धू-राम हरिजन के घर का सारा सामान लूट लिया। हमारे मंत्री जी ने कहा कि जमींदारी खत्म हो रही है इसलिये पुलिस की आवश्यकता है। सामाजिक असमर्थता निवारण बिल १९४७ में पास किया था और एक भी जमींदार को, जो किसान पर या गरीब पर हमला करता है, गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री दीनदयाल शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से पुलिस के बजट पर विचार हो रहा है और मैं समझता हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उन सबके दिमाग में पुलिस की नुक्ताचीनी अलग-अलग तरीके से है। मेरे ख़याल में सारा दोष समाज का है। अगर इसको विचार कर देखा जाय तो आज कौन सा ऐसा दल है चाहे वह हमारा दल हो, या विरोधी दल हो जो ईमानदारी के साथ यह समझता है कि हमारी पुलिस बेईमान है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह बतलाये कि समाज ने उनका बहिष्कार कब किया? आज हम अपने नाते और रिश्ते के लिये उनसे सिफारिशें कराते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रुपया देकर उनसे रिश्ते करते हैं और आज हमारा समाज इस तरह का है कि दोषी आदमी के दोषों को हम उसके सामने कहने को तैयार नहीं होते, बल्कि उसके दोषों को छिपाने के लिये उसकी सिफारिशें करते हैं। समाज की यह हिम्मत नहीं पड़ती कि वह उसका बहिष्कार कर सके। दोषी आदमी के लिये थोड़े दिन तो उसे सजा दिलाने की आग रहती है लेकिन जहां थोड़े दिन बीते तो फिर उसके प्रति हमदर्दी होने लगती है। यह चीज फिर मेरी समझ में नहीं आती कि पुलिस में थोड़ा सा पेवन्द लगाने से पुलिस सुधर जायगी।

[श्री दीनदयाल शर्मा]

यह जो कहा जाता है कि पुलिस में नीचे के कर्मचारी खराब हैं, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि मेरा यह ख्याल है कि पुलिस ऊपर से खराब है, नीचे से खराब नहीं है। अगर एक भी आदर्श आदमी जो जिले के अन्दर जाकर बैठता है, उसके अन्दर अगर आदर्श, हिम्मत और काम करने की लगन है तो दूसरे पुलिस वाले भी उसके आदर्श से स्वयं ठीक हो सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि खाली नुक्ताचीनी करने से पुलिस में सुधार हो जाय, या एक-एक जिले की थोड़ी सी बातें बतलाने से सुधार हो जाय, ऐसा ख्याल गलत है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो पुलिस आफिसर्स हमारी गैलरी में बैठे हैं वे भी ईमानदारी से इस बात को मान लेंगे कि पुलिस के अन्दर करप्शन है, बल्कि वह जितना आप कहेंगे उससे भी ज्यादा मान लेंगे, लेकिन इससे क्या फायदा।

पुलिस मंत्री जी हर साल बजट के अवसर पर यह मान लेते हैं कि हां साहब यह खराबियां तो हैं, हर साल यह कह दिया जाता है कि यह बातें मान ली कि इतनी तो खराबी है ही तो क्या यह आशा की जाय कि इस तरह से सुधार हो जायगा ? उस दिन तो मैं हैरान रह गया जब कि शिक्षा मंत्री जी ने यह कह दिया कि कोई भी नकशा हमारे समाज के भविष्य का हमारे सामने नहीं है मगर हमारे पुलिस मंत्री और माननीय सदस्य कृष्ण चन्द्र शर्मा ने कहा कि नकशा हमारे सामने है वर्गविहीन समाज का और शोषित हीन समाज का तो इसी से फिर हम कैसे आशा न करें कि पुलिस सुधर जायगी और मुझे पुलिस के सुधरने के बारे में बड़ा सन्देह भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि अगर आप सुधार चाहते हैं तो अपने-अपने इलाके में इस बात का प्रयत्न करें कि समाज में जो भ्रष्टाचारी आदमी हो, दोषी प्रवृत्ति फैलाने वाला हो उसका वहिष्कार किया जाय। बगैर ऐसा किये यानी जब तक ऐसे लोगों का वहिष्कार न किया जायगा उस वक्त तक किसी भी सर्विस के जरिये से समाज का सुधार नहीं हो सकता। ऐसा मेरा पूरा विचार है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुज़फ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज का कोई भी व्यक्ति गरीब हो या अमीर, देहात का रहने वाला हो या शहर का इस पुलिस के मुहकमे से सीधा उसका संबंध है। और इसी कारण से पुलिस के मुहकमे का हमारे सामाजिक जीवन में बहुत महत्व है। हर आदमी यहां पर इसकी शिकायत करता है और मैं भी मानता हूं कि खामियां हैं और हमारे माननीय मंत्री जी भी इसको स्वीकार करते हैं कि शिकायतें हैं लेकिन केवल रातदिन शिकायतें कर देने से और उनको मंजूर करने से वह शिकायतें दूर नहीं हो जायगी ऐसा मेरा विचार है। मैं यह थोड़ा बहुत अनुभव कर रहा हूं और वास्तव में निश्चयात्मक रूप से कह सकता हूं कि इस महकमे में सुधार हुआ है। सन् १९४६ ई० के बाद और हिन्दुस्तान के बटवारे के पश्चात् जब देश आजाद हुआ उस समय जब शांति भंग हुई थी उस समय हमारे प्रदेश में पुलिस मुहकमे ने जिस सुन्दर ढंग से शांति को कायम किया था उसके ऊपर हमारे प्रांत का प्रत्येक व्यक्ति गौरवान्वित हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ खामियां ऐसी हैं जिनको दूर करना प्रत्येक माननीय सदस्य का, हमारे माननीय मंत्री जी का, और पुलिस के छोटे बड़े कर्मचारियों का प्रमुख कर्त्तव्य है और तभी हम पुलिस को आदर और इज्जत प्रदान कर सकते हैं।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इंगलैंड की पुलिस का जिकर किया। मैं समझता हूं कि वहां की पुलिस अच्छी है लेकिन उस पुलिस को भी बनाने में कुछ समय लगा होगा। इंग्लैण्ड हजारों वर्षों से स्वतंत्र देश रहा है। हमारे देश को अभी स्वतंत्रता हुये ५ साल हुये हैं और इन ५ सालों के अन्दर ही हमारे प्रदेश में हमारे भाई इंग्लैंड की पुलिस जैसा कार्य देखना चाहते हैं और पुलिस को जनता का सच्चा सेवक देखना चाहते हैं। मेरी सम्मति में वह ऐसा आसान कार्य नहीं है। मैं यह समझता हूं अंग्रेजी जमाने में पुलिस का जो कार्य था आज वह नहीं और

आज के परिवर्तित जमाने में जो पुलिस को बदलना चाहते हैं उसमें एक बड़े भारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार जमींदारी की कुप्रथा का विनाश करने के लिये आमूल परिवर्तन किया गया उसी प्रकार हमारी शिक्षा प्रणाली व पुलिस के मुहकमे में भी आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उस बड़े भारी परिवर्तन के पश्चात् हम पुलिस के मुहकमे को जनता की भावना के अनुसार बदलने की चेष्टा कर सकते हैं। हां इतना परिवर्तन अवश्य हुआ है कि जो जबरदस्ती रिश्वत पुलिस लेती थी उसमें अब वह ऐसा नहीं कर पाती है। अमीर आदमी की रिपोर्ट बगैर रिश्वत तो लिखी जा सकती है लेकिन एक गरीब आदमी की रिपोर्ट अव्वल तो लिखी नहीं जाती है और लिखी भी जाती है तो वह सिवाय किसी की सिफारिश के बिना या रिश्वत दिये बगैर नहीं लिखी जाती है। जब तक कोई सिफारिश करने या रिश्वत देने के लिये तैयार नहीं होता है तब तक वह नहीं लिखी जा सकती है। ऐसी कमियां हैं उनको दूर करना हम लोगों का सब का कर्त्तव्य है।

जहां तक क़त्ल और डकैती का किस्सा है वह भी अच्छी हालत में अभी नहीं आया है। हमारी पुलिस पहरे के लिये जिस गाँव में जाती है उसी गांव में चोरी और डकैती हो जाती है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। क़त्ल की जगह पर चोरी लिखी जाती है और बहुत दफा चोरी को लिखते ही नहीं। जिसके घर पर चोरी हुई हो और जिसने चोरी की हो पुलिस दोनों से मिल जाती है और दोनों से रिश्वत ले लेती है। अगर कोई सच्ची रिपोर्ट करने जाता है उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। मैं अपने यहां का आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं तुग़लक़पुर कसेड़े में एक आदमी के यहां चोरी हो गई कुछ शुगर की और धान की। उस आदमी ने पुलिस को रिपोर्ट की और वह आदमी और वह जगह भी बतला दी कि जहां पर उस का धान और शुगर के बोरे रखे हुये थे। पुलिस ने उन आदमियों को पकड़ लिया लेकिन बाद में उनसे रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पुलिस को रिपोर्ट की, मुद्दा भी बतला दिया और चोरी भी बतला दी लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ और दोनों आदमियों को फ़्री कर दिया। ऐसी खामियां है जिनके सुधार की आवश्यकता है। उस सुधार के लिये मैं आपके सामने कुछ प्वाइन्ट रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो यह है कि यह जो इनडाइरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वह नहीं हो ना चाहिये। एक सब-इन्स्पैक्टर एस० पी० हो जाय या और कोई नीचे के किसी पद से ऊंचे पद पर किया जाय। मैं इस पक्ष का हूं कि उसके लिये डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिये और इनडाइरेक्ट रिक्रूटमेंट कम से कम होना चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं कहूंगा कि मुखिया की अब कोई आवश्यकता नहीं है। न मालूम पुलिस का उस से क्या लगाव रहता है। जो नकशा हमारे सामने पहले से चला आता है उसी पर हम अब भी चिपकना चाहते हैं। हालत आज कल ऐसी है कि गांव का मुखिया ही पुलिस का एजेंट है जो गरीब बेबसों को पिटवाता है और उसी के जरिये से गांव के लोगों पर तमाम मुसीबतें आती हैं। वही उनको लेनदेन कराता है।

आज जब कि पंचायत राज कायम हो चुका है और गांव सभा के प्रधान जनता की ओर से चुने जा चुके हैं तो इसके बाद फिर मुखिया की क्या आवश्यकता रह जाती है? जितने झगड़े फ़िसाद देहात में होते हैं और पारटीबाजी वगैर सब इन्हीं मुखियों के जरिये से हुआ करती है और पुलिस ने इन लोगों की एक आड़ अपने लिये बना रखी है और वह उन्हीं की इमदाद से जायज और नाजायज काम किया करती है। पुलिस वाले इन्हीं के यहां आ कर ठहरा करते हैं जिससे गांव के लोगों पर एक डर गालिब रहता है।

इस के अलावा जो अनडिजायरेबिल परसन्स (अनिच्छित व्यक्ति) हैं और जो बुरे काम किया करते हैं और समाज को दूषित बनाते हैं उन को किसी प्रकार का प्रोत्साहन समाज में नहीं मिलना चाहिये। बड़े खेद की बात है कि जो आदमी चोरी करता है अथवा कराता है और जिस के यहां चोरी का माल रक्खा जाता है दुर्भाग्यवश ये पुलिस के आदमी उसी के यहां आ कर ठहरते हैं। इस से लोग घबरा जाते हैं कि उन्हीं आदमियों ने चोरी की, उन्हीं के यहां चोरों का अड्डा है और उन्हीं के यहां चोरी का सामान जमा है और उन्हीं के यहां पुलिस वाले ठहरते

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

हैं जो समाज का शोषण कर रहे हैं। इसलिये इस चीज की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मुझे एक सुझाव यह भी रखना है कि एक आदमी जब पुलिस में रिक्रूट होता है उस समय का स्टेटस देखना चाहिये, इसके बाद नौकरी के दौरान में देखना चाहिये और अन्त में पेंशन के समय भी उस का स्टेटस देखना चाहिये। क्या सामान जायदाद उस के पास शुरू में थे और क्या और कैसे मकान वगैरा उसके पास नौकरी के दौरान में और समाप्ति पर हैं। इससे पता चलता रहेगा कि कौन कर्मचारी किस तरह से काम कर रहा है।

इसके अलावा इस बात की भी आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध पब्लिक में प्रचार किया जाय। चाहे कोई भी व्यक्ति हो बड़े से बड़ा कोई पुलिस अफ़सर हो, पब्लिक वर्कर हो, समाज सेवक हो या पुलिस का कर्मचारी हो यदि उस में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है तो उस के विरुद्ध भारी प्रचार जनता में होना चाहिये ताकि भ्रष्टाचार फैलने से रोका जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मैं समझता हूं कि एक भ्रष्टाचारी हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—डिप्टी स्पीकर महोदय, एक घंटे का वक्त आज इस पुलिस के मसले पर बढ़ा दिया जाय, क्योंकि इस मसले पर बहुत से सज्जन बोलना चाहते हैं। यह हाउस की इच्छा है।

सदस्यगण—हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—श्रम के लिये जरूर काफी वक्त रखा जाय उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न की जाय, क्योंकि वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उस पर भी लोग बोलेंगे, इसलिये उस अनुदान पर उतना ही समय कल के लिये दिया जाय।

उपाध्यक्ष—कल के लिये काफी अनुदान है। कल समय मिलना मुश्किल है।

एक सदस्य—उपाध्यक्ष महोदय, श्रम भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसमें वक्त कम करना ठीक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष—मैं अपने को बड़ी मुश्किल में पा रहा हूं। समय मिलना बहुत कठिन है, इसलिये मुझे खेद है कि मैं इसके लिये और समय नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस पुलिस के अनुदान पर बोलने उठता हूं जो माननीय पुलिस मंत्री ने इस सदन के सामने रखा है तो उसकी खास खास असंगत बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता मालूम होती है। जब पुलिस मंत्री अपने सूबे की वस्तु-स्थिति का विश्लेषण करने लगते हैं तो हमारा उनसे मेल खाता है, लेकिन आगे जब वे उसकी व्यवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं तो मुझे बड़े अदब के साथ कहना पड़ता है कि उनसे हमारा मेल नहीं खाता। सरकार जिस रूप में समाज को परिवर्तित करना चाहती है उसी तरह की सरकार की पुलिस भी होनी चाहिये। मैं मंत्रिमंडल से ही जानना चाहूंगा कि वे किस तरह की व्यवस्था रखना चाहते हैं।

जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री सत्याग्रह के बारे में अपने मुखारविन्द से कुछ कहते हैं तो फरमाते हैं कि प्रजातंत्र में सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं है। माल मंत्री जी भी कहते हैं हैं कि प्रजातंत्र में सत्याग्रह को कोई स्थान ही नहीं है। जिस सरकार के जनतंत्र में सत्याग्रह को

कोई स्थान ही नहीं है तो उसके राज्य में अगर सत्याग्रह का नाम भी लिया जायेगा तो वह भी क्राइम (अपराध) हो जायगा। मुझे खुशी होती यदि पुलिस अनुदान पर बहस के समय माननीय मुख्य मंत्री जी, माल मंत्री जी और अन्य मंत्रिगण भी उपस्थित रहते, क्योंकि विचारों के आदान-प्रदान से वस्तु स्थिति समझने में आसानी होती है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री की और माननीय माल मंत्री की जो राय है उससे माननीय पुलिस मंत्री की राय कुछ मेल नहीं खाती क्योंकि मैंने उनकी पुस्तकों का अवलोकन किया है। उन्होंने उसमें कहा है, जो सरकार जिस प्रकार की शक्ति बल पर आश्रित रहती है उसको हटाने तथा उसकी गति विधि को सुधारने वाली शक्ति भी उसी प्रकार के साधन का प्रयोग कर सरकार का विरोध करती है। पुलिस मंत्री जी सत्याग्रह का स्थान जनतंत्र में मानते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि आगे से इस विषय पर वादविवाद पुनःइस सदन में न हो और गांधी जी का नाम लेकर वादविवाद तो हो ही नहीं कि गांधी जी क्या कहते थे। गांधी जी ने इस विषय में क्या कहा है वह एक प्रश्न के उत्तर में के रूप में है। वह इस प्रकार है—

"Q. What is the place of satyagraha in making the rich realise their duty towards the poor ?

A. The same as against the foreign power. Satyagraha is a law of universal application beginning with the family its use can be extended to every other circle."

[प्र०—धनिकों को निर्धनों के प्रति अपने कर्त्तव्य अनुभव कराने में सत्याग्रह का क्या स्थान है ?

उ०—वही जो विदेशी शक्ति के विरुद्ध था। सत्याग्रह एक विश्वव्यापी प्रयोग विधि है। उसका प्रयोग कुटुम्ब से आरम्भ होता है और प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित हो सकता है।

गांधी जी ने सत्याग्रह का स्थान घर से आरम्भ कर हर जीवन के क्षेत्र में माना है। फिर सरकार की ओर से कहा जाता है कि गांधी जी यह कहते हैं। चाहे मुख्य मत्री अपने को गांधी के सच्चे डिसाइपिल (शिष्य) ही क्यों न कहें लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि गांधी जी ने सत्याग्रह को शोषितों के लिये, जुल्म सहने वालों के लिये ठीक माना है। अब मैं यह देखना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी किस तरह का ढांचा चाहते हैं। पुलिस फोर्स का सेंट्रलाइजेशन (केन्द्रीयकरण) चाहते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन (विकेन्द्रीयकरण) चाहते हैं। अगर वास्तव में पुलिस मंत्री जी अपने विचारों के अनुसार चाहें कि सारी गवर्नमेंट की पालिसी बना लें, ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय पुलिस मंत्री जी से निहायत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जब वह विश्लेषण करते हैं तो उनको यह भी बतलाना चाहिये कि जब समाज का विश्लेषण ऐसा हो जिसमें विषमता, जिसमें शोषण, जिसमें दलन और दोहन हो तो उसको मानते हुये फिर आज के वर्त्तमान समय में किस तरीके से पुलिस की व्यवस्था में परिवर्त्तन करना चाहेंगे। क्या वर्त्तमान सरकार प्रोडक्शन (उत्पादन) के रिलेशन (सम्बन्ध) में परिवर्तन करना चाहती है ? जब तक उत्पादन के साधनों में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक उत्पादन के उपादानों में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक अच्छे तरीके से विषमता मिटाने की ओर हम नहीं बढ़ेंगे तब तक पुलिस का इन्तजाम तो सेंट्रलाइजेशन की ओर जायेगा। चाहे माननीय मंत्री जी जबानी कहें कि वह जनतंत्रवादी व्यवस्था चाहते हैं, वह जनतंत्रात्मक समाजवाद चाहते हैं लेकिन जनतंत्रात्मक सभाजवाद नहीं आ सकता है। चाहे माननीय मंत्री जी भले ही कहने के लिये कहें कि वह अपराधी को ठीक तरीके से सुधारेंगे और दंड देंगे लेकिन दंड नहीं दे पायेंगे।

सन् १९४२ में पंडित जवाहर लाल जी ने जेल से छूटने के बाद बलिया में कहा था कि जो करप्शन और ब्लैक मारकेटिंग करने वाले हैं उनको फांसी दी जानी चाहिये, लेकिन वे एक भी ब्लैक मारकेट करने वाले को फांसी नहीं दे पाये। चाहे हमारे खाद्य मंत्री जी इस बात की भले ही घोषणा करें कि वे व्यापारी जो होर्डिङ्ग (संग्रह) करके चीजों के दाम बढ़ायेंगे उनको वह उचित

[श्री राजनारायण]

दंड देंगे लेकिन वे उनको दंड नहीं दे पायेंगे। यह तो कल्पना की बात है। यह शब्दजाल और वाक्यजाल है। इस बात को यदि मैं मान लूं कि डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट बनी है तो भी डेमोक्रेटिक तरीके से बनाये जाने पर भी यह बिलकुल डिक्टेटोरिअल ढंग में गवर्नमेंट रन कर रही है। क्या माननीय पुलिस मंत्री जी बतायेंगे कि वह डिसेंट्रलाइजेशन करने जा रहे हैं?

फोर पिलर्स आफ दी स्टेट (राज्य के चार स्तम्भ) की बात जो हमने कही तो पुलिस के आज के ढांचे में हमें परिवर्तन करना होगा और उस तरफ आगे बढ़ने के लिये हमें पुलिस के कुछ अधिकारों को गांव पंचायतों और जिला पंचायतों को देना पड़ेगा। वर्त्तमान ऐडमिनिस्ट्रेशन तो बिलकुल ही करप्ट (भ्रष्ट) है। एक दो उदाहरण देकर मैं आपको बतलाना चाहता हूंकि इस समय गवर्नमेंट और पार्टी इन पावर दोनों एक में मिलने जा रही है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं और मैं जानता हूं कि बनारस जिले के एक एस० पी० का केस मेरे सामने है। खासकर जहां जहां मिनिस्टरिअल रैंक के कांग्रेसी लोग रहते हैं वहां के आफिसर तो किसी मामले में बिना उनकी राय के कोई फैसला दे ही नहीं सकते हैं। उनकी राय के विपरीत कभी भी वे फैसला नहीं दे सकते हैं। ऐसे ऐसे केसेज मुझे मालूम हैं कि एस० एस० पी० कांग्रेसी लीडर के पास गये हैं और उन्होंने उनकी राय लेकर फैसला दिया है। गाजीपुर के जमनिया के दारोगा चन्द्रभूषण पांडेय के खिलाफ रिपोर्ट थी मगर आई० जी० के यहां से लेटर पत्र आता है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती, उनको बहाल किया जाता है।

इसी तरह से देवरिया का मामला प्रज्वलन्त है जिसके बारे में माननीय सदस्य गेंदा सिंह ने कल ही रिपोर्ट भेजी कि एक बच्चे की कब्र से लाश निकाल कर उसकी हड्डी तोड़ी जाती है और फिर एक किसी दूसरे आदमी को कत्ल के मामले में फंसाया जाता है। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है। बनारस के सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी श्री परमहंस मिश्र थाने से १०० गज की दूरी पर मारे जाते हैं, लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से अलीगढ़ का मामला भी है। माननीय मंत्री जी से मैंने भी कहा था। सिकन्दराराऊ में १२ तारीख को म्युनिसिपैलिटी में अविश्वास का प्रस्ताव वहां के चेयरमैन के खिलाफ पेश करने के लिये मीटिंग होती है और ११ तारीख को एक साहब के ऊपर दफा ११७ का मुकदमा चला कर परेशान किया जाता है। तो इसमें दूसरी बात क्या हो सकती है सिवा इसके कि स्वतंत्र मतदान न होने पाये। इटावा के बारे में सम्मानित सदस्य श्री गजेन्द्र सिंह ने भी बतलाया कि ६० बीघे जमीन के लिये मलाहाजनी के राजा ने एक विधवा का कत्ल करवाया है। एक क़त्ल होता है और जब जनता की ओर से मीटिंग होती है तो मीटिंग करने वालों पर मुकदमा चलवाया जाता है, मुकदमा चलता किस पर है सर्व श्री गजेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह मदौरिया और सहदेव सिंह आदि सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं पर। इसी तरह से सुल्तानपुर का भी किस्सा है।

श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं अपने ख्यालात का इजहार बजट के ऊपर करूं, अभी विरोधी दल के नेता ने जो अलीगढ़ के सम्बन्ध में चर्चा की है और कल भी विरोधी दल की ओर से चर्चा हुई थी, इस लिये मेरा फर्ज है कि एक मिनट में उसके बारे में भी प्रकाश डाल दूं। अभी सिकन्दरा राऊ के चेयरमैन पर अविश्वास के प्रस्ताव की बात कही गयी। यह ठीक है कि वहां पार्टीबन्दी है और अविश्वास चल रहा है। लेकिन पुलिस की तरफ से यह बात नहीं हुई है कि उन्होंने इसलिये गिरफ्तार किया कि अविश्वास प्रस्ताव में लोग सहयोग न दे सकें। ऐसी बात नहीं हुई। वहां पर आपस में घर-घर में छुरे बाजी हुई, चाकू चले और उस पर १०७/११७ की कार्यवाही हुई। पुलिस की गिरफ्तारियों का इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है।

एक सदस्य---मीटिंग के पहले पकड़ने की क्या जरूरत थी?

श्री नेत्रपाल सिंह---मैं आपसे अर्ज करूं एस० पी० श्री एम० एस० त्यागी साहब के बारे में जो आपसे कल कहा गया वह बिलकुल गलत बात है। हमारे जिले में उन का बड़ा कार्य सराहनीय रहा। औरतों का एक अड्डा था जिस का उन्होंने सात दिन के अन्दर पता लगा लिया और एक बदमाश आदमी, जो इस अड्डे को चलाता था उसको पकड़वाया। अगर किसी एम० एल० ए० या एम० एल० सी० या किसी अन्य आदमी ने उनकी तरफ से गवाही दी, कहीं भी, तो उसने कोई गुनाह नहीं किया क्योंकि सही बात का कहना हर आदमी का फ़र्ज है।

अब मैं बजट के सिलसिले में सबसे पहले अपने मंत्री महोदय पुलिस विभाग को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता। वह हमारे देश के उन रत्नों में से हैं जिन्होंने देश के लिये सब कुछ त्याग किया है और आज भी मुझे आशा है कि पुलिस के इस रवैये को, जिसको हर शख्स मानता है, और पुलिस ही क्या हर एक मुहकमे के लिये कहा जा सकता है, मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे सारे देश की मैजारिटी चरित्रहीन हो गयी है। इसलिये कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो वह करप्शन एकदम दूर नहीं कर सकती। वह तो सोशलिस्ट पार्टी ही है, जिसके पास जादू की लकड़ी हो सकती है, वह एक दम से सुधार कर सकती है। लेकिन कोई भी सच्चा आदमी इतनी जल्दी सुधार नहीं कर सकता। इतना कह कर मैं दो एक सुझाव माननीय मंत्री महोदय के सामने पेश करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे। मेरी बातें सही होंगी तो उन्हें कृपा करके कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश करें। पुलिस का अनुशासन दुरुस्त होना चाहिये। कोई भी राष्ट्र जब तक उस का चरित्र ठीक नहीं होगा तब तक उसका कार्य चल नहीं सकता। दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि थाने में जो रिपोर्ट लिखी जाती है, उस पर ताकीद की जाय। जो दीवान लोग हैं वह रिपोर्ट सही सही नहीं लिखते। वह रिपोर्ट ऐसी लिखते हैं जिससे पुलिस केस न बने। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि उनको हिदायतें भेजें कि वह सही रिपोर्ट दर्ज किया करें।

पुलिस में शहरों के थानों पर कांस्टेबिल ज्यादा रखे जाते हैं, जहां पर काम ज्यादा नहीं होता और देहातों में जहां इतने जरायम बढ़ रहे हैं वहां पर थानों में कांस्टेबिल कम रखे जाते हैं। इसलिये देहात के थानों पर ज्यादा कांस्टेबिल रखे जायं। इसके अलावा अगर कांस्टेबिलों को तीन रुपया साइकिल अलाउन्स दे दिया जाय तो उससे सर्विस जल्दी होगी, सेवा जल्दी हो सकेगी।

तीसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि पुलिस के थानों पर जब तक कार या जीप का इंतजाम नहीं होगा तब तक वह एकदम जाकर जहां भी कोई फौजदारी, हो डकैती हो, कत्ल हो फौरन तहकीकात कैसे कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि यह बिलकुल नामुमकिन है। तो वहां कार या जीप का इंतजाम हो जाय तो बहुत अच्छा होगा।

जहां तक यह कहा गया कि ऊपर के अधिकारियों की तनख्वाह कम कर दी जाय, यह तो नामुनासिब होगा। लेकिन साथ ही जो छोटे कर्मचारी ह, जैसे कांस्टेबिल और हेडकांस्टेबिल उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिये।

मुझे आप से यह भी अर्ज करनी है कि यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर जो पुलिस के सब-इंस्पेक्टर या दूसरे अधिकारी रहते हैं उनको मंहगाई का भत्ता ५० रुपया मिलता है, जब कि उत्तर प्रदेश वालों के लिये २० रुपया है। इसलिये उनका भी बढ़ाया जाय और हो सके तो सभी का बढ़ाया जाय।

गृह मंत्री (डाक्टर संपूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, बाहर के देशों में क्या बात हो रही है उस पर विचार करने से प्रत्यक्ष रूप से तो अपना कोई खास फायदा नहीं होता, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मदद जरूर मिलती है और वह यह कि अपने प्रश्नों के समझने में, अपनी परिस्थिति के समझने में हमको जरूर सहायता मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा ने जिन बातों की ओर सदन का ध्यना आकृष्ट किया, मैं आशा करता हूं कि लोगों ने उनकी तरफ़ ख़याल किया होगा । सच बात यह है कि आज क्राइम (अपराध) एक इंटरनैशनल प्राब्लम हो गई है और एक वर्ल्ड प्राब्लम (अन्तरर्राष्ट्रीय समस्या) हो गई है । दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन सब के सामने एक बड़ी भारी समस्या इस बात की हो गयी है अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को किस प्रकार से रोका जाय ? जब इस प्रश्न पर विचार करना होता है तो कुछ छिछले कारणों के सोचने से काम नहीं चलता है । उदाहरण के लिये एक मित्र ने कहा कि १९४२ के आन्दोलन में श्री जयप्रकाश नारायण ने कोई रास्ता हिंसा का अख्तियार किया जिससे हमारी क्राइम की प्रवृत्ति बढ़ गयी। यह ग़लत ख़याल है । सन् १९४२ में चाहे जिसने जो कुछ किया हो उसको हिंसा कहना भी उचित नहीं है । दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी उन्होंने उस वक्त किया वह तो सारे का सारा कांग्रेस के नाम से हुआ था और हममें से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हृदय से कहता हो कि उसकी सहानुभूति उस कार्य से नहीं थी । मैं तो समझता हूं कि हम में से हर आदमी यही कहेगा कि उसकी सहानुभूति थी । मैं तो, कम से कम, उन आदमियों में से ज़रूर हूं जिनकी सहानुभूति थी चाहे उनको कुछ करने का अवसर मिला हो या न मिला हो । लेकिन यह कहना कि उन कामों का असर ऐसा हुआ कि क्राइम बढ़ गये हैं और अपराध बढ़ गये हैं यह ख़याल ही ग़लत है।

रूस ने एक बहुत बड़ी हिंसा के द्वारा अपने यहां एक नई शासन व्यवस्था कायम की तो क्या इसके मानी यह हैं कि उसके बाद भी वहां बलवे होते रहे ? यूनाइटेड स्टेट्स में वहां के लोगों ने अंग्रेजों को तलवार के जोर से निकाला, तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां अपराध बढ़ने लगे ? विदेशी शासन को निकालने के लिये जिन साधनों से काम लिया जाता हो, उसके बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का विषय ख़त्म हो जाता है । अपराधों के बढ़ने का कारण गम्भीर है यह कह देने से कि हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण या ट्रांजीशनल पीरियड (संक्रमण काल) होने के कारण अपराध बढ़ रहे हैं उससे काम नहीं चलता । इस वक्त तो सारी दुनिया चल रही है । जो दुनिया का पुराना सामाजिक, आर्थिक, मारल ढांचा था, जो मारेल सैक्शंस थे वे खत्म हो गये । जाने किन-किन कामों को आदमी नहीं किया करते थे कि परलोक बिगड़ जायगा, यह इम्मारल (अनैतिक) है, जाति विरादरी और तरह-तरह के बंधन थे। अब न वह समाज का बंधन है, न रिलीजस (आर्थिक) या मारल बंधन है इसी उथल पुथल के कारण जो समाज में हो रही है अपराध बढ़ रहे है।

मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पुलिस के कामों की प्रशंसा की, जैसे रामकुमार जी शास्त्री, श्री दुव्लिश और प्रतापगढ़ के एक माननीय सदस्य । अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करना दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करने में बड़ी भारी मदद देता है और मैं उन मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस विभाग में ऐसे लोग हैं जो मौका आने पर इसी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करने के लिये तत्पर हैं और रहेंगे ।

यह देख कर मुझे खुशी हुई कि कई मित्रों ने राय दी कि पुलिस के लोगों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये । इस प्रस्ताव के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है । जिस तरह का कठिन काम पुलिस वालों को करना पड़ता है उसको देखते हुये उनकी तनख्वाह जरूर कम है । तनख्वाह बढ़ाने से दो बातें होती हैं एक तो यह कि उसे यह ख़याल होता है कि अब जो मेरी आमदनी हो रही है अगर किसी वजह से मैं अलग किया गया तो वह आमदनी नहीं होती है । यह स्वयं आदमी को ग़लत रास्ते पर जाने से रोकता है । दूसरी बात यह कि अगर एक अच्छी तनख्वाह काम के अनुरूप मिलती है तो तनख्वाह पाने वाला आदमी बहुत सी चिन्ताओं से मुक्त हो जाने के कारण दत्तचित हो कर काम कर सकता है। इस बात के साथ मुझे सहानुभूति है लेकिन एक बड़ी भारी कठिनाई है और वह यह है कि उनकी संख्या ५५, ५६ हजार है । रुपया आठ आना बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है । अगर

पांच रुपये भी बढ़ाये जांय तो इसके मानी यह हैं कि साल में कम से कम ३० लाख रुपये का खर्चा बढ़ जायगा और यह ३० लाख रुपया कहां से लाये जायं । यह बड़ा भारी प्रश्न है जो हमको रोकता है । इसके अलावा केवल तीस लाख का सवाल नहीं होगा और भी होगा । मैं उस दिन यहां पर नहीं था जब शिक्षा की मांग पर विचार हो रहा था परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिये । मैं इससे सहमत हूं और यह भी हूं कि मानता यह तो नहीं चल सकता है कि एक की तनख्वाह बढ़ाई जाय और एक की न बढ़ाई जाय तो उसी योग्यता के आदमी अगर दूसरे विभाग में काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाय जिस योग्यता के आदमी पुलिस में हैं उनकी अगर तनख्वाह बढ़ाई जाय। इसलिये इसका परिणाम यह होगा कि वह तीस लाख रुपया करोड़ों में पहुंच जायगा । यह मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के साथ मेरी सहानुभूति है । जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव दिया है मैं उनका कृतज्ञ हूं क्योंकि इससे हमारी पुलिस के आदमियों का उत्साह बढ़ता है । वे इस बात को देखते हैं कि जो हमारी दिक्कतें हैं उनको सदन के सदस्य समझ रहे हैं और मौका आने पर वे हमारे वेतन को बढ़ाने के लिये जरूर तैयार होंगे ।

इसी सिलसिले में चौकीदारों का जिक्र कर देना चाहता हूं । चौकीदारों की बाबत कहा गया कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है, पांच रुपया बहुत ही कम है । यह सही है कि उनको वर्दी मुफ्त मिलती है, यह भी सही है कि उनको अपने गांवों में रहकर खेती बाड़ी करने का अधिकार है, फिर भी उनको काम करना पड़ता है । अगर उनको काम न करना पड़ता तो उनको कुछ भी देना व्यर्थ था, लेकिन जब उनसे काफी काम लिया जाता है तो उनको पांच रुपया देना उचित नहीं है । लेकिन हमारे सामने यह कठिनाई है कि कि हमारे प्रान्त में चौकीदारों की संख्या ५,०८५० हैं । आठ आने या एक रुपया बढ़ाने में तो कोई विशेष लाभ है नहीं । लेकिन अगर चार रुपये भी बढ़ाये जायं तो छः लाख से ऊपर खर्च बढ़ जाता है और यही एक ऐसी चीज है जो इस वक्त हमको रोके हुए है । अगर थोड़ी सी आर्थिक व्यवस्था संभल जाय, हमको थोड़ा सा मौका मिल जाय, तो मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा काम है जिसकी तरफ कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको ध्यान देना चाहिए ।

हमसे अभी श्री राज नारायण जी ने पूछा कि आप किस प्रकार की पुलिस चाहते हैं । जो बड़े बड़े आर्थिक प्रश्न हैं उनके ऊपर विचार करने का समय चाहे न हो लेकिन हम ऐसी पुलिस जरूर चाहते हैं जो कि ईमानदार हो, ऐसी पुलिस हम जरूर चाहते हैं जो एफिशेंट (दक्ष) हो । यहां पर कल एक बात एक सज्जन ने कही थी, अगर मुझे ठीक स्मरण है तो शायद श्री सत्य-सिंह राणा ने कही थी कि पुलिस कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके काम करें । शायद श्री राज नारायण जी ने इस तरफ आज इशारा किया । मैं यह नहीं जानता कि किसी विशेष स्थान में पुलिस क्या करती है लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि पुलिस का किसी खास पार्टी के साथ संबंध हो । पुलिस के लोग सरकारी नौकर हैं । आज एक गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट हो सकती है, आज एक मिनिस्टर है कल दूसरा मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन पुलिस को राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल न्यूटरल (निष्पक्ष) रहना चाहिये और उसका यह कर्तव्य है कि चाहे कोई गवर्नमेंट हो वह बिना पक्षपात के उसकी आज्ञा का पालन करे और जहां तक मेरी शक्ति चलेगी मैं पुलिस को इसी दिशा पर लाने का प्रयत्न करूंगा और यही हमारी इच्छा है ।

और बातों का जिक्र करते हुये लंदन की पुलिस का आदर्श कुंवर सुरेश प्रकाश सिंह जी ने हमारे सामने रखा । वह आदर्श हमारे सामने है, लेकिन इतना ख़याल रखना चाहिये कि लंदन की पुलिस को विकसित होने का और ठीक ढंग पर आने का बहुत काफी लम्बा अवसर मिला है । हमारा तो तीन चार वर्ष का राज्य है । फिर भी मैं समझता हूं कि हम इस दिशा में काफी प्रगति कर रहे हैं और अगर सब लोगों की सहायता रही तो हम बहुत जल्द ही उस दशा के बहुत ही निकट पहुंच सकते हैं ।

एक और बात का कुंवर सुरेश प्रकाश जी ने जिक्र किया कि लोग पुलिस की मदद करते डरते हैं, घबराते हैं । इस संबंध में मैं एक बात कह देना चाहता हूं । हमारा देश बड़ा दयालु देश

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

है और हमारे देश के लोग भी बड़े दयालु हैं। अगर किसी आदमी का खून हो गया तो सब को दया आती है कि बहुत बुरा काम हुआ । लेकिन जहां थोड़े दिन बीते वहां जो अपराधी होता है उसके प्रति लोगों को दया आने लगती है और हर तरह से कोशिश होती है, गवाहों को बदलने की और अगर हम खुद कुछ जानते हैं उस मामले के बारे में, तो गवाहों में शरीक़ न होने की कोशिश करते हैं। उस समय लोगों का ख़याल यह होता है कि एक आदमी तो मर गया अब दूसरे की जान क्यों जाय ? तो जहां पुलिस के ऊपर हमें कड़ाई के साथ देख रेख करनी है वहां हमें लोगों में इस बात की भी प्रवृत्ति पैदा करनी है कि पुलिस को जो काम करना है उस कार्य में उचित सहायता मिलती रहे । नहीं तो परिणाम यह होता है कि जो पुलिस के अच्छे लोग हैं उनके काम में बाधा पड़ती है और जो पुलिस के बुरे लोग हैं वे इस प्रवृत्ति का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि जब लोग ही मामले को चलने देना नहीं चाहते तो किसी तरह से हम चार पैसे कमा लें ।

एक बात की तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करूंगा । वे इस बात को देखें कि यह बिलकुल सही है कि पुलिस के काम में बड़ी देख रेख होनी चाहिये । लेकिन जो हमारी कठिनाई है वह यह है, जैसा कि अंग्रेजी में कहा गया है कि [हमें, नये सिरे से आरम्भ करना है] "वी हैव टु बिगिन फ्राम स्क्रैच" । सन् १९४७ में जब देश का बटवारा हुआ तो अंग्रेज आफ़िसर्स जितने थे वे भी चले गये, मुसलमान भी चले गये । तो इसका परिणाम यह हुआ कि आज जो हमारे पुलिस के सुपरिंटेंडेंट हैं, जिनकी बाबत बहुत से माननीय सदस्यों ने भी कहा, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनको चार पांच वर्ष का तजुर्बा है । दूसरे आफ़िसर्स हम लाते कहां से ? जो हैं वे ऐसे हैं जिनको पुराने ज़माने की पुलिस के हिसाब से "लड़का" कहा जायगा। फिर भी उन्होंने ज़िम्मेदारी को संभाला । यह सही बात है कि उनके नीचे जो पुलिस के आदमी हैं जो कि १५-१५,२०-२० वर्ष से काम कर रहे हैं और जितने पुलिस के हथकंड़े होते हैं अच्छे या बुरे वे उनको पूरी तरह से ज्ञात हैं। इन नये अफ़सरों को उन हथकंडों को सीखने में कुछ समय लगता है । फिर भी इस बात को हमको तारीफ़ करनी चाहिये कि उन्होंने बहुत काफ़ी हद तक काम को सीखा है और हम आशा करते हैं कि अगर थोड़ा सा मौक़ा उन्हें और दिया जाय तो वे जल्द ही काम को सीख लेंगे । इन बातों के कहने से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि पुलिस की ग़लतियां नहीं हैं। मैं कल भी शिकायत कर चुका हूं और आज भी कहता हूं इसी देश में मैं भी रहता हूं और जानता हूं कि ग़लतियां होती हैं, बहुत सी रिपोर्टें लिखी नहीं जाती हैं या लिखी जाती हैं तो ग़लत लिखी जाती हैं। यह मैं नहीं कहता कि उनसे ऐसी बातें नहीं होती हैं और बहुत से माननीय सदस्य इन बातों की बाबत कह चुके हैं लेकिन इन बातों पर क़ाबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है । अगर हमारी नोटिस में कोई बात आये तो हम अवश्य दंड देने को तैयार हैं । इस बात को पुलिस के ऊँचे से ऊँचे अधिकारी हैं वे भी जानते हैं और समझते हैं कि यह पुलिस विभाग के ऊपर बड़ा भारी लांछन है । वे भी इन बातों को दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं। इस संबंध में आप भी कोशिश करें और वे भी कोशिश करें तो बहुत हद तक यह चीज दूर हो सकती है ।

यहां पर कई सुझाव दिये गये । उनमें से दो एक की बाबत मैं कहूंगा और वे कुछ सोच लें कि जरा आसानी से उन पर अमल करना संभव नहीं है, मसलन एक बात यह कही गयी कि पुलिस की बाबत अगर शिकायत होती है तो उसकी जांच खुद पुलिस के जरिये से करायी जाती है । ऐसा न हो कर गुप्त पुलिस के जरिये से उसकी जांच करायी जानी चाहिये। एक बात आप समझें। आपने अपने घर पर एक नौकर रखा । अब अगर आप यह तय कर लें कि यह नौकर चोर है, झूठा है तो उस नौकर से आप काम नहीं ले सकते हैं। तो जिस पुलिस से हमें इतनी ज़िम्मेदारी से काम लेना है उस पुलिस की बाबत हम यह कह दें कि यह विश्वास के योग्य नहीं है और उनके विभाग की बाबत कोई शिकायतें आयें तो दूसरों के सुपुर्द करें तो आप पुलिस से कोई काम नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सी० आई० डी० के आदमी भी मनुष्य ही होते हैं। जो सादी पुलिस के आदमी आपके सामने आते हैं वैसे गुप्त

पुलिस के लोग नहीं आयेंगे क्योंकि गुप्त पुलिस के माने ही यह हैं कि उसके काम गुप्त रहें। इसके साथ ही साथ हमको देखना होगा कि ऐसा करने से कहीं हम अपनी सी० आई० डी० को उस जगह तो नहीं पहुंचा रहे हैं जहां पर जर्मनी या रूस की सी० आई० डी० पहुंच गयी है। तो हमारा यह उद्देश्य तो नहीं है कि हमारी सी० आई० डी० उस स्थान पर पहुंच जाय। वैसे जो बहुत टेढ़े केसेज होते हैं वे तो सी० आई० डी० के सुपुर्द किये ही जाते हैं, लेकिन हर मामले में पुलिस को हटा कर सी० आई० डी० के सुपुर्द वह काम कर दिया जाय तो यह कोई बहुत उचित बात नहीं होगी।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। बहुत से व्यक्तिगत केसेज का जिक्र किया गया कि फ़लां थानेदार ने यह किया और फलां ने वह किया। ऐसी बातों का अमूनन पार्लियामेंट्स में जिक्र होता नहीं है। इसका एक कारण यह है कि थानेदार यहां मौजूद नहीं होता जो उसके जवाब में कुछ कह सके। यह कहा जा सकता है कि उस थानेदार की तरफ से बोलने के लिये मिनिस्टर मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन (प्रश्न) हो तो हमें समय मिलता है सामान जुटाने का, लेकिन अगर आप अभी किसी थानेदार का जिक्र करें तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? तो इसके लिये ऐसी बातों का तो जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। जो आज यहां कहा गया उसको सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि जो रिपोर्ट मुझे अधिकारियों से मिलती है उसमें वे बातें नहीं जो यहां पर और लोगों ने कही हैं और श्री नेकराम शर्मा ने कहीं। मैं आशा करता हूं कि जिन-जिन सदस्यों को जानकारी हो वह मुझे लिखकर दे दें कि उनकी क्या इत्तिला है। पूरी जानकारी मिल जाने पर मैं देखूंगा। अगर सचमुच अधिकारियों ने ग़लत रिपोर्ट दी है तो मैं देखूंगा। इस समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं, कि जो सुझाव हमें दिये गये हैं उन पर हम ग़ौर करेंगे, उनको कार्यान्वित करेंगे।

एक सुझाव का मैं यहां पर जिक्र करूंगा जो श्री मदन मोहन जी उपाध्याय ने पेश किया था। उनका कहना यह था कि एक आदर्श जिला बनाना चाहिये। वहां से पुलिस को हटा दिया जाय और वहां के बड़े-बड़े आदमियों पर और एम० एल० एज़० के ऊपर उस जिले का प्रबंध छोड़ दिया जाय। यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है और मैं उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। लेकिन यह कार्य पहले हमारी तरफ़ से नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हम किसी जिले से पुलिस को हटा लेते हैं तो उस जिले के लोग हमसे कहेंगे कि आप पुलिस क्यों हटाते हैं। आप हमसे टैक्स लेते हैं और रेवेन्यू सरकार लेती है। इसलिये आप हमारा इंतजाम कीजिये। इसलिये मैं कहूंगा कि जिस जिले को चाहें वह ले लें और उस जिले के लोगों से वह बात चीत करें और एम० एल० एज़० से भी मिल लें और जनता से भी बात चीत कर लें और अगर लोग तैयार हों तो ऐसा अवश्य हो सकता है। यह प्रस्ताव कई दृष्टि से अच्छा है। नैतिक दृष्टि से भी अच्छा है। इस पर मैं इतना ही कहता हूं और आशा करता हूं कि हमारे मित्र ने जो कट मोशन पेश किया है उसको वह वापिस लेंगे और वोट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (ज़िला फ़ैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आज माननीय गृह मंत्री जी के सामने उन मामलों की रिपोर्ट पेश करना चाहता था जिनमें हमारे प्रदेश के लोगों की बहिन-बेटियों की बड़े-बड़े जिम्मेदार पुलिस के अफसरों ने इज्जत लूटी है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन अभी-अभी माननीय गृह मंत्री ने यह कहा कि पार्लियामेंट में ऐसे मामले पेश नहीं किये जाने चाहिये। इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि उनको पेश न किया जाय।

एक बुनियादी बात कल माननीय गृह मंत्री ने कही और श्री परिपूर्णानन्द जी ने भी कही कि हमारा समाज ऐसा है जिसमें अपराध करना सोशल क्राइम है। हम मानने के लिये तैयार हैं। लेकिन हमारे यहां बहुत से अपराध तो आर्थिक दशा के कारण भी होते हैं।

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

यहां पर रूस और चीन की बात कही जाती है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसको माननीय परिपूर्णानन्द जी भी जानते हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी जानते हैं कि हमारे यहां ज्यादातर क्राइम किस तरह के होते हैं। जो क्राइम यहां होते हैं और वहां होते हैं उनमें बहुत भेद है । हमारे यहां केवल दस रुपये की चोरी पर ३७९ में सजा दी जाती है और वहां पर लाखों और करोड़ों की चोरी द्वारा बड़े-बड़े धनियों को ही नुक्सान पहुंचाया जाता है । हमारे यहां की व्यवस्था आज भी गड़बड़ है । एक मामूली आदमी जो विवश है और ग़रीब है अगर वह कोई अपराध करता है तो उसके लिये तो तमाम कानून मौजूद हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े सेठ हैं वे आज कानपुर में बैठ कर मजदूरों की गाढ़ी कमाई को लूटते हैं । उनको रोकने के लिये सरकार के पास कोई कानून नहीं है । इसलिये इसकी जिम्मेदारी केवल समाज पर नहीं बल्कि हमारी सरकार पर और मंत्रिमंडल पर है ।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ाई जाय तो इसके लिये गृह मंत्री जी ने कहा कि रकम कहां से आयगी । इसके लिये मैं कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि जिस वक्त हमारी कांग्रेस हुकूमत ने देश में राज्य करना शुरू किया उस समय प्रदेश में धन के कितने श्रोत थे । बड़े-बड़े पूंजीपतियों की बड़ी-बड़ी आमदनियों की तरफ़ उनको दृष्टि नहीं गयी । इस तरह पूंजीपतियों की पूंजी की ही रक्षा की गई, उनके कल और कारखानों की ही रक्षा की गई । आज हमारे यहां केवल दो वर्गों के लोग हैं । एक तो वह हैं जो ग़रीबों की कमाई पर ऐश उड़ाने वाले हैं और उनकी दशा को सुधारने के लिये प्रयत्नशील नहीं हैं । दूसरा वर्ग हमारे समाज में गरीब और मजदूर लोगों का है । आज की कांग्रेसी सरकार ने कैपीटेलिस्टस (पूंजीपतियों) की जानबूझ कर रक्षा की है और दोनों वर्गों को कायम रक्खा गया है ।

कल हमारे यहां गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश में अपराधों में कमी हो रही है । मैं तो यह समझता था कि गृह मंत्री जी स्वयं स्वीकार करेंगे कि अपराधों में कमी नहीं हो रही है । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल में एक सरक्यूलर भेजा है कि जो अपराधों को छिपाना चाहेंगे उनके खिलाफ़ सख्त कार्यवाही होगी।

मैं आपके सामने पुलिस विभाग की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं जिनमें लूट, हत्या और चोरी वगैरह के मामले के आंकड़े दिये हुये हैं। माननीय मंत्री जी इनको स्वयं देख लेंगे, यें रिपोर्टें पुलिस विभाग की सन् १९५० तथा १९५१ की हैं। इन आंकड़ों से पता चलेगा कि इन रिपोर्टों में एक ही वर्ष के संबंधित अपराधों की संख्या में महान् अन्तर है । जो कि स्वयं साबित करती है कि विभाग के आंकड़े ठीक नहीं हैं। दूसरी रिपोर्ट हाई कोर्ट की है । इसमें कहा गया है क्रिमिनल केसेज़ १९४९ में १,०४,३२५ दायर हुये और १९५० में १,१२,४३० हो गये। इसी तरह से १९५० में २,९४,७२७ केसेज़ इंडियन पेनल कोर्ड की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दायर किये गये और पुलिस का इंवेस्टिगेशन (जांच) इतना सुन्दर रहा जिस पर हमारे पुलिस मंत्री को गर्व है कि उन केसेज़ में से १,६९,६१४ केसेज़ छट गये और केवल ४८,९२० केसेज़ में सजा हुई ।

सुझाव के बारे में मुझे यह कहना है कि मंत्री महोदय को एक डिवीजन लेकर उसे माडल डिवीजन पुलिस विभाग के सुधार के लिये बना कर चलाना चाहिये । दूसरे मुल्कों में पुलिस पर कम खर्चा होता है । इंग्लैण्ड में हालांकि बजट की रक़म भारी होती है, लेकिन वहां अन्य मदों की तुलना में पुलिस पर कम खर्च होता है । लोकल कमेटीज़ जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया इन सब की कमेटीज़ के सुपुर्द पुलिस का काम होता है । यहां पर प्रत्येक जिले में एक एंटी-करप्शन कमेटी [भ्रष्टाचार विरोधी समिति] भी बना दी गयी है लेकिन उसकी मीटिंग ही नहीं होती । माननीय मंत्री जी तहकीकात करें कि इस कमेटी

को डिस्ट्रिक्ट्स में साल भर में कितने दफ़े डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बुलाया और उनसे कहां तक सहयोग लिया गया । मुझे ताज्जुब हुआ जब कि मुझे एक माह पहले एंटी-करप्शन की एक कमेटी में बुलाया गया जो तीन साल बाद बुलाई गई थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मजाक कि भी किया, क्या फैजाबाद में करप्शन शुरू हो गया है जो मीटिंग बुलाई गई, तो उन्होंने कहा मैं क्या बतलाऊं मैं तो अभी आया हूं ।

दूसरी चीज यह है कि हमारे यहां आमतौर पर पुलिस और विद्यार्थियों के झगड़े हुआ करते हैं । जैसा कि परिपूर्णानन्द जी ने बतलाया, हरएक देश में ट्रेफिक रूल्स और सिटीजनशिप (नागरिकता) राइट्स की ट्रेनिंग विद्यार्थियों को दी जाती है, लेकिन हमारे यहां करीक्युलम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । मेरा सुझाव यह है कि पुलिस के मुताल्लिक एक आपशनल सब्जेक्ट हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की क्लासेज में कर दिया जाय और उन्हीं को पुलिस में भर्ती किया जाय जिन्होंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा हो और जो ईमानदार और नेकनियत हों।

उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६–लेखा शीर्षक २९–पुलिस के अन्तर्गत ७,११,४१,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९–लेखा-शीर्षक ४७–श्रम और संख्या (विविध विभाग)

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—श्रम और संख्या लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग के अन्तर्गत २३,३२,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं ऐसा समझता हूं कि श्रम विभाग की ओर से जो रिपोर्ट वितरित हुई है उसका यहां दोहराना और इस प्रकार सदन का समय लेना इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता । मैं इतना ही कह सकता हूं कि श्रम विभाग तो दावा तो नहीं करता कि उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं उनकी सारी कठिनाइयों के दूर करने में वह सफल हुआ है परन्तु इतना कहने का अधिकार तो वह रखता है कि उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग बराबर श्रमिकों का स्तर ऊंचा करने श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करने में प्रयत्नशील रहा है और इस काम में उसे पर्याप्त सहायता मिली है । मैं अब ३-४ बातों का जिक् करूंगा जिनमें स्वभावतः उन लोगों को, जो कि श्रमिकों के बीच में काम करते हैं, दिलचस्पी होगी।

एक प्रश्न बहुत दिनों से यह रहा है कि जो मजदूरों के बीच में वेलफेयर सेंटर (कल्याणकारी केन्द्र) हैं उसकी व्यवस्था और अच्छी की जाय और उनको बढ़ाया जाय । जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इस समय ३३ स्थायी वैलफेयर केन्द्र हैं। ४ केंद्र ऐसे हैं जो कि जिस जमाने में गन्ना पेरा जाता है तो उन क्षेत्रों में ४ केंद्र २ पूर्व में २ पश्चिम में खोल दिये जाते हैं । ३ वेलफेयर केंद्र ऐसे हैं जिनके लिये गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से सहायता मिलती है । जहां पर चाय की खेती होती है और लोग वहां पर काम करते हैं उनके लिये

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यह हैं। इस साल के बजट में हमने दो और वैलफेयर केंद्रों के लिये रुपया मांगा है । एक तो रामपुर के लिये और दूसरा झांसी के लिये। इस प्रकार से हमारे यहां ४२ वैलफेयर केन्द्र हो जायंगे। हमारा ऐसा यक़ीन है कि इस विभाग ने काफी उन्नति की है जैसा कि यह १९३८ ई० में खोला गया था और पहले १० हज़ार रुपया खर्च होता था वहां पर अब ७ लाख रुपया खर्च होता है यानी ७० गुना खर्चा उसके ऊपर बढ़ गया है । हमारी जो शक्ति है उ सको देखते हुये हम यह कह सकते हैं कि यह जो काम हुआ है वह ऐसा है कि जिसके लिये हमको लज्जित होने की बात नहीं है ।

अब सदस्यों को यह भी मालूम होगा कि हमारे प्रान्त में एक वैलफेयर कमेटी बनने वाली है उसके लिये सदस्य तय हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि वह जल्दी ही काम करने लगेंगे । अबकी बार वैलफेयर का काम देखने वाली कमेटी नैनीताल में हुई थी उसमें यह शिकायत हुई थी कि कानपुर के जो केंद्र हैं उनसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिये जितना रुपया वहां पर खर्च हो रहा है उतना फायदा उससे नहीं मिल रहा है । उस वक्त मैंने वायदा किया था और दो तीन आदमियों की उस समय कमेटी बना दी थी जो कि कानपुर के ही रहने वाले थे। उनसे कहा गया था कि वे बतलायें कि किस प्रकार से रुपये का पूरा लाभ मिल सकता है ताकि जो रुपया वहां पर खर्च किया जा रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके । अब जो बात कानपुर के लिये फायदेमन्द होगी वह दूसरी जगह के लिये भी लागू होगी और दूसरे केंद्रों के लिये भी लागू होगी। इस सिलसिले में मैं एक चीज़ का और जिक् करूंगा और यह सवाल बहुत दफा उठा है कि मिलों के अन्दर जो मजदूरों की मजदूरी बाक़ी रह जाती है या कोई बोनस बाक़ी रह जाता है उसका क्या हो। बहुत दिनों से यह सवाल सामने रहा है और पहले यह वैलफेयर फंड में डाल दिया जाता था और कोई दूसरा इन्तजाम उसके लिये नहीं किया जाता था क्योंकि उसके लिये अड़चन थी और वह यह थी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया उसके लिये न कोई कानून बनाना चाहती थी न हम ही बना पाते थे । अब की बार जब मैं दिल्ली गया तो वहां पर गिरी साहब जो कि श्रम मंत्री हैं उनसे बात हुई थी । उन्होंने यह कहा कि हम नहीं बनाते आप लोग अपना कानून बनालें । अब उसका मसविदा तैयार हो रहा है और मुझे आशा है कि अगले सदन के अधिवेशन में उस वैलफेयर फंड के कानून को हम यहां पर ले आयेंगे और जो भी रुपया इस प्रकार से मिलों में बाकी रह जायगा उसको वैलफेयर फंड में डाल दिया जायगा।

दूसरा प्रश्न है मजदूरों के हाउसिंग का। जो शक्कर के कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी बाबत जो व्यवस्था है उससे मैं यह समझता हूं कि अधिकांश माननीय सदस्य परिचित होंगे । जो हमारे पास मोलासस का करीब ४० लाख रुपया है उसमें से १,७०० मकान बनाने की व्यवस्था हुई है और मैं आशा करता हूं कि अगले क्रशिंग सीजन तक पांच छः सौ मकान और बन कर तैयार हो जायंगे। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि हम दो तीन साल के अन्दर सारे मकान बनवा सकेंगे जितने की बनाने की स्कीम रखी गयी थी वह बन कर तैयार हो जायंगे । शूगर के अतिरिक्त जो कारखाने और हैं उनका सवाल भी बहुत जरूरी है । यह बात जाहिर है कि हमारी शक्ति इतनी नहीं है कि हम सब को काम दे सकें । सब लोगों की निगाह कानपुर की ओर जाती है । जितने मजदूरों की आबादी कानपुर में है उतनी और जगह की नहीं है । लड़ाई के बाद कानपुर की आबादी इतनी तेजी के साथ बढ़ी कि वहां पर मजदूरों के रहने की व्यवस्था बहुत खराब हो गयी। इसलिये उसकी तरफ़ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। पारसाल वहां के लिये हमने एक काम शुरु किया था और वह था स्लम क्लीयरेंस के बारे में । वहां के जो हाते वगैरा हैं और मजदूरों की बस्ती हैं उनमें सफाई और ड्रेनेज और पाखानों वग़ैरह के लिये और सड़कों की दुरुस्ती के लिये यह रुपया रखा गया था । पारसाल यह शुरू किया था और इस साल भी हम इसको जारी रख रहे हैं । हम यह जानते हैं कि वहां की ज़रूरत को देखते हुये यह रक़म काफ़ी नहीं है । वहां के मजदूरों के लिये

मकान बनाने के लिये काफ़ी रुपये की जरूरत है । हम इतना रुपया अपने यहां से नहीं लगा सकते और इसीलिये हमने काफ़ी कोशिश की है कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से हमें रुपया मिल जाय । केंद्रीय सरकार से हमारी लिखा पढ़ी चल रही है । इसकी बजट में भी चर्चा है और उम्मीद है कि हमें मजदूरों के मकानों के लिये गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से रुपया मिल जायगा। मैं दिल्ली गया था तो मैंने वहां इस बारे में बातचीच की थी और शायद इसी सप्ताह के खत्म होने से पहले वह रुपया हमें मिल जायगा। केवल वह वहां की केबिनेट की स्वीकृति के लिये जाना है । वहां के श्रम मंत्री ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वह रुपया शीघ्र ही हमें मिल जायगा । अगर वहां से इस रुपये की मंजूरी आ गई तो आशा है कि बहुत जल्द कानपुर में मजदूरों के मकानों का काम हाथ में ले लिया जायगा। उस वक्त हम काफी संख्या में मकानों के लिये रुपया दे सकेंगे ।

एक चीज और है जिसकी ओर सरकार का ध्यान खास तौर से जा रहा है और वह यह है कि वहां के आपस के जो झगड़े हैं उनको तै करने के लिये क्या व्यवस्था की जाय । मजदूरों और मिल मालिकों के बीच जो झगड़े हैं उसके लिये चाहे जो भी व्यवस्था हो लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है और वह है एक मजबूत ट्रेड यूनियन मूवमेंट की । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वह बजाय मजबूत होने के और कमजोर होती जा रही है । मेरी इन तमाम लीडरों से अलग अलग बात-चीत अक्सर होती है और मैं समझता हूं कि हमारे यहां इन ट्रेड यूनियन्स के तीन टुकड़े हो गये हैं। एक तो वह है जिसका संचालन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग करते हैं और जिसका नाम आल इंडिया ट्रेड यूनियन हैं। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता । इसके अलावा एक वह यूनियन है जिसका संचालन समाजवादी पार्टी की तरफ से होता है और तीसरी वह है जिसका संचालन कांग्रेस तो नहीं करती, लेकिन बहुत से हमारी पार्टी के लोग और दूसरे लोग करते हैं और जो आई० एन० टी० यू० सी० कहलाती है । इस तरह से इन तीन अलग-अलग यूनियनों के होने से मजदूरों का बहुत नुकसान हो रहा है । कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से मेरी बातचीत स्वयं नहीं हुई, लेकिन शेष जो दोनों जमाअतें हैं जो कि वहां मजदूरों में काम कर रही हैं और जिनकी यूनियनों का काम जारी है उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें स कई से मेरा परिचय है और उन से मेरा काफ़ी निजी संबंध भी है और मैं जानता हूं कि वे मेरी किसी खास बात को अपोज भी नहीं करते हैं और ख़याल करते हैं और इन दोनों पार्टियों को मेरी नेकनियती में विश्वास है और वे जानते हैं कि मजदूरों को मैं कितना चाहता हूं । मैंन उनस बहुत बार कहा और कहता रहता हूं कि आप में पोलीटिकल लड़ाई के लिये बहुत से क्षत्र हैं, लेकिन मजदूरों के क्षेत्र में यह लड़ाई बन्द कर देना अच्छा है क्योंकि इस से मजदूरों का नुक्सान होता है । अकसर एक ही कारखाने में दोनों यूनियन अलग-अलग काम करती हैं। अगर किसी एक मजदूर का फायदा एक यूनियन से होता है तो यह बात दूसरी पार्टी की यूनियन को बुरी लगती है कि उस यूनियन के जरिय स उसका फायदा नही हुआ । इसी तरह से अगर किसी मजदूर का फ़ायदा दूसरी यूनियन के जरिये से हो जाता है तो इस यूनियन वालों को बुरा लगता है कि उसके द्वारा मजदूरों का फ़ायदा क्यों हुआ । यह सूरत बड़ी भयानक है और इससे मजदूरों का नुक़सान होता है । मिल मालिक इससे फ़ायदा उठा जाते हैं। एक ही मजबूत ट्रेड यूनियन तमाम मजदूरों की होनी चाहिये और वही मजदूरों के मामले मिल मालिकों से तय कराने में समर्थ भी हो सकती है । जो लड़ सकता है वही सुलह भी कर सकता है और जो सुलह कर सकता है वही लड़ भी सकता ह । अगर ट्रेड यूनियम मजबूत है और मजदूर और मिल मालिकों का कोई झगड़ा हो जाता है तो वह समझौता भी करा सकती है लेकिन अगर थ्रेटफुल तरीके पर [धमकी देकर] ही वह काम करें और अलग-अलग क्षेत्र बनावें तो वह कुछ नहीं कर सकतीं । गवर्नमेंट की भी यही इच्छा है कि मजदूरों की एक मजबूत ट्रेड यूनियन हो । गवर्नमेंट तो इस विषय में कोई खास कोशिश नहीं कर सकती लेकिन जो लोग मजदूरों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिये आपस में शास्त्रार्थ के लिये और पोलिटिकल लड़ाई के लिये और बहुत से मैदान हैं लेकिन जब तक मजदूरों में

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मजबूत ट्रेड यूनियन नहीं बनती तब तक मजदूरों का बराबर नुक़सान होता है । और जो ख़राब मिल मालिक हैं उनको फायदा है वे एक दूसरे को लड़ा सकते हैं ; कुछ दिनों तक तो लड़ा ही सकते हैं चाहे आगे कुछ भी हो ।

जैसा कि मैं पहिले भी जिक्र कर चुका हूं आज से ३-४ वर्ष पहिले हमने एक मशीनरी झगड़ों को तय करने के लिये बनाई थी । उस समय आस्ट्रेलिया में लेबर गवर्नमेंट थी इसलिये हमने यह सोच कर कि जब यह लेबर गवर्नमेंट है उसने लेबर के हितों का तो अवश्य ही ध्यान रखा होगा, वहां के कानून के अनुसार ही हमने अपने यहां वर्क्स कमेटियों की स्थापना की । जब वे कमेटियां थीं उनमें हजारों मुकद्दमें फैसले हुये । किन्हीं कारणों से वर्क्स कमेटियां पसंद नहीं आई और उसका काम करना बंद हो गया । परिणाम यह हुआ कि जो छोटे छोटे मामले वर्क्स कमेटियों में खत्म हो जाते थे वे मामले भी एडजूडीकेशन के लिए आने लगे और इसके ऊपर काफी बोझा बढ़ गया ।

एक बात और है जब कैसोलिएशन होता था तो उसमें एक आदमी मजदूरों का होता था, एक मिल मालिकों का होता था और तीसरा गवर्नमेंट की तरफ से होता था और अगर वहां कोई मामला तय नहीं होता था तो वही आदमी एडजूडीकेटर की हैसियत से फैसला देता था । इसलिये आपस में लोग यह समझते थे कि उसको दोनों तरफ की बहुत सी बातें मालूम हैं इसलिए ज्यादातर फैसला आपस में ही हो जाया करता था । अब इसके बाद गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने जो कानून बना डाला है उससे और भी चौपट हो गया । बहुत से आदमी ऐसे हैं जो आल इंडिया ट्रिब्युनल तक जाते हैं । एक प्रादेशिक अदालत होती है, दूसरी आल इंडिया अदालत होती है । इसके बाद हाई कोर्ट का भी दरवाजा खुला हुआ है । बड़े-बड़े मिल मालिक वहां तक भी पहुंचते हैं लेकिन मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इतनी अदालतों में दौड़ सकें लेकिन गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के कानून बनाने से ऐसा बंधन हो गया है और अब तक जितने मामले सीजिकैएशन में तय हो जाते थे उनको भी अदालत में भेजना पड़ता है । मजदूरों को खासतौर से दिक्कत बढ़ गई है लेकिन इसमें मजबूरी है क्योंकि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया कानून बनाने वाली है ।

मैंने अभी हाल ही में दिल्ली में इस बारे में बातचीत की उन्होंने कहा है कि अगले जाड़ों में वे एक दूसरा कानून बना लेंगे । उन्होंने एक क्वेश्चनेयर तैयार की है जो मजदूरों की संस्थाओं के पास और इंडस्ट्रियलिस्ट्स दोनों के पास भेजी जायगी । उसके जवाब आ जाने के बाद एक कांफ्रेंस की जायगी तत्पश्चात् कानून बनेगा । हमने पिछले ८-७ दिनों में ऐसे इंस्ट्रक्शन्स भेजे हैं कि अगर कोई खास बात न हो और मामला कैंसीलिएशन से तय न हो तो ऐडजूडीकेशन (अधिनिर्णय) के लिये भेज दिया जाय । इससे कुछ सुविधा हो जायगी ।

एक और सवाल है जो बराबर आया करता है । वह है एग्रीकल्चरल लेबर का । जो परिस्थिति है उसको हमें पहिले समझना है । अधिकतर सदस्य इस सदन के ऐसे हैं जिनका देहातों से संबंध है जो खेती बारी के मसलों को अच्छी तरह से समझते हैं । अब एग्रीकल्चरल लेबर के लिये यह प्रश्न पैदा होता है कि उनके लिये कानून बनाया जाय और खासतौर से मिनीमम वेजेज का । जो लोग खेतीबारी करते हैं या खेती से संबंध रखते हैं उनको यह भली भांति ज्ञात होगा कि उनके वेजेज दो प्रकार के हैं । कोई किसान तो नक़द के सूरत में देता है और कोई अनाज की सूरत में । अब जिस जमाने में अनाज से पैसा ज्यादा मिलता है उस जमाने में और जिस जमाने में अनाज सस्ता होता है उस जमाने में बहुत फर्क हो जाता है । जिस जमाने में किसान के पास पैसा ज्यादा होता है तो वह पैसा दे देता है और जिस जमाने में उस के पास अनाज ज्यादा होता है तो वह अनाज ही देता है । इसलिये कोई वेजेज फिक्स करना बड़ा मुश्किल मालूम होता है । इस पर भी अगर सारे उत्तर प्रदेश के लिये हम एक

प्रकार की मिनिमम वेजेज मुकर्रिर कर दें तो उसको निभाना मुश्किल हो जायगा क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक हमारे उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थिति है । अब एक बात और सोचने की है । मान लिया किसी मिल मालिक ने रुपया नहीं दिया तो वहां पर अदालत कायम करके मुक़दमा भी करा सकते हैं, लेकिन अगर देहात में यह व्यवस्था पैदा हो गई तो हर जगह अदालत कैसे होगी इसलिये इस विषय में जो कुछ करना है वह सोच विचार कर ही करना है । किसी काम को अनप्लाण्ड करना अच्छा नहीं होगा । हमें जो कदम इस विषय में उठाना है वह विचार पूर्वक उठाना है । कानून के मुताल्लिक ३१ दिसम्बर, सन् १९५३ तक मिनिमम वेजेज फिक्स होनी चाहिये । इसकी जांच हो रही है । हम ऐसी आशा करते हैं कि इस तारीख से काफी पहले हम उत्तर प्रदेश में मिनिमम वेजेज की व्यवस्था कर सकेंगे, जल्दी ही कर सकेंगे । मिनिमम वेजेज को किसी न किसी प्रकार से कायम करना है । जब मिनिमम वेजेज कायम हो जायंगी तो फिर उसके बाद और जो शिकायत की बात लेबर की होगी उनको भी करने में सुविधा होगी । लेकिन इस समय माननीय सदस्य स्वयं देखेंगे कि जब डिकंट्रोल अन्न का हुआ है और मालूम नहीं कि अनाज का भाव आगे क्या होगा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो ऐसी हालत में बिना सोच समझे कोई रकम रखी जाय तो उसका क्या प्रभाव आगे जाकर पड़ सकता है । इसलिये इस संबंध में गवर्नमेंट की तरफ से देर हो रही है तो उसके भी कारण हैं । हम सबों को किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं उत्पन्न करनी चाहिये ।

दो बातों का जिक्र मैं और करूंगा । अभी अभी सवाल उठाया गया था कि हमारे यहां अन-इम्पलायमेंट [बेकारी] बहुत बढ़ रहा है । इस बात को और लोग भी कहते हैं कि अनइम्पलायमेंट बढ़ रहा है । अन इम्पलायमेंट बढ़ रहा है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इम्पलायमेंट बढ़ रहा है यह भी मैं नहीं कहूंगा । इस वक्त जो फीगर्स हैं उनको अगर देखा जाय, मसलन कानपुर के बड़े-बड़े कारखानों के जो फीगर्स हैं उनको देखने से मालूम होगा कि कुछ दिनों से कारखानों में अनइम्पलायमेंट है लेकिन उससे शायद इम्पलायमेंट नहीं बढ़ा है । कारखानों में इस वक्त जगह खाली हैं, वहां पर आदमी नहीं रखे गये हैं इसलिये आप भले ही ऐसी बात कह सकते हैं । लेकिन फिर भी इस मामले को हल करने के लिये हमने अपनी तरफ से कोशिश की है । शायद माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि और जो नये सदस्य हैं उनको न भी मालूम हो, अगर वे बजट में देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि उसके लिये हमने ४० हजार रुपया रखा है । पिछले वर्ष भी रुपया रखा गया था । इसके लिये यह प्रबंध किया गया है कि अगर कानपुर के किसी मिल में कोई जगह खाली हो तो वे इम्पलायमेंट एक्सचेंज को अपनी रिपोर्ट देंगे कि हमको इस क्वालिफिकेशन (योग्यता) के इतने आदमी चाहिये और तब इम्पलायमेंट एक्सचेंज ऐसे ही मजदूरों को उन जगहों पर भेजेगा जो किसी मिल में से पहले हटा दिये गये हैं । इसके लिये हमारा समझौता एम्पलायमेंट एक्सचेंज से हो गया है और उसके मुताबिक वे काम कर भी रहे हैं ।

एक सवाल प्ले आफ (बैठकी) के बारे में भी उठाया गया था कि मिल वाले प्ले आफ के नाम पर मजदूरों को तंग करते हैं । प्ले आफ के जमाने के लिये कोई खास नियम तो रखा नहीं गया है । शुगर कारखाने वालों के लिये तो कुछ नियम बनाये भी गये हैं और वे लागू भी हैं लेकिन और कारखाने वालों के लिये कोई नियम लागू नहीं हैं । मैंने इस बात का जिक्र इस सदन के सामने किया भी था कि और कारखान वालों के लिए भी ऐसे नियम बनाने की कोशिश हो रही है और अगर ईश्वर ने चाहा तो अगले अगस्त तक इस बजट के बाद ही इस सदन के सामने वे नियम रखे जायेंगे और तब प्ले आफ का नियम सब पर लागू हो जायगा । इतनी बातें सुनने के बाद मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने रखा है उसे यह सदन स्वीकार करेगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं । हमारे माननीय मंत्री जी ने बड़े सुन्दर ढंग से सिद्धान्त को सामने रखते हुये अपने प्रांत के बारे में कहा है । उन्होंने कंसलिएशन मशीनरी के बारे में बहुत सी बातें बतलायीं । मैं माननीय मंत्री जी की नियत पर कोई

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

शुबहा नहीं करता और उसके साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूं कि मंत्री जी जब किसी काम को ले लेते हैं तो वह उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं चाहे वे सही तरीके से करें या गलत तरीके से करें लेकिन उसे पूरा करते हैं और उसमें सफलीभूत भी होते हैं।

आपकी सरकार ने जो एक पालिसी बनायी थीं। वह यह थी कि एक सरकारी मजदूर संगठन कायम करके मजदूरों को छिन्न भिन्न कर दिया जाय। आप कामयाब हुये, किस तरह से मजदूरों को छिन्न-भिन्न किया गया, किस तरह से उनके संगठन को तोड़ा गया इसका मैं थोड़े शब्दों में आपसे जिक्र कर देना चाहता हूं। औद्योगिक झगड़े का कानून बनाया गया। उन कानूनों में किस तरह से सरकारी मजदूर संगठन को ही सारी चीजें दी गयीं। वर्क्स कमेटी में उनके नामजद मेम्बर रखे जाते थे जिसका अभी मंत्री जी ने जिक्र किया कि जब वह वर्क्स कमेटी थीं तो बहुत से मामले तो वहीं तय हो जाया करते थे। लेकिन मैं बतलाऊं कि बहुत से ऐसे मामले जो दूसरे संगठनों के थे, जब वर्क्स कमेटी में दिये गये तो उन्होंने मिल मालिकों से मिलकर उनको खत्म करने की कोशिश की क्योंकि वे समझते थे कि अगर उनके मामलों को आगे बढ़ायेंगे तो हमारे संगठन पर जरूर आंच आयेगी। इतना ही नहीं बहुत से ऐसे सरकारी मजदूर नेताओं की मंत्री जी ने पीठ ठोंकी जिन्होंने मिल मालिकों से मिलकर के इस किस्म के काम किये जिससे सारा मजदूर आन्दोलन चौपट हो गया। जो मजदूर कार्यकर्ता थे वह भी उन नेताओं से घबराने लगे कि अगर उनके बारे में कुछ कहेंगे तो निकाल दिये जायेंगे, हम को नुकसान पहुंच जायगा। इस तरह से सारा मजदूर आन्दोलन छिन्न भिन्न हुआ। आजादी के बाद मजदूरों में जो शोषण के खिलाफ लड़ने और अपनी मांग को लेकर संगठित होने की भावना उठी उसको सरकार ने दबाने की कोशिश की जिससे हमारे मजदूर आन्दोलन की काफी हानि हुई। माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस वक्त औद्योगिक झगड़े मिटाने की जो मशीनरी है वह बहुत अच्छी बनाई थी, उसमें खराबी आ गयी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे साफ साफ बताऊं कि सन् १९५१ ई० में जैसा कि सरकारी रिपोर्ट में छपा है कुल १,९५० मामले समझौता कमेटी के सामने आये उनमें से महज २२२ केस ऐडजुडिकेशन को रेफर किये गये जिनमें मैं समझता हूं कि २२ ऐसे होंगे जो दूसरी पार्टी के होंगे और सब केस सरकारी मजदूर संगठन के होंगे। इतना ही नहीं उस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि मजदूरों के झगड़े निबटाने के लिये औसतन ३४ दिन लगते हैं। मैं आपको बताऊं एक एक केस दो दो साल चला है। यह जब कहा गया कि इस केस का फैसला जल्दी होना चाहिये तो कंसीलियेशन आफिसर ने यह कहा कि यह केस सरकार ने रोक दिया है। अभी बहुत दिन चलेगा और वह रामकोला और लक्ष्मीगंज का केस था। दो साल वह कंसीलियेशन में पड़ा रहा और आज वह ट्रिब्युनल में है। उसमें बहुत से मजदूर निकाले गये थे। दो साल से जो मजदूर निकाले गये, उनकी क्या हालत होगी?

इतना ही नहीं। आप कहते हैं कि मैंने अपने अफसरों से यह कह दिया है कि जो भी मामले आयें उनको आप जरूर ऐडजुडीकेशन में भेज दें लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, सिसवा मिल का केस जिसमें दो तीन सौ मजदूरों को निकालने का मामला है, जो बिलकुल रामकोला और लक्ष्मीगंज केस की तरह का केस है, उसे ऐडजुडीकेशन (अधिनिर्णय) में नहीं भेजा गया।

इस किस्म की चीजें चल रही हैं। इतना ही नहीं, केसों का जो फैसला होता है उसको भी मिल मालिक नहीं मानते और सरकार भी उनका कुछ नहीं करती। आपकी रिपोर्टों से ही यह बात भी मालूम होगी कि ७३१ अवार्ड हुए जिनमें ६२१ का इम्पलिमेंटेशन हुआ और ११० अब भी नहीं माना गया है। यही आपकी रिपोर्ट है और उसके अनुसार मैं बतला रहा हूं।

मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि अगर मिल मालिक उस अवार्ड को नहीं मानता है तो आप उसके ऊपर क्या ऐक्शन लेते हैं और क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? मजदूर तो अपनी मांग के लिये कोई लड़ाई लड़ता है, हड़ताल का नोटिस देता है तो उस वक्त झगड़ा मिल मालिक से होता है। परन्तु सरकार सामने आ जाती है। उसको जेलों में भेजा जाता है, उसको निकलवाया जाता है, और सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन जब मिल मालिक नहीं मानता तो पता नहीं उस वक्त सरकार क्या कार्रवाई करती है। अभी तक एक भी दृष्टांत मंत्री जी पेश नहीं कर सकते कि मिल मालिक के अवार्ड न मानने से उसे जेलखाने जाना पड़ता हो।

चीनी के मजदूरों के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं। चीनी के मजदूरों को यह किया गया, वह किया गया। रिपोर्ट में भी देखिये तो मालूम होता है कि चीनी के मजदूरों को तो स्वर्ग मिल गया। जहां तक उनके वेतन का सवाल है आज चीनी का उद्योग यू०पी० में दूसरे नम्बर का उद्योग है। लेकिन अगर आप सरकारी रिपोर्टों को देखें तो उनके वेतन का हिसाब जो आता है वह यू० पी० के ९ उद्योगों में उनका वेतन-क्रम सातवां है।

दूसरी चीज यह है कि सरकार ने पहले कुछ लोगों की एक कमेटी बनायी जिसमें वही आई० एन० टी० यू० सी० के लोग, मिल मालिक और सरकार के कुछ लोग थे। उन लोगों ने एक स्टैंडिंग आर्डर (स्थायी आदश) चीनी मिल के मजदूरों के लिये बनाया। उसकी कुल धाराओं के कहने का तो मौका नहीं है। उसकी एक धारा को मैं आपको बतला दूं कि उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर मजदूर मिल में झगड़ा करता है तो ठीक है उसके ऊपर डिसिप्लिनरी ऐक्शन होना चाहिये, लेकिन अगर फैक्टरी क्वार्टर में भी कुछ बोल चाल हो जाती है या घर में भी लड़ाई हो जाती है तो मिस्कंडक्ट (दुर्व्यवहार) है और उसमें उसका डिस्मिसल हो सकता है। इस किस्म के कानून बनाये जाते हैं और इसमें बहुत मजदूर निकाले गये हैं। कठकुइयां मिल में एक मजदूर इसी धारा में निकाला गया।

जहां तक बोनस का सवाल है इस साल सन् १९५०—५१ का जो बोनस था उस पर मजदूरों की बहुत आशा थी। मजदूर यह सोचे हुये था कि इस साल इंडस्ट्री ने काफी फायदा उठाया है उसमें उन्हें भी काफी अच्छा बोनस मिलेगा। लेकिन सरकार ने जबरदस्ती उस बोनस को मजदूरों पर लादा और यहां तक देखा गया कि बहुत से मिल मालिक तो उस सरकारी गजट निकलने से पहले उससे ज्यादा बोनस देने को तैयार थे लेकिन जब वह बोनस मजदूरों के सामने आया तो फिर तो कम ही दिया गया। बार बार कहा गया कि मामला अदालत को भेजिये, वहीं फैसला होगा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। हम लोगों ने इस तरह से बहुत सी बातें कहीं, प्रस्ताव किये लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ।

हाउसिंग के बारे में मैं कुछ थोड़ी बात कह दूं। वह मामूली बात नहीं है। यह जो मकानात मजदूरों के लिये बनाये जा रहे हैं जिसके बारे में मंत्री जी ने जिक्र किया है, उसके बारे में यह भी तय किया गया है कि उसके ऊपर किराया भी रखा जाय। शुगर फैक्टरी में कोई भी मजदूर किराया नहीं देता। उनको या तो मकान मिलता है या मिल मालिक उसको किराया देता है। तो मैं यह भी मंत्री जी से कहूंगा कि वह किराये की बात न करें वर्ना एक नया प्रश्न और खड़ा हो जायगा। अगर उनको किराये की बात करनी है तो मिल मालिक से करें और उससे किराया लें। अगर मजदूरों से किराया लेने की बात होगी तो उससे गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—उपाध्याय महोदय, इसके पहले कि मैं इस अनुदान पर कुछ कहूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि कई मजदूरों के मसले निकल गये, और काफी उठा बैठी के बाद ही उन मजदूरों के संबंध में कुछ कहने को समय मिला। आज आपने जो कृपा की है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी]

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान को उपस्थित करते समय माननीय श्रम मंत्री ने जिस उच्च कोटि की भावना दिखाई, उससे मुझे आशा थी कि दूसरे पक्ष की तरफ से उसी प्रकार के विचार प्रकट किये जायेंगे लेकिन हालत यह है कि उन पुरानी चीजों को हर समय किसी न किसी प्रकार से दुहराकर उन पुरानी परिस्थितियों को सामने लाया जाता है जिससे यदि हम नज़दीक भी पहुंचने की कोशिश करें तो दूर हट जाते हैं।

मैं अपने मित्र जो कि सौभाग्य से यदि सोशलिस्ट सरकार होती तो वे श्रम मंत्री होते, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मजदूरों की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि सरकारी संस्था हो। आपको मैं और पीछे ले चलूं तो पता चलेगा कि इसके पहले केन्द्रीय सरकार ने इंटर-नेशनल लेबर कांग्रेस के लिये श्री जोशी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके द्वारा एक जांच करवाई। उस जांच के समय यहां ही नहीं बल्कि जनेवा में भी यह निश्चित माना गया कि आई० एन० टी० यू० सी० की सदस्य संख्या अधिक है। इसी प्रांत ने ही नहीं बल्कि केन्द्र ने भी आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधित्व को आज तक माना है और इस समय श्री हरिहर नाथ शास्त्री श्रमिकों का प्रतिनिधित्व जनेवा में कर रहे हैं। इस संबंध में बार-बार यह बातें कह करके सिवाय ताने के और कोई लाभ नहीं हो सकता है।

मैं फिर श्रम मंत्री की बात को आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि रोजाना इस तरीके के प्रस्ताव पास करके और रोजाना इस तरीके की बातें कह करके आप इस आंदोलन को पीछे लिये जा रहे हैं, आगे नहीं। मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न पर दुबारा विचार करेंगे और ऐसा मौका देंगे कि हम दोनों कंधे से कंधा मिला कर पूंजीपतियों का मुकाबिला करें और सरकार का मुकाबिला करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें उधर से कही गयीं हैं, मैं भी अपने उन मित्रों का साथ देना चाहता हूं। वास्तव में हमारे प्रांत में हर तरीके के एक्सपेरीमेंट किये गये और हमारे श्रम मंत्री ने चाहा कि कोई भी तरीका ऐसा निकले जिससे कि यहां के श्रमिकों को हम हिन्दोस्तान में सब से आगे ले जा सकें। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी ऐसा प्रांत वे बतला सकते हैं जिसने चार आने बोनस दिया हो? हमारे प्रांत के टेक्सटाइल मिलों में चार आने बोनस दिया गया और यह हमारा ही प्रांत है जिसकी संख्या काम करने की दूसरे प्रांतों से कम है, लेकिन इन सब बातों के यह माने नहीं है कि हमारी सारी की सारी बातें पूरी हो गयीं।

मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री इन आंकड़ों पर ग़ौर करें। पिछले वर्ष एक हजार नौ सौ पचास मुकदमे नौ महीने के अन्दर सरकार के सामने पेश हुये यानी कंसिलिएशन बोर्ड के सामने आये। उसमे से हमारे मित्र न दो सौ बाइस मुकदमे बताये। म उन्हे याद दिलाना चाहता हूं कि वे जरा फिर रिपोर्ट पढ़ें। ५०३ मुकदमे कंसिलिएशन बोर्ड में तय हो गय। कुल १,४४७ मुकदमे रह गये। जो १,४४७ मुकदम रह गये उनमें से ३६४ मुकदमे आज भी कंसिलिएशन बोर्ड के सामने हैं १ हजार ८३ मुकदमे सरकार के सामने भेज दिये गये और उन १ हजार ८३ मुक़दमों में १८ मुकदमे ऐडजुडिकेटर के पास भेजे गये और १९ मुकदमे जो राज्य का औद्योगिक ट्रिव्युनल है उसके पास भेजे गये। उस ट्रिव्युनल ने १९ मुकदमों में केवल १३ मुकदमों का फैसला किया, छै मुकदमे आज भी वहां पड़े हुये हैं और ८९७ मुकदमे आज भी श्रम मंत्रालय में फाइलों के बीच में बन्द हैं और उनका कुछ पता नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे श्रम मंत्री इन ८९७ मुकदमों पर फिर विचार करें और उनको ऐडजुडिकेटर के पास भेज दें। इससे मजदूरों का बहुत बड़ा हित होगा।

इसके बाद मैं आपको और भी चीजें बतलाना चाहता हूं। हमारे यहां मिनिमम वेज ऐक्ट चालू किया गया। मिनिमम वेज ऐक्ट में आज कल के जमाने में भी हमारे प्रदश में २६ रुपया महीना मिनिमम वेज रखा गया। आप सोचिये कि क्या कोई भी उद्योग आज ऐसा है कि जिसमें कम से कम ४० और ४५ रुपये तनख्वाह न मिलती हो। लेकिन यहां यह भी जोर दे दिया गया कि इन २६ रुपयों में डियरनेस ऐलाउंस भी शामिल है और जो और सुविधायें होनी चाहिये वे भी इसी में शामिल हैं। यानी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और यहीं नही, इस २६ रुपये को लागू करने के लिये हमारे श्रम मंत्रालय ने १५ इंस्पेक्टरों की एक फौज खड़ी कर दी कि वे देखें कि ये २६ रुपये भी मिल रहे हैं या नहीं। तो मैं यह कहूंगा कि यह व्यर्थ का खर्चा है, इसे बन्द कीजिये।

मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ, मिल मालिकों ने अपने कारखाने बन्द किये और मजदूरों को निकाला इसलिये कि नये मजदूरों को २६ रुपये में भर्ती करें। मगर सौभाग्यवश मजदूरों के अन्दर कुछ संगठन है जिससे उन्होंने इसका विरोध किया और आखिर में फिर पुराना वेतन उनको देना पड़ा। इसलिये मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि इस पर दोबारा विचार किया जाय और मिनिमम वेज के प्रश्न को आगे बढ़ाया जाय। इसके पहले इसी स्थान पर एक कानफ्रेन्स हुई थी जिसमे कि चमड़े के कारखानों के मालिकों के साथ और हम लोगों के साथ, ध्यान रहे कि हम लोग सरकारी आदमी नहीं बल्कि उसमें हमारे कुछ सोशलिस्ट भाई भी थे, ४५ रुपये मिनिमम वेज तय हुआ। तो दो वर्ष पहले तो ४५ रुपये तय हुआ था लेकिन आज २६ रुपये रखा गया है।

इसके बाद मैं एक दूसरा प्रश्न रखना चाहता हूं कि यह कार्य तो उन लोगों के लिये किया जा रहा है जो मिलों में काम करते हैं। मैं आपका ध्यान दूसरी ओर भी दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार सब से बड़ी पूंजीपति सरकार है, उसने भी बहुत काफी मजदूर रख छोड़े हैं। ४० हजार मजदूर प्रेसेज में और और जगह हैं। उनके लिये कोई नियम नहीं है, उनके रखने और निकालने के लिये कोई नियम नहीं है, उनकी तनख्वाहों के लिये कोई नियम नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन पर भी लेबर ऐक्ट लागू किया जाय।

श्री नारायण दीन (जिला शाहजहांपुर)—महामान्य उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी अभिलाषा थी, आज मुझे समय मिला, मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। अभी तक हमारी सरकार मजदूरों के प्रति जो सहानुभूति दिखला रही है वह किसी से छिपी नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से उससे परिचित हैं। लेकिन मेरा सुझाव उनकी सफाई के प्रति है। सरकार को उनकी सफ़ाई के लिये अधिक ध्यान देना चाहिये। मजदूर वर्ग, जैसा कानपुर के मजदूर, आपको प्रमाण दे रहा हूं, वहां की गलियों को आप देखिये कि वे इतनी गंदी हैं कि जो हमारे बाहर से मजदूर भाई देहात के रहने वाले आते हैं उनके शौच जाने का जो प्रबन्ध है उसकी बहुत दुर्गति है। हमारे देहात के मजदूर भाई जब यहां शहरों की टट्टियों को देखते हैं जो आपके मिल मालिकों ने बनवायी हैं तो वे उनको देख कर घृणा करने लगते हैं। और हमारे पास इसके आंकड़े हैं कि एक टट्टी में एक वक्त में ७६१ व्यक्ति जाते हैं और बहुत से लोग बाहर ही जाकर पाखाना कर देते हैं जिससे उनकी गलियां गंदी हो जाती हैं।

दूसरी चीज यह है कि जो क्रिया मशीनों की होती है, जैसे रुई की या चमड़े की या लकड़ी की, उसमें ऐसे छोटे छोटे टुकड़े निकल कर फैक्टरी के अन्दर वायुमंडल में फैल जाते हैं जो उनकी नाक और मुंह के अन्दर घुस जाते हैं और

[श्री नारायण दीन]

यहां तक कि उनको आंख बचाना भी मुश्किल हो जाता है और इसके कारण उनको क्षय रोग हो जाता है। तो सरकार को चाहिये कि वे मिल मालिकों को इस तरह का आदेश दें कि एक तरह के तेज बिजली के पंखे उनके अन्दर लगायें जो इतनी तेजी से चलें कि वे उन छोटे छोटे टुकड़ों को जो हवा में फैल जाते हैं बाहर निकाल दें या जो उसके अन्दर नमी रहती है वह सुखा दें। इस तरह से वे क्षय रोग से बच सकेंगे।

दूसरी चीज यह है कि गर्मियों में सूती मिलों में जहां कि कपड़े बनते हैं वहां सूत को भाप के जरिये से नम किया जाता है। इससे वहां बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। जैसे आप गर्मियों के मौसम को लीजिये जब कि घरों में नहीं रह सकते हैं और रहना मुश्किल हो जाता है तो वह मजदूर जहां सूत नम किया जाता है वहां किस तरह से रहता होगा उसकी तन्दुरुस्ती पर क्या असर पड़ता होगा ? सरकार को चाहिये कि उनके अन्दर ऐसी चीज पैदा की जाय जो गर्मी के दिनों में ठंडक पहुंचाये और जाड़ों में गर्मी पहुंचाये।

श्रीमान् जी, आप देखें कि मिलों में इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। उसका एक कारण तो यह है कि वहां जो यंत्र होते हैं वह सुव्यवस्थित नहीं होते। इधर-उधर फैलाव रहने से वहां जो लोग काम करते हैं वह बिजली में लिपट जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा कारण यह है कि हमारी सरकार ने उनको, मिल मालिकों पर छोड़ दिया है। उनकी इमारतों का ठीक ढंग से निरीक्षण नहीं होता है जिससे इमारतें गिर जाती हैं और मजदूरों का, चकनाचूर हो जाता है। सब से पहले सरकार को चाहिये कि वह मजदूरों की रक्षा का ख्याल करे। इसके बाद दूसरी चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है।

श्रीमान् जी, इस तरह से हमारे शहर के कारखानों के मजदूरों के बारे में यहां पर चर्चा हुई लेकिन मैंने देखा कि हमारे खेतिहार मजदूरों की चर्चा नहीं आई। मैंने सोचा कि जब मिल के मजदूरों की चर्चा यहां है तो फिर इसके साथ साथ इनको क्यों छोड़ा जाय जब कि उनकी संख्या हमारे सूबे में बहुत बड़ी है। हमारा प्रदेश खेतिहर प्रदेश है। सन् १८९१ में ६१ परसेंट, १९०१ में ६५ परसेंट, १९१३ में ७२ परसेंट और १९३१ में ७३ परसेंट और १९४१ में ७५ परसेंट है। फिर भी हमारी सरकार का ध्यान इन खेतिहर मजदूरों की तरफ अभी तक नहीं गया है। जो खेतों पर जाकर मजदूरी करते हैं उनकी तादाद २४,२१,०८० है।

हमारी सरकार ने निर्णय दिया है, और दो तरह के खेतिहर मजदूर माने गये हैं। एक तो जिनके पास दो एकड़ जमीन है जिनकी संख्या ६८,६४,९२८ है। भूमिहीन मजदूरों की संख्या १,५०,००,००० है। इन खेतिहर मजदूरों को साल भर में केवल १७५ दिन काम मिलता है बाकी ९० दिन यह बेकार रहते हैं। इसलिये उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा शोचनीय है। उनको किस तरह से ऊपर उठाया जाय इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी तरह से एक प्रकार के मजदूर और हैं जो छोड़ दिये जाते हैं। उनके बारे में हमारा अनुभव है कि उनकी अभी तक इस सदन में चर्चा नहीं हुई है। वह सफाई करने वाले मजदूर हैं, उनकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सफाई मजदूरों के बारे में जो सूबे के स्वास्थ्य को बनाने वाले हैं जल्दी से जल्दी उनके लिये एक कमीशन बिठाया जाय। पिछले दिनों एक पे कमीशन बैठा है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर अपना ध्यान देगी। इससे मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान उपस्थित किया गया है उसको मानते हुये भी एक कटौती का प्रस्ताव जो मैंने भेजा था उसकी गरज यह थी कि इस सिलसिले में कुछ बोल सकूं। हमारे श्रम मंत्री जी के भाषण के बाद मजदूरों के न्याय के संबंध में, उनको सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संबंध में, कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रह जाती है। लेकिन मुझे खुशी तब होती जब हमारी ट्रेजरी बैंचेज में करीब करीब सभी मंत्रीगण उस भाषण को सुनते होते जो माननीय श्रम मंत्री जी ने दिया। मुझे दुख है, श्रीमान्, कि अगर कोई सबसे ज्यादा इन उसूलों के खिलाफ काम करता है जिनके संबंध में हमारे श्रम मंत्री ने तजकिरा किया है मजदूरों के संबंध में, तो वह हमारी सरकार और उसके कारखाने हैं। माननीय अवस्थी जी ने उसका थोड़ा सा जिक्र किया। कभी मुझे सरकारी छापाखाने में जाना पड़ता है, कभी वाटर वर्क्स की ओर। फैक्ट्री ऐक्ट लागू है लेकिन तुर्रा यह कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट जो है वह अर्ध सरकारी कारोबार है, कौन उसमें बोले और कौन जहमत उठाये। मैं तो चाहता था कि हमारे सभी विभाग के मंत्रीगण हमारे श्रम मंत्री की तकरीर से फायदा उठा कर यह समझ लेते कि श्रम का क्या महत्व है, श्रमिक का हमारे सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। इतनी छोटी सी बात अगर समझ में आ जाय तो मैं समझता हूं मुनासिब होगा।

माननीय श्रम मंत्री का ध्यान भी इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट आज सेक्रेटेरियट के अन्दर सबसे अधिक मजाक की चीज है तो वह है श्रम विभाग। पी० डब्ल्यू० डी० को देखिये मंत्री जी इस किताब को पढ़ें या न पढ़ें जो श्रमिकों के संबंध में छपती है वह यही कहेंगे कि श्रम विभाग ने सबको चौपट कर दिया। इंडस्ट्रीज विभाग में चले जाइये, सौभाग्य से दोनों जगह के सचिव एक ही हैं पर उनके नीचे के आफिसर्स श्रमिकों के साथ काम करने वालों को किसी जानवर से कम नहीं समझते ? ट्रेड यूनियन उनके लिये एक बहुत बुरी चीज है। यह भावना जिस सरकार के भिन्न भिन्न विभागों में हो वह सरकार कितनी दूर तक उस नीति का, जिसको माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने हमारे सामने प्रेषित किया है अनुसरण करने में सफल होगी। मिल मालिकों की ज्यादतियों का जहां तक संबंध है मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में नहीं, हमारे देश के अन्दर माननीय सम्पूर्णानन्द जी उसे जितना समझते होंगे उतना शायद कोई बिरला आदमी समझता होगा। जो कुछ किया गया वह बहुत आगे ले जाने वाला हुआ लेकिन वह सब कुछ भिन्न भिन्न निजी व्यवसाय करने वाले पूंजीपतियों तक ही सीमित है। जिन बातों का तजकिरा किया गया उन पर भी झगड़े हुये, दिक्कतें उत्पन्न हुईं और मजदूर और मालिक आज भी समानता की दृष्टि से एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मालिक यह मानने को तैयार नहीं है कि श्रमिक का भी जीवन में वही स्थान है जिस नीति का प्रदर्शन हमारी सरकार करना चाहती है। पूंजीपतियों के अन्याय से सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो ट्रेड यूनियनों के मुखिया है और श्रमिक संगठन को आगे ले जाने वाले हैं। किसी टोपी के साथ इसका संबंध नहीं है।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इस बात को मानेगी और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पूंजीपतियों के हाथ से जितनी दिक्कतें हमारे एसोसियेशसं के रास्ते में पैदा करने की कोशिश की जाती है उतनी कोशिश हमारे विरोधी दल, समाजवादी दल के जो श्रमिक संघ हैं उनके साथ भी की जाती है।

माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने हमारे सामने एक मिसाल पेश की कि हम लोग राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के साथ, मिल जुल कर काम करें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर कोई भी यूनियन किसी प्रकार से मजदूरों के हित में कदम उठाती है तो इसमें हम शरीक हुये। मैं एक बार फिर अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले जितना लिट्रेचर श्रम विभाग ने छापा है उसकी एक एक प्रति हर माननीय मंत्री और उस विभाग के

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना]

सचिव के पास भेज दी जाय, क्योंकि सब से कम जानकारी श्रमिकों के कार्य के संबंध में उनको ही है। दूसरी बात यह है कि उपकार का कार्य जितना श्रम मंत्री जो कर सकते हैं वह उस कार्य को गौरव के साथ करेंगे। जितने भी लोग श्रमिक हैं चाहे वह कारखानों में काम करने वाले हों चाहे वह सरकारी काम करने वाले हों और चाहे पूंजीपतियों के अधिकार की बात हो, उन सबके लिये एक ही नीति का अनुसरण सरकार करे।

थोड़ा सा मिनिमम वेजेज के बारे में भी कह दूं। जो अवस्था अवस्थी जी ने बतलाई कि २६ रुपया माहवार कम से कम वेतन निश्चित हुआ और उसके ऊपर इन्सपैक्टर और कमिश्नर रखा जाता है उनके लिये जो खर्च किया जाता है वह बिलकुल फिजूल है। फैक्ट्री इन्सपेक्टरों के बारे में मैं श्रम मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि श्रम विभाग में जो फैक्ट्री इन्स्पैक्टर का काम है वह किसी काम का नहीं है। अगर कहीं पर शिकायत होती है, तो उस शिकायत को सुनने के लिये भी वे नहीं जाते हैं। श्रम विभाग रूपी चांद के मुंह पर यह विभाग काला धब्बा है। फिर उनकी क्या आवश्यकता रह जाती है? अन्त में मैं माननीय श्रम मंत्री से इतना निवेदन करूंगा कि आपने जो श्रमिकों के लिये वायदे किये हैं उसी नीति का पालन कीजिये और तभी श्रमिकों का कल्याण होगा।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझको इस विभाग की आलोचना नहीं करनी है। कुछ सुझाव हैं उनको रखना चाहता हूं यह कहा गया कि मजदूरों के बारे में यानी खेतिहर मजदूरों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मेरा ख्याल है कि हमारे माननीय मंत्री ने खेतिहर मजदूरों के बारे में भी कहा था। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री हुकुम सिंह जी ने जो जमीदारी अबालीशन में एक प्रावीजन रख दिया है कि जो लेबर उसमें काम करेंगे उसमें हिस्सा पायेंगे यानी उसकी पैदावार में, इसी नीति से देहात में अभी तक काम होता चला आता है।

हरवाहा जो हल जोतता है वह १६ वां या १७ वां या १८ वां हिस्सा उस पैदावार का पाता है। इसी प्रकारसे जो बढ़ई है, लुहार है तेली है उन सब का हिस्सा निकलता है जिसको बिस्वा कहते हैं। सहकारिता के आधार पर यह सब चीज होती है देहातों के अन्दर और इसी आधार पर सब का यह ख्याल होता है कि उत्पादन बढ़े, किसी तरीके से पैदावार बढ़े। इसी तरीके से उसी आधार पर यह बटाई मिलों के अन्दर होना चाहिये। मिलों में भी सहकारिता के आधार पर लेबर और कैपिटल दोनों में हिस्सा होना किसी तरह से मुमकिन हो तो वह बहुत ही सुन्दर होगा। यह तमाम झगड़े जो आज सुनने को मिलते हैं वह झगड़े सब खत्म हो जायेंगे और यह जो लेबर है उसको काम करने का मौका हर तरीके से मिलता रहेगा। अगर उसमें कुछ हिस्सा न दिया जाय तो उसका हिस्सा प्रोडेक्शन (उपज) में ही दिया जाय और वह फिर प्रोडेक्शन के लिये कोशिश करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने जिस श्रम नीति का यहां पर खुलासा किया यह सच है कि उसके बाद बहुत सी चीजें कहने के लिये नहीं रह जाती हैं। हमारे समाजवादी भाई ने इस बात की चर्चा की कि सरकार के कार्य की ही वजह से या दृष्टिकोण की वजह से यहां पर बहुत सी यूनियन या प्रतिद्वंदी संस्थायें जो मजदूरों के बीच काम करती हैं उनको बल मिल रहा है। मैं नहीं समझता कि उनके इस कथन में कोई सत्य है लेकिन मैं इतना मानता हूं और मेरा ख्याल है कि यह बात सच है कि जितनी संस्थायें मजदूरों में विभिन्न प्रकार की आयेंगी उतना ही मजदूर कमजोर होगा। इसलिये जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनकी इस मामले में जिम्मेदारी है कि वह मजदूर को राजनीति का अखाड़ा न बनावें। सरकार की भी इस में जिम्मेदारी है कि वह कुछ ऐसा रवैया अख्तियार करे जिस से मजदूरों के अन्दर जो रोज-रोज नये-नये दल बनते जा रहे हैं वह न बनने पायें। आखिर सरकार के पास

तमाम आंकड़े हैं और कुछ साधन भी हैं। उनके द्वारा उस को चाहिये कि वह किसी नतीजे पर पहुंचे और एक तथ्य पर पहुंचे कि हिन्दुस्तान में और उत्तर प्रदेश में वह कौन सी संस्था है जो ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी सेवा करती है और किसको ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का विश्वास प्राप्त है। सरकार चाहे किसी भी निश्चय पर पहुंचे और कोई भी निर्णय वह करे लेकिन उस को यह घोषित करना चाहिये कि वह भविष्य में केवल उसी संस्था से बातचीत और व्यवहार करेगी जो मजदूरों की विश्वास प्राप्त होगी। चाहे वह निर्णय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के पक्ष में हो या विपक्ष में, अथवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो या विपक्ष में इसकी शिकायत फिर किसी संस्था को न करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आप के द्वारा श्रम मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि कुछ उद्योग ऐसे हैं जैसे बिजली और इसी प्रकार के दूसरे कि जहां पर मालिक सरकार है। मैं समझता हूं कि जहां राष्ट्रीकरण की बात आती है वहां पर केन्द्रीय सरकार और उसके प्रतिबन्ध या उसकी जो नीति है श्रम के बारे में और जो उस की इंडस्ट्रीयल पालिसी है वह हमारे बीच में अड़ंगा डालती हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि अगर मजदूरों और मालिकों के बीच में लाभ के बटवारे की बात आती है जैसा कि एक भाई ने इशारा भी किया था तो कौन सी अड़ंगे की बात है? आज कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि बिजली कम्पनीज़ का जो राष्ट्रीयकरण है फिर आज वहां के काम में खामी क्यों है? मैं कहता हूं कि उनका भी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है बल्कि सहकारी करण हुआ है और अगर राष्ट्रीयकरण सही तरीके पर होगा तो निश्चय है कि उस मुनाफ़े में मजदूरों का भी हिस्सा हो जाता है लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर सोचें कि जो मुनाफा होता है उसमें मजदूर साझेदार हों।

मैं आप के द्वारा श्रम मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि ऐडजूडिकेशन (अधिनिर्णय) का हमारे यहां क्या हाल है। उन्होंने जो स्थिति स्पष्ट की उससे इस पर प्रकाश पड़ा लेकिन आज जो हालत है वह बहुत संगीन होती जा रही है। मैं आप के द्वारा मंत्री जी को बतलाऊंगा कि पिछले महीने में इलाहाबाद में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर मजदूरों की हालत जल्द ही ठीक नहीं की गई और इसी प्रकार के ढंग से मालिक झगड़े डालते रहे तो मजदूर अपने स्वत्वों की रक्षा के लिये हड़ताल पर चले जायं। आज यहां के मजदूर बहुत समझदारी से अपना काम चला रहे हैं लेकिन अगर हालत ज्यों की त्यों रहती है तो यह ख्याल नहीं किया जायगा कि प्रान्तीय सरकार या भारत सरकार उलझन में पड़ती हैं। वैसे आज तक मजदूर सुलह चाहता हैं और समझौता चाहता है। और वह सरकार को उलझनों में डालना नहीं चाहता। लेकिन यह बात भी जरूर है कि यदि उसकी हालत ठीक नहीं होती और उन अधिकारों से जो प्रादेशिक सरकार ने केन्द्रीय सरकार के स्वीकार कर लिये हैं मजदूरों को बंचित किया जाता है तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब कि मजदूर यूनियनों और मजदूर सभाओं के हाथ से निकल जाय और हमारी सरकार के हाथ से भी निकल जाये और अपना प्रश्न हल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले और बग़ैर नतीजा सोचे कोई ऐसा क़दम उठाये जिससे हमें हानि हो जाय।

इसलिये अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि, अगर कोई टेक्निकैलिटीज या विधान की अड़चनें हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिये और इस तरह का विधान बनाना चाहिये जिससे कि मजदूर का जीवन थोड़ा खुशनुमां हो और वह आज़ाद रहकर अपनी उन्नति के साधन प्राप्त कर सके।

श्री रामशंकर रविवासी (जिला लखनऊ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इसविषय पर कुछ कहने का विचार नहीं था लेकिन मैं आपकी आज्ञानुसार जो अनुदान माननीय श्रम मंत्री जी ने पेश किया है उसके लिये मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और यह चाहत

[श्री रामशंकर रविवासी]

हूं कि जो मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने बातें कही हैं, मजदूरों के बारे में सुझाव दिये हैं, उन पर मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

श्री मुरलीधर कुरील (कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे कुछ कहने का सुअवसर प्रदान किया। यहां मजदूरों के बारे में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। मैं भी आपके द्वारा श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो खेतिहर प्रदेश हैं, इसमें खेतिहर मजदूरों की समस्या बहुत अहम है। आप देखेंगे कि हमारे यहां दो तरह के मजदूर हैं, एक तो वे जो कोई खेत नहीं रखते हैं और दूसरे वे जो बटाई या साझेदारी पर अपना काम चलाते हैं। लेकिन अब जमींदारी उन्मूलन के बाद कोई भी किसान उन मजदूरों को अपना खेत देने के लिये तैयार नहीं होगा, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो उसका खेत ही मजदूर के पास चला जायगा। इस वजह से अब ऐसे मजदूरों का मसला और भी अहम हो गया है कि उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा ? उनके रखने और निकालने या छुट्टी देने की कोई नियम नहीं हैं। ये ऐसे मजदूर अधिकतर हरिजनों में ही होते हैं। इसलिये मैं आपका ध्यान खासतौर से इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यदि आप इस परिवर्तन के युग में हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं तो इन खेतिहर मजदूरों का ख्याल कीजिये। इसलिये आपको चाहिये कि आप कोई इस तरह की कमेटी बनावें जो हरिजन मजदूरों की हालत की जांच करे और कुछ नियम बनाकर उनका कल्याण करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री रामदास (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस श्रम के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। माननीय श्रम मंत्री जी ने इस अनुदान को बहुत अच्छे ढंग से रखा है। मैं तो उस समय उनको धन्यवाद दूंगा जबकि यह ठीक रूप में कार्यान्वित होगा। श्रमिक समाज हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसका कितना सम्मान और आदर करते हैं। यदि श्रम समाज न हो तो हमारा संसार का कार्य ही चलना कठिन हो जाय। हमारा कार्य नहीं चल सकता है।

आज हमारा यह समाज कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ तो मिलों में काम करने वाले, कुछ खेतों पर काम करने वाले और कुछ मजदूर ऐसे हैं जो शहरों में सफाई इत्यादि और दूसरे उद्योग करके अपनी जीविका कमाते हैं। अभी मिल मजदूर और खेतिहर मजदूरों का काफ़ी जिक्र आपके सामने हुआ। यह भी कहा गया कि उनकी बोनस, तनख्वाहों, बच्चों की शिक्षा और सेहत का प्रबन्ध ठीक नहीं है, उसमें उन्नति होनी चाहिये। खेतिहर मजदूर की समस्या भी हम अभी हल नहीं कर सके हैं।

माननीय श्रम मंत्री जी ने खेतिहर मजदूर का जिक्र करते हुये यह कहा कि उनकी तनख्वाहें इस प्रकार से नियत की जावें जिससे उन्हें सुविधा मिले। देहात के मजदूरों की दशा आप सब जानते हैं। उनके पास न कपड़ा है, न रोटी ही ठीक मिलती है और न उनके रहने की कोई उचित व्यवस्था ही है। एक छोटे से झोपड़े में सात सात और आठ आठ आदमी रहते हैं। अति दुखी हैं ऐसे लोगों के लिये आबादी के निकट वाली भूमि अलाट कर सरकारी रेट पर दी जाय। ऐसी परिस्थिति में उसके लिये कुछ करना आवश्यक हो जाता है। आज उनके रोजगार का कोई उचित साधन नहीं रहा है। उनके बच्चे नंगे हैं। उनकी शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। हमारी पंचवर्षीय योजना में यह प्लान बनना चाहिये था कि उनके बच्चों की एजूकेशन मफ्त और लाजिमी हो और उसका यहीं से उद्घाटन होना चाहिये था। इससे सब प्रकार के मजदूरों की दशा सुधर सकती थी। आज ये सारी बातें देखते हुये हमें इस बात पर जाना पड़ता है कि जहां मजदूर लोग समाज और सरकार की तरफ आंखें लगाये देख रहे हैं। वहां वह समाज से भी आशा करते हैं और सरकार से भी कि वे उनकी मांगों को पूरा करें। हमारी कांग्रेस

की कामयाबी बहुत हद तक मजदूरों पर ही निर्भर है । मैं समझता हूं कि यह सराहनीय है कि उन्होंने कांग्रेस को ही वोट दिये और वे यह समझ कर दिये थे कि उनकी उन्नति होगी । मैं बहुत से गांवों में जिला श्रमिक संघ मुजफ्फरनगर के प्रधान के नाते भी गया । मजदूरों के कई किस्से हमारे सामने आये । हमने नहीं चाहा कि उनका एक घंटे के लिये भी काम बन्द हो जाय । इससे देश को बड़ी हानि पहुंचती है । तो हमने उनके कई मामले आपस में निबटा दिये लेकिन फिर भी हम संतोष नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि जो कुछ उन्हें मिलता है वह पर्याप्त नहीं है । मैं चाहता हूं कि उनके जो झगड़े रोजाना हो रहे हैं उन झगड़ों के निवारण के लिये जिले में कमेटियां बनाई जायं जिनमें मजदूरों और किसानों के तथा सरकारी उच्चाधिकारी नुमाइन्दे हों । वही कमेटी उन झगड़ों का तस्फिया करे । जब इस प्रकार से तस्फिया हो जायगा तो जो रुपया इन झगड़ों में खर्च होता है वह देश की उन्नति में खर्च होगा । क्योंकि समय बहुत थोड़ा है मैं सारी बातें नहीं कह सकता हूं । हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि श्रमिकों के लिये क्या क्या जरूरत है । उनकी क्या मांगें हैं जो पूरी होनी चाहिये ।

दूसरे देशों में मजदूरों को काफी अधिकार दिये गये हैं, उनके लिये काफी सुधार हुआ है । वहां पर जब मजदूर अपना काम समाप्त कर लेता है तो समाज में उसका दूसरे लोगों की भांति आदर होता है । अगर यहां भी ऐसा होगा तो वह ऊंचा उठेगा । दूसरे देशों में इसकी सुविधा होती जा रही है लेकिन आज हमारे देश में जो परिस्थिति है उसमें, ढीलापन है । मैं समझता हूं कि इस समस्या पर अवश्य ध्यान दिया जाय । उनकी कोई भी समस्या हो चाहे वह शिक्षा की हो, रहने की लिये मकान की हो, रोजगार की हो, उनके लिये खेती के लिये दी जाने वाली भूमि की हो, उनकी सेहत की हो, स्वास्थ्य की हो या उनके इलाके को ऊंचा करने की हो, उन सब में उसे सुविधा मिलनी चाहिये । अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और आशा करता हूं कि वे इस कार्य में अवश्य ही कामयाब होंगे ।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)––अध्यक्ष महोदय, मैं अपने श्रम मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने देहात के मजदूरों के मिनियम वेजेज का प्रबन्ध करने के लिये सन् १९५३ तक का आश्वासन दिया है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––इससे पहले ही ।

श्री जयपाल सिंह––बहुत बहुत शुक्रिया । इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि देहात में मजदूरों को दो प्रकार से मजदूरी दी जाती है । एक तो अनाज के रूप में और दूसरे पैसे के रूप में । चाहे वह मजदूरी पैसे में हो या अनाज में हो उसको दोनों वक्त पेट भर खाने को मिलना चाहिये । अगर दोनों वक्त उसको पेट भर खाने को नहीं मिलता अगर वह अनाज दिये जाने से आधे पेट ही रह जाता है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वह अच्छी तरह से जिन्दगी व्यतीत करता है । अगर उसको पैसा दिया जाता है लेकिन वह पेट भर खाना नहीं खा पाता तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वह अच्छी तरह से जिन्दगी व्यतीत करेगा ? अपने बच्चों के लिये शिक्षा का, रहने के लिये मकान का और दवादारू के लिये अच्छी तरह से प्रबन्ध कर सकेगा । यह कैसे हो सकता है ? मैंने यह देखा कि पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की । वह यहां से इंक्वायरी करके ले गई । सेंट्रल गवर्नमेंट से यहां की गवर्नमेंट को आदेश आये । प्रेस नोट में मैंने देखा कि जल्द ही मजदूरों के विषय में कोई क़दम उठाया जाने वाला नहीं है । जो देरी अब तक हुई है उसके लिये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि देरी अवश्य हुई है लेकिन अब जल्द ही कदम उठाया जाना चाहिये । जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के लाखों करोड़ों मजदूरों को भी यह आशा थी कि हम भी आजाद हो गये हैं हमको भी खाना और कपड़ा आसानी से मिल सकेगा जिस तरह से कि दुनिया के दूसरे लोग

[श्री जयपाल सिंह]

रहते हैं उनकी भांति हम भी उन्नतिशील हो कर रहेंगे और हमको जल्द ही अधिकार दिये जायंगे। लेकिन अब मैं देखता हूं कि उसमें काफी देरी हो गई है। प्लानिंग कमीशन ने भी इसके लिये काफी रिकमेंडेशन (सिफारिश) की अगर उन्हीं को देखा जाय तो मैं कहूंगा कि इस वक्त के जो तरीके हैं और उनके साथ मेहरबानियां करने के जो ढंग हैं वे उपहासमात्र हैं। हम धीमी रफ्तार से चल रहे हैं हमें उस रफ्तार को तेज करना होगा। तभी गवनमेंट का लाभ हो सकता है, तभी मजदूर का लाभ हो सकता है और तभी देश का भी कल्याण हो सकता है। मैंने देखा कि पिछले दिनों मजदूरों और किसानों में जो झगड़े हुये वे व्यापक रूप से इसी कारण हुए कि मजदूरों के रहन-सहन को कैसे ऊंचा किया जाय कैसे उनको रोटी पेट भर खाने को मिले, कपड़ा तथा मकान का समुचित प्रबंध हो सके। बहाना किया जाता है कि इससे कम्युनिज्म फैलता है। यह तो उनकी रोटी का सवाल है उनके कपड़े का सवाल है, उनके मकानों का सवाल है और उनके रहन-सहन का सवाल है। आज उनके सामने सवाल तो यह है कि उनकी शिक्षा कैसे हो, आज उनको यह भी नहीं मालूम होता है कि उनको क्या बीमारी है और उस बीमारी से मरने के बाद ही वे घर से निकलते हैं। तो ऐसी अवस्था में मजदूरों की भलाई व बहबूदी की तरफ तवज्जह करने के लिये जल्दी ही कदम उठाना चाहिये। अगर वे किसी तरह की शिकायत पुलिस के सामने करते हैं तो उल्टे पुलिस उन्हीं को डांटती डपटती है और उनको धमकी देती है और बाज वक्त तो ऐसा होता है कि उन्हें जेलखाने तक में भेज देती है। ऐसी हालत में मजदूरी के कारण जो झगड़े होते हैं उसके लिये अच्छा यही है कि आप उनकी मजदूरी चाहे जिस शक्ल में हो, अनाज की शक्ल में या पैसे की शक्ल में ही निर्धारित कर दें अगर इस चीज की ठीक व्यवस्था की गयी तो सब दिक्कतें दूर हो जायंगी। इसके अलावा दूसरे और तरीके भी अख्तियार किये गये हैं।

पंच वर्षीय योजना में जो सिफारिश की गई अगर आप देखें तो उससे उनको काफी सुविधा हो सकती है और वे काफी ऊंचा उठ सकते हैं। मैं समझता हूं कि उनको कार्यान्वित करना चाहिये वे सब से पहले प्लानिंग कमीशन ने जो तरीका बतलाया है वह मिनिमम वेजेज़ का है--

"The Minimum Wages Act, which was passed in 1948 has to be enforced in the first instance in those areas in which the level of rural wages is found to be relatively low on account of the presence of certain exploitive factors. State Governments should take early steps to determine suitable minimum wages, care being taken to provide also the requisite administrative machinery.

Minimum wages should also be prescribed for workers engaged on farms above a certain size. This may be, broadly, the size fixed for registered farms. On these farms, since agriculture will be organised on a commercial basis, it should be possible out of the proceeds to pay a reasonable wage to the worker. It may be expected that without making it necessary for the State Government to enforce minimum wages throughout its territory, the level of wages determined for registered farms will influence wages in the surrounding areas, This selective approach may achieve in large part the purpose of universal enforcement of minimum wages throughout a State. Such universal enforcement by itself represents an administrative task which is at present beyond the capacity of the machinery at the dis-

posal of Government and may tend to reduce the volume of rural employment to the immediate detriment of the agricultural worker.

In the settlement of all newly reclaimed land, after allowing for such areas as may be required for State farms, preference should be given to co-operatives consisting of landless workers.

A progressive social welfare policy designed to improve the living conditions and social status of the agricultural labourer should be followed in particular in matters such as allotment of residential sites in villages, supply of drinking water etc. Beneficial legislation such as that relating to debt conciliation, which at present applies only to persons holding land should also be made applicable, under suitable conditions, to agricultural workers. Restrictions which still fetter the agricultural labourer in many parts of the country should be removed, wherever necessary, by legislation. Further, through stipends and larger opportunities for vocational education and training, it should be the State's endeavour to produce among agricultural labourers the type of leadership and the level of understanding of the needs of the village community as a whole, without which re-organisation of the rural economy on lines described in this chapter may meet with serious difficulty."

[मिनिमम वेजेज ऐक्ट जो १९४८ में पारित हुआ था उसे सर्वप्रथम उन क्षेत्रों में लागू करना चाहिये जिनमें कुछ शोषणकारी बातों के कारण ग्रामीण मजदूरियों का स्तर सापेक्षतया कम हो। राज्य सरकारों को उपयुक्त कम से कम मजदूरी निश्चित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये, इस बात का ध्यान रखते हुये कि आवश्यक प्रशासनीय मशीन का भी उपबन्ध किया जाय।

एक खास आकार के फार्मों से बड़े फार्मों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए भी कम से कम मजदूरी नियत हो जानी चाहिये। यह, विस्तृत रूप से, वह आकार हो सकता है जो रजिस्टर्ड फार्म्स के लिए नियत है। इन फार्मों में, क्योंकि कृषि एक व्यावसायिक आधार पर संघटित होगी, यह सम्भव होना चाहिये कि उत्पादन से मजदूर को उचित मजदूरी मिल सके। यह आशा की जा सकती है कि राज्य सरकार के लिये यह अनिवार्य किये बिना कि वह समस्त प्रदेश में कम से कम मजदूरी लागू करे उन रजिस्टर्ड फार्मों पर मजदूरी का निर्धारित स्तर आस-पास के क्षेत्रों में मजदूरी पर प्रभाव डालेगा। इस वरणात्मक मार्ग से समस्त राज्य में कम से कम मजदूरी को सार्वभौम रूप से प्रवर्तित करने के प्रयोजन में अधिकांशतः सफलता प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार सार्वभौम प्रवर्त्तन स्वयं एक प्रशासनीय कार्य को उपस्थित करता है जो इस समय उस शासन-तंत्र की क्षमता से बाहर है, जो सरकार के पास है, और हो सकता है कि उससे वह ग्रामीण नियोजन की मात्रा कम हो जाय जिससे खेतिहर मजदूर को तत्काल हानि पहुंच सकती है।

समस्त नवीन कृष्यकृत भूमि के बस्ती वाले स्थानों में ऐसे क्षेत्रों को छोड़ कर जो राज्य फार्मों के लिए आवश्यक हों, उन सहकारी संस्थाओं को अधिमान दिया जाना चाहिये जिनमें भूमिहीन मजदूर हों।

खेतिहर मजदूरों के सामाजिक स्तर तथा रहन-सहन की दशा के सुधार के लिए एक प्रगतिशील सामाजिक कल्याणकारी नीति विशेष रूप से ऐसे विषयों में

[श्री जयपाल सिंह]

अनुसरण की जानी चाहिये, जैसे गावों में आवास स्थानों के वण्टन, पीने का पानी देना आदि। लाभदायक विधान, जैसे कि ऋण संराधन के सम्बन्ध में विधान जो इस समय उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिसके पास भूमि है, वह उपयुक्त शर्तों के साथ खेतिहर मजदूरों पर भी लागू होना चाहिये। ऐसे निर्बन्धन जिनसे किसान मजदूर अभी तक देश के बहुत से भागों में बंधे हैं, जहां कहीं आवश्यक हों विधान द्वारा हटा देने चाहिए। इसके अतिरिक्त, वृत्तियों एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की अधिक सुविधाओं द्वारा राज्य को खेतिहर मजदूरों में एक प्रकार का नेतृत्व एवं समस्त ग्रामीण जनता के बीच समझौते की भावना पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिये, जिसके बिना ग्रामीण अर्थनीति का पुनः संघटन उस ढंग पर जिसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है अत्यन्त कठिनाई में पड़ सकता है।]

अध्यक्ष---माननीय सदस्य पूरी की पूरी किताब न पढ़ें। वे माननीय मंत्री जी को बतला दें, वे अच्छी तरह से किताब देख सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह---बहुत अच्छा। मेरे निवेदन करने का मक़सद यह है कि उसूलों को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाय। और उनकी तरफ खासतौर से तवज्जह देनी चाहिये कि वे किस हालत में रहते हैं, उनकी तनदुरुस्ती की क्या हालत है, उनके घरों के दरवाजे कैसे हैं, उनके गलियारे कैसे हैं। उनको जमीन तक भी मयस्सर नहीं है। उनको नई तोड़ को सरकार द्वारा अथवा खेती लायक जमीन जो भी जमींदारी उन्मूलन के बाद ग्राम समाज के अधिकार में आवे वह उनको दी जाय और देहातों में, ग्रामों में पांच-पांच या दस दस ग्रामों के केन्द्रों में घरेलू दस्तकारियों को चालू किया जाय तभी उनका कल्याण हो सकता है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमजीवियों की समुन्नति के लिये जितनी बातें हमारे सामने कही गयी हैं, मैं उन सभी का समर्थन करता हूं। मैं मानता हूं कि हमारे श्रमजीवियों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर समुन्नत होना चाहिये और उनके विकास के लिये वे सारी सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें जो किसी भी एक विकसित या समाज के लिये आवश्यक होती हैं।

किन्तु इसके साथ ही साथ एक दूसरा पहलू भी है जिसकी ओर मैं अपने सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह पहलू यह है कि हमारे सामने जब श्रम की समस्या उपस्थित होती है तो उस समय उत्पादन जो हमारे राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है उस प्रश्न को हम गौण बना देते हैं और यह स्मरण नहीं रखते, इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उत्पादन जिसके आधार पर ही केवल श्रमजीवियों का स्तर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज का स्तर, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभी प्रकार का स्तर, सम्पूर्ण देश का समुन्नत किया जा सकता है। यदि उसमें किसी प्रकार की, क्षति पहुंचती है, यदि हम विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों के चक्कर में फंस जाते हैं और हम उत्पादन के घटाने में किसी प्रकार से सहायक होते हैं तो हम न श्रमजीवियों का हित करते हैं और न देश का हित करते हैं।

आज देश की जो समस्या है यदि हम उस पर ध्यान दें तो हमको मालूम होगा कि सब से अधिक जो हमारे सामने कठिनाई है वह यह है कि अधिकार की मांग सर्वत्र होती है, किन्तु उत्तरदायित्व और कर्तव्य की तरफ ध्यान दिलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आज हर एक व्यक्ति, हर वर्ग यह चाहता है कि उसकी आमदनी पांच सौ हो तो पांच हजार हो जाय। लेकिन उसके साथ साथ वह यह नहीं देखते कि पांच सौ या पांच हजार आमदनी करने के साथ साथ हमारा जो फर्ज है समाज के प्रति, हमारा जो फर्ज है अपने देश के प्रति, उसकी तरफ भी हम कर्मनिष्ठ हों।

मैं भी एक श्रमजीवी वर्ग का सेवक हूं। मैंने इस बात का अनुभव किया है कि श्रमजीवियों के हितों का चित्र हमारे श्रमजीवी नेता जिस प्रकार उपस्थित किया करते हैं, उससे उनका हित नहीं होगा उसका हित तो होगा और हो रहा है हमारी सरकार की श्रमनीति के परिणामस्वरूप क्योंकि हमारी सरकार श्रमजीवियों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना चाहती है। हित तो उसका होना ही है, किन्तु जिस प्रकार का वातावरण या जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करके हम श्रमजीवियों को अधिकाधिक लाभ पहुंचा सकें श्रमिक नेता वह नहीं कर रहे उलटे श्रमजीवी आन्दोलन उनको राजनैतिक क्षेत्र में लाकर, राजसत्ता प्राप्त करने के लिये श्रमजीवियों को अपना टूल बना कर उनको एक्सप्लायट कर रहे हैं। अतः वे भी उतने ही क्रिमिनल हैं जितने कि कैपिटलिस्ट्स जिनको हम यहां पर आये दिन कंडेम (निन्दित) किया करते हैं।

मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं केवल अपने श्रमजीवी नेताओं से इतना ही अनुरोध करता हूं, अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि वे जिस वक्त श्रमजीवियों के अधिकारों की बात करते हैं उस वक्त मैं यह सुनना चाहूंगा कि वे अपने प्लेटफार्म पर खड़े होकर श्रमजीवियों से यह कहें कि उनका पहला कर्तव्य है कि वह उत्पादन को बढ़ाने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करें। जैसे आज उनके उच्छृंखल भाषण होते हैं, जिस प्रकार श्रमिकों को उत्तेजित किया जाता है, यह संभव नहीं है कि वह अपना सारा ध्यान उत्पादन की तरफ लगा सकें। मैंने पहले ही कहा कि मैं उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर को समुन्नत करने के लिए जो भी अनुदान उपस्थित किये जायं उनका सम्पूर्ण समर्थन करता हूं। परन्तु अधिकार के साथ-साथ, उत्तरदायित्व और कर्तव्य यह दोनों साथ-साथ चलते रहें, इतना ही मेरा श्रमजीवी नेताओं से निवेदन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, आज से ६ साल पहले इसी माननीय सदन के अन्दर हमारे आदर्णीय श्रम मंत्री ने जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ पूंजी वाद का विनाश करने के बारे में भी एक प्रस्ताव रखा था। मुझे आशा थी कि जमींदारी उन्मूलन होने के बाद इस प्रदेश में पूंजीवाद को नष्ट करने क लिय मजदूरों को राष्ट्रीयकरण के द्वारा पूरा अधिकार उद्योग-धंधों में देकर हमारे माननीय श्रम मंत्री श्रमिकों के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। लेकिन मुझे उनके भाषण को सुनकर इस मामले में बड़ी निराशा हुई। खैर, राष्ट्रीयकरण की बात और मजदूरों के अधिकार की बात तो दूसरी थी।

प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया, लेबर इंक्वायरी रिपोर्ट में भी कहा गया। न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया, और-और मुल्कों में भी जहां राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने मजदूरों को उद्योग-धंधों में अधिकार दिया है, वहां बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबी मिल रही है। आप बाल्डविन का "पार्टनरशिप आफ लेबर" की थ्योरी लें या माननीय हेयर साहब ने अपनी किताब में जो लिखा है उसपर ध्यान दें :—

"The system of labour directors, however, and the consultative voice in the management of the business which they secure have undoubtedly been a success."

[तो भी श्रम संचालकों की प्रणाली और उस व्यवसाय के प्रबन्ध में परामर्श देने का अधिकार जिसे वे प्राप्त करते हैं, निःसन्देह एक सफलता है।]

तो अगर इस मामले में भी माननीय मंत्री जी कोई प्रयोग करते तो खुशी होती। जहां तक बजट का सवाल है मैं समझता हूं कि पिछले साल के अन्दर मजदूरों को सालाना आमदनी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कम प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि चीनी उद्योग को छोड़कर बाकी जितने उद्योग धंधे हैं, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, उनमें मजदूरों की आमदनी कम हुई है। काटन मिल्स में पिछले साल १,०९५ थी तो इस साल १,०६२ है। जूट मिल्स में पिछले साल ९४५ थी और इस साल ८२६ है। वूलेन मिल्स में पिछले साल १,२०६ रुपये आमदनी थी और इस साल १,००१ है। आइल मिल्स में पिछले साल ६८० थी और इस साल ६६२ हैं। ग्लास फक्ट्रीज में पिछले साल ६४१ और इस साल ६१६। जनरल प्रिंटिंग और बुक-बाइंडिंग में पिछले साल ८१३ और इस साल ८०३। तम्बाकू फैक्ट्रीज में पिछले साल, १,२३३ और इस साल १,१००। पेपर मिल्स में पिछले साल १,०३० और इस साल ९५४ रही। तो मैं देखता हूं कि शहर के मजदूरों की जो आमदनी बढ़ती रही वह इस साल गिरनी शुरू हो गयी है।

मिनिमम वेजेज के बारे में यह ठीक है कि तीन मुख्य उद्योगों में ऐग्जेम्पशन (छूट) के कारण मिनिमम वेजेज फिक्स नहीं की गयीं। लेकिन उनके ऐग्जेम्पशन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। कालीनों के बुनकरों के बारे में, जुलाहों के बारे में, प्लाण्टेशनों के बारे में और गांव पंचायत के बारे में ऐग्जेम्पशन दिया गया है। ऐग्रिकल्चरल लेबर के बारे में जो दिक्कतें बताईं वह हैं। श्रमिकों का सवाल जब आता है तो कुछ नहीं किया जाता है। प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ६० एकड़ से ऊपर के फार्म को रजिस्टर्ड फार्म बनाना चाहिये। तो एस चीज के इम्पलीमेंटेशन की जरूरत थी और रजिस्टर्ड करके ऐसे फार्मों को रीजनल कंट्रोलिंग अफसर के यहां लिस्ट रखी जाती और आदेश दिये जाते कि नियत मजदूरी मजदूरों को दे दी जाय। इतने तो आदेश दे ही सकते थे। इसके साथ ही साथ जहां तक कि यू० पी० शाप और एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट का सवाल है और बहुत से सवाल हैं वहां हम देखते हैं कि दो बड़े शहर हैं जहां पर वह लागू नहीं किये गये हैं। जब हम इस बजट को देखते हैं तो जहां तक ट्रेड यूनियन के दफ्तर में और शहरों में जाकर यह मालूम होता है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू नहीं किया गया। जहां तक निम्बकर इन्क्वायरी कमेटी का ताल्लुक है जो सन् ४७ में माननीय मालवीय जी के समय में हुई उसका जिक्र पिछले दो सालों की रिपोर्ट में उसका जिक्र आता है लेकिन इस साल की रिपोर्ट में उसका जिक्र तक नहीं आता।

हमें एक सवाल के जवाब में माननीय श्रम मंत्री ने बताया था कि जो बड़े-बड़े एक्स्पर्ट हैं उन्होंने भी ऐडजुडिकेशन के सम्बंध में सरकार के पास चिट्ठियां भेजी, लेकिन जो हालत हुई और जो मिसाल मैंने दी उसके बारे में मंत्री जी ने नहीं बतलाया। तो मैं कहता हूं कि जिन सरकारी उद्योगों में आज तक कोई मिनिमम वज नहीं रखी गयी है उसको तो कम से कम माननीय मंत्री जी नियत करें। पी० डब्ल्यू० डी० की मिसाल जब मैंने दी तो मंत्री जी को बाहरी प्रोपगंडा मालूम हुआ लेकिन जो आज हमारे शर्मा जी या अवस्थी जी ने कहा उससे साबित होता है कि यह सोशलिस्ट पार्टी का बाहरी प्रोपेगंडा नहीं, बल्कि सत्य है जिसको सभी माननीय सदस्य मानते हैं। तो कम से कम पी० डब्ल्यू० डी० के निम्न वर्ग के कर्मचारियों की तो दैनिक मजदूरी तय करें और जो चपरासी हैं या छोटे कर्मचारी हैं अगर वह निकाल दिये जाते हैं तो उनके लिये भी कोई ट्रायब्यूनल होता, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट होता तो हम कुछ समझते। आज मजदूरों को मुकदमेबाजी सिखाई जा रही है। जितने भी ऐक्ट बनाये जाते हैं, जितने भी कानून बनाये जाते हैं उनके अनुसार यह कहा जाता है कि इस कोर्ट में जाओ, उस ट्रिब्युनल में जाओ। जो केन्द्र के माननीय श्रम मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि इस मुकदमेबाजी को मैं नहीं चाहता, मैं नहीं जानता कि इस संबंध में हमारे मंत्री जी की क्या राय है।

मुकदमेबाजी करने के लिये मजदूरों के पास पैसा नहीं होता है, कहां से वे बैरिस्टर रखें, मजदूर कार्यकर्त्ता कानूनी किताबें लिये हुये दौड़ते फिरते रहते हैं। इसके साथ-साथ हम यह देखते हैं कि जब कभी कोई मुकदमा गलती से कहिये या न्याय की दृष्टि से कहिये, बड़ी

कोशिश के बाद मजदूरों के हक़ में तय हो जाता है तो हमारी सरकार उसको ठुकरा देती है। तो इसी सदन में यह कहा जा चुका है कि इंडियन लेबर ट्रिब्युनल ने मार्टिन बर्न ऐंड कम्पनी के संबंध में जो अपना फैसला दिया उसको हमारी सरकार ने रद कर दिया। ऐसी कार्यवाहियों से मजदूर निराश होते हैं। मजदूर रुपये खर्च करते हैं, मजदूर कार्यकर्त्ता परेशान होत है और जब उनके पक्ष में फैसला हो जाता है तो सरकार उसको मानती नहीं है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि अगर यही व्यवस्था रही, अगर किसी प्रकार मुकदमेबाजी के सिद्धांत को मजबूत किया जाता रहा, तो इससे नौकरशाही के हाथ मजबूत होंगे, मजदूर और निराश होगा और इस प्रकार की निराशा से क्रांति के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब विरोधी पक्ष की ओर से वही पुरानी बात आई० एन० टी० यू० सी०. की और टी० यू० सी० की और दूसरी यूनियनों के झगड़े की बात कही गयी। मैं समझता था कि माननीय मंत्री महोदय के भाषण के बाद इस तरह की बात नहीं कही जायगी और हम समझ लेंगे कि मजदूर आन्दोलन एक है और उसमें आई० एन० टी० यू० सी० टी० यु० सी० का भेदभाव नहीं है और हम सब मजदूर प्रगति की ओर ध्यान देंगे। उन्हें मालूम होगा कि सन् १९४९-५० में हमारे प्रान्त में ५३० यूनियनें थी, जिनमें से केवल ३४६ ने अपना हिसाब दाखिल किया था और १८४ ऐसी यूनियनें थीं जिन्होंने अपना हिसाब नहीं भेजा था। २४९ ऐसी युनियनें थी जिन की मजदूर संख्या पांच सौ से नीचे थी और केल ९७ ऐसी यूनियनें थीं जिनकी मजदूर संख्या पांच सौ से ऊपर थी। हमें तो दरअसल इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि मजदूर की यूनियनों की संख्या दिन प्रति दिन घटती जा रही है और उसका कारण यह है कि मजदूरों में राजनीतिक रस्सा कशी होती रहती है। होना तो यह चाहिय था कि राजनीतिक रस्सा कशी के बजाय हम एक सामूहिक संघटन करके मजदूरोंके हित की बात करते। रोज-रोज हमको यह सुनने में आता है कि आई० एन० टी० यू० सी० यह करती है, टी० यू० सी० यह करती है, वही पुरानी बात रोज कही जाती है। हम अपने श्रम मंत्री के भाषण के बाद यह आशा करते थे कि वे इस निश्चय पर पहुंचेंगे कि आज से ये झगड़े नहीं होंगे और जितने कार्यकर्त्ता हैं कन्धे से कन्धा मिला काम करेंगे और मजदूरों के हित का काम करेंगे।

आज एक नयी बात मुझे इस सदन में सुनने को मिली। यह कहा गया कि मजदूर कार्यकर्त्ता केवल पार्टी पालिटिक्स में पड़े रहते हैं, वे केवल मजदूरों को भड़काने का काम किया करते हैं, वे हमेशा मजदूरों को स्ट्राइक के लिये भड़काते रहते हैं। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मुमकिन है कि कुछ हमारे साथी इस बात को सही समझते हों, लेकिन जहां तक आई० एन० टी० यू० सी० का व्यू प्व इंट रहा है उसने हर इजलास में यह कहा है कि हमने मजदूरों के कर्त्तव्यों की ओर उनका ध्यान दिलाना है और साथ ही साथ मिल मालिकों के कर्तव्यों की ओर उनका ध्यान दिलाया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम शांतिमय तरीके से सरकारी आदेशों का पालन करते हैं लेकिन मिल मालिकों की ओर से बराबर सरकारी आदेशों के विरुद्ध काम होता है फिर भी न उनका प्राशिक्यूशन होता है और न वे जेल में भेजे जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हमें ऐसी बात सुनने को मिलती है कि मजदूर अधिकार की बात करते हैं। कर्त्तव्य की बात नहीं करते। आज मिल के मालिक नयी-नयी बात करते हैं, वे इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। एफ़िशिएंसी की बात करते हैं और इम्प्रूवमेंट के नाम से करते यह हैं कि किसी मशीन का पूर्व से पश्चिम में मुंह कर देते हैं और किसी का उत्तर से दक्षिण की तरफ कर देते हैं और इसमें ५०० मजदूरों की छटनी करके निकाल देते हैं।

जवाहरलाल जी का भाषण इलेक्शन के जमाने में इलाहाबाद में हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि वह इम्प्रूवमेंट जो केवल इसलिये किया जाता है कि मजदूरों की छटनी की जाय वह देश के लिये बहुत अहितकर है। मैं समझता हूं कि आज कल के मिल मालिकों का यह उद्देश्य है कि किसी तरह से मजदूर की छटनी की जाय। मजदूर के पास पैसा नहीं है, वह निरीह है। केवल छोटे-छोटे कार्यकर्त्ता उसके पास हैं। मिल मालिकों के पास पैसा

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

है, उनका एम्पलायर्स एसोसियेशन है, उनके पास बड़े-बड़े बैरिस्टर्स हैं। नतीजा यह होता है वे बड़े-बड़े कानून बम्बई हाईकोर्ट के और मद्रास हाईकोर्ट के लाकर रख देते हैं और मजदूर हार जाता है। मजदूर तो फ़ील्ड वर्कर है, जिसके कारण वह कानून की टेक्निकैलिटीज़ से वाकिफ़ नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि मजदूर का पक्ष ठीक तरह से सामने नहीं रखा जाता है और उसको तकलीफें उठानी पड़ती हैं।

ख़ासतौर पर मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान आज की जो डिफ़ेक्टिव कंसीलियेशन मशीनरी है उसकी ओर दिलाऊंगा। यह तो बिलकुल बेकार है। मैं यह कहता हूं कि जो पहले मशीनरी थी, जिसमें इतनी ज्यादा अदालतें नहीं थीं वह बहुत अच्छी थी। हर मामला ऐडजुडिकेशन में चला जाता था और ऐजुडिकेटर मौके पर जाकर उसको तय कर दिया करता था। आज अदालतों की बढ़ती होती चली जाती है, खर्चा बढ़ता चला जाता है लेकिन मजदूर का उसमें हित नहीं होता है। मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मशीनरी को जल्द से जल्द ओवरहाल (आमूल परिवर्तन) करें।

दूसरी बात यह है कि मिल मालिक अपने पैसे के बल पर स्थानीय अधिकारियों को और खासतौर से पुलिस के अधिकारियों को खरीद लेता है। इसका नतीजा यह है कि आज पुलिस के अधिकारी मिलों के मामलों में बहुत काफ़ी दख़ल देने लगे हैं। मैं बाराबंकी की हालत का जिक्र करूंगा। वहां की बिजली कम्पनी के मजदूरों के ऊपर हाल ही में एक ऐसा इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने सैबोटेज किया। उसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि पुलिस ने रिपोर्ट दी कि कोई मामला साबित नहीं होता लेकिन साथ ही में सिफ़ारिश की कि अच्छा हो कि उन मजदूरों को निकाल दिया जाय। यह उन्होंने अपने स्कोप से बिलकुल बाहर की बात की। किसी मजदूर का निकालना या न निकालना श्रम विभाग का काम है, ऐजुडिकेशन का काम है लकिन वहां के एस० पी० ने एक बेजा बात की। नतीजा यह होगा कि ऐजुडिकेशन के सामने जब वह मामला जायगा तो एस० पी० साहब की राय काबिल यकीन मानी जायगी और उन मजदूरों का अहित होगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पुलिस और श्रम दोनों के मंत्री हैं तो आपको ऐसा आदेश देना चाहिये कि पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों में बिलकुल हस्तक्षेप न करें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण के दौरान में कई माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान मजदूरों की कठिनाइयों की ओर आकृष्ट किया। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कुछ सलाह दी गयी, कुछ सुझाव भी दिये गये। उन सब बातों की ब्योरेवार चर्चा तो मैं यहां नहीं कर सकता सिवाय इसके कि यह कहूं कि मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जो मुख्य मुख्य शिकायतें हैं उनको देखूं और जो सलाह दी गयी है, जो सुझाव दिये गये हैं उनकी बाबत भी गौर करूं कि उनमें से किन किन पर अमल करना गवर्नमेंट के लिये संभव है। फिर भी दो चार महत्वपूर्ण बातें कही गयी हैं। उनके संबंध में थोड़े में मैं कहूंगा। जैसे श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी और श्री बहुगुना ने एक ऐसे प्रश्न का जिक्र किया जो कि किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट के सामने काफ़ी अर्से से आता रहा है। वह प्रश्न यह है कि जो सरकारी विभाग बड़ी संख्या में मजदूरों से काम लेते हैं उनमें वह कानून लागू किये जायं या न किये जायं जो और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये लागू किये जाते हैं। इससे मिलता जुलता प्रश्न यह भी है कि सरकारी विभाग न सही बल्कि अर्द्ध सरकारी विभागों में तथा संस्थाओं में जैसे म्युनिसिपल बोर्ड में मजदूर काम करते हैं, उनके संबंध में क्या नीति बरती जाय।

इस वक्त जहां तक अर्द्ध सरकारी संस्थाओं की बात है जैसे म्युनिसिपल बोर्ड है उनके पास काफी स्टाफ रहता है उनके लिये वर्त्तमान व्यवहार यह है कि आम तौर से जहां कहीं झगड़े वगैरा पैदा होते हैं तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट उसको सुलझाने का प्रयत्न करता है परन्तु यदि किसी खास मामले में श्रम विभाग से कहा जाय कि आप सुलझा दीजिये तब तो श्रम विभाग बीच में पड़ता है अन्यथा वह अलग ही रहता है। यही दस्तूर है जो अभी बरता जा रहा है।

सरकारी विभागों की बाबत भी ऐसी बहुत सी बातें हैं। यहां लोग यह कहते हैं कि सरकारी विभागों में वह कानून और कायदे नहीं बरते जाते हैं, जो कि और कारखाने के मजदूरों के लिये लागू हैं। शायद कुछ हद तक कानपुर की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है, उसको कम्पनी कहिये या संस्था कहिये, वह कानपुर में बिजली सप्लाई करती है, उसमें ये कानून बरते जाते हैं।

ये कानून उचित हैं इसके पीछे एक लम्बा चौड़ा किस्सा है। लेकिन इस सिद्धांत को माना जाता है कि प्राइवेट कारखानों में और सरकारी विभागों में फर्क है। प्राइवेट कारखानों के लिये माना जाता है कि वह प्राफिट मेकिंग कंसर्न (लाभकारक संस्थायें) हैं और जो मुनाफा होता है वह उसके मालिकों में बंट जाता है। लेकिन जो सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग हैं, चाहे वह म्युनिसिपल बोर्ड वगैरह हों या गवर्नमेंट के विभाग हों उनमें जो मुनाफा होता है वह न तो मिनिस्टर्स को मिलता है और न मेम्बरान को मिलता है और न अधिकारियों को ही मिलता है, वह तो सब गवर्नमेंट ट्रैजरी में पहुंच जाता है और उससे सारी जनता को फायदा पहुंचता है, क्योंकि यह प्राफिट मेकिंग कंसर्न नहीं है। इसलिये इन पर वह नियम लागू नहीं किये जा सकते हैं जो इन कारखानों के लिये लागू किये जाते हैं, जो एक व्यक्ति या थोड़े व्यक्तियों के मुनाफे के लिये चलते हैं। एक विवाद यह रह जाता है कि इसको कैसे लागू किया जाय। मैंने आपको जो कुछ बतलाया अब तक तो यही दस्तूर रहा है। यह सवाल बराबर सरकार के सामने आया करता है। निश्चय ही यह वाद विवाद की रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल के सामने जायगी और इस पर फिर से विचार होगा।

एक बात है और है जो कुछ अप्रासांगिक है। यह जिक्र हुआ कि नैशनलाइजेशन नहीं हुआ। अगर इनका नैशनलाइजेशन हो जाता तो कारखाने के मुनाफे में से मजदूरों को भी हिस्सा मिल जाता। यह सोचने की बात है कि मजदूर जो कारखानों में काम करते हैं उनके लिये अगर हिस्सा बांटा जायगा तो उसको नैशनलाइजेशन कहेंगे या स्टेट केपिटलिज्म कहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि रूस में नैशनलाइजेशन है वहां पर मजदूरों में हिस्सा नहीं बांटा जाता है। जहां तक स्टेट कैपिटलिज्म की बात है वहां ही यह सवाल पैदा हो सकता है कि हिस्सा बांटा जाय। इसलिये जो माननीय सदस्य इस बात को पेश करते हैं कि नैशनलाइजेशन किया जाय और यह चाहते हों कि मजदूरों को हिस्सा बांटा जाय तो उनको इस पर गौर करना चाहिये कि वह हम से नैशनलाइजेशन की नीति अपनाने को कह रहे हैं या स्टेट कैपिटलिज्म की नीति अपनाने को कह रहे हैं।

यह जो हमारी अदालती मशीनरी है उसकी बाबत भी जिक्र किया गया और श्री कृष्णचन्द्र जी ने इसका जिक्र किया। उसमें जो दोष है उनकी खुद मैंने चर्चा की है कि इतनी अदालतों के ऊपर अदालत हो गई है यानी मजदूरों की अदालतों के ऊपर हाईकोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह वहां तक पहुंच सकें। इसलिये मजदूर तबाह हो जाता है इसलिये अदालतों की संख्या कम करनी होगी। लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का कानून है जो हर प्रदेश में लागू है। मैंने इसको बदलने के लिये वहां के श्रम मंत्री से बातचीत की तो उन्होंने यह बताया कि सर्दियों में वे नया कानून पास कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जितनी श्रम संस्थायें हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनके पास क्वश्चनेयर भेज दी गई है उनके जवाब आ जाने पर वे कानून ठीक करेंगे और उसके लिये वे एक कांफ्रेंस करेंगे। मैंने निमन्त्रण दिया है कि नैनीताल में कांफ्रेस कर ली जाय। सितम्बर के महीने में उन्होंने स्वीकार किया है। कान्फ्रेंस करने के बाद जो कुछ रूप बनेगा उसके बाद एक लेबर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस करके फायनलाइज किया जायगा। नवम्बर दिसम्बर तक फाइनली रिपोर्ट तैयार हो जायगी। कृष्णचन्द्र जी ने कहा कि तब तक मजदूर हमारे बस में नहीं रहेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। आप मजदूरों को समझाइयेगा और निश्चय ही आप उन्हें समझा लेंगे और मजदूर थोड़े दिन और इन्तजार कर लेंगे जब तक कि नया कानून न बन जाय।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कहा गया कि हमारे जो एवार्डस हैं मिल मालिक उसको नहीं मानते, गवर्नमेंट इसमें क्या करती है ? यह कहना गलत है कि हमारे ऐवार्डस नहीं माने जाते। हां, यह बात जरूर है कि जो लोग यह सवाल करते हैं वे यह जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट बड़ी सख्ती का बर्ताव करती है । लेबर डिपार्टमेंट एक सोशल सर्विस का डिपार्टमेंट है । इत्तिफाक़ की बात है कि लेबर और पुलिस दोनों विभाग एक ही व्यक्ति के चार्ज में हैं। एक्जिक्यूटिव का जो दृष्टिकोण होता है वह तो यही है कि जो नियम हैं, गलत या सही, इसको तै करने वाला तो दूसरा ही होता है लेकिन जो कुछ भी नियम हैं उनको पूरा कराया जाय और जो उन नियमों को तोड़े उनको सख्त दंड मिले । लेकिन जहां तक सोशल लेजिस्लेशन की बात है उसमें दंड की बात आखिर में सोची जाती है और तरीकों से काम लेने की कोशिश की जाती है । शायद ही कोई मामला ऐसा हुआ हो जिसमें मजदूरों के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट ने कार्यवाही की हो और उनको जेल भिजवाया हो । मुझे तो ऐसा कोई केस याद नहीं पड़ता। मुमकिन है कहीं हो गया हो। यह अवश्य है कि जहां तक हमारा बस चलता है कोई मिल मालिक किसी बात को तोड़ता है तो जहां तक होता है उसे जेलखाने नहीं भिजवाते। जब कोई भी रास्ता नहीं रह जाता तभी जेलखाने भेजेंगे। दुनिया में हर मुल्क में यही होता है, खाली हिन्दुस्तान में नहीं, कि किसी को जेलखाने नहीं भेजा जाता। कुछ सदस्यों ने यह जिक्र किया कि इस रिपोर्ट को पढ़ कर यह मालूम होता है कि बहुत से मामलों में इम्पलिमेंटेशन नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद थोड़ी दूर तक तो इसे पढ़ा, या पूरा भी पढ़ा तो किसी वजह से समझ नहीं सके । इसमें लिखा हुआ है--

"The percentage of employer implementing the awards thus works out to 85 per cent. of the total number of awards."

[नियोजकों द्वारा अवार्डों के कार्यान्वय का प्रतिशत अवार्डों के कुल योग का ८५ प्रतिशत बैठता है ।]

८५ का इम्पलिमेंटेशन (कार्यान्वय) हो गया और बाकी १५ का क्या हुआ। इसमें लिखा हुआ है :--

"In the case of 15 per cent. of awards which were not implemented, the reasons were the employers were taking recourse of filing appeals before the Hon'ble Tribunal or the Hon'ble High Court."

[उन १५ प्रतिशत अवार्डों के मामलों में जो कार्यान्वित नहीं किये गये, कारण ये थे कि नियोजकों ने आनरेबिल अपील ट्रिब्यूनल या आनरेबिल हाई कोर्ट में अपील दायर की थीं ।]

अगर ऊपर किसी ने अपील दायर कर दी तो उसमें सरकार क्या कर सकती है । ऐसी सूरत में जहां यह लिखा हुआ है कि इम्पलिमेंटेशन नहीं हुआ वहां कारण भी दिया हुआ है। ऊपर की अदालत में चले गये ट्रायबुनल में या हाई कोर्ट में। तब यह पूछना बेकार है कि इम्पलिमेंटेशन (कार्यान्वय) क्यों नहीं हुआ और आप क्या करते हैं।

कुछ खेतिहर मजदूरों के बारे में बातें कही गईं । ऐसा नहीं है कि खेतिहर मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं है । जो कठिनाइयां हैं उनका भी जिक्र किया गया । यह जो सुझाव दिया गया कि मिनिमम वेजेज़ मुकर्रर होनी चाहिये । बड़े बड़े फार्म्स में उसके लिये हमने अपने यहां कमेटी मुकर्रर की है और एक साइज निश्चय करनी होगी कि इस साइज के ऊपर जो फार्म्स होंगे उन पर यह लागू किया जाय। मैं यह कह सकता

हूं कि सरकार स्वयं इस प्रश्न पर विचार कर रही है और जहां तक जल्दी हो सकेगी लागू करने की कोशिश करेगी। वेजेज़ के अलावा और बहुत सी बातें होती हैं। मेरा कहना है कि खेतिहर मजदूरों की यूनियनें बनाने की कोशिश की जाय, जो दो बातों का ख्याल रखें कि वे नान, पोलिटिकल होनी चाहिये और नान कास्ट बेसिस पर बननी चाहिये। इत्तिफाक से ऐसा है कि जो क्लास मजदूरों से काम लेता है उसे ऊंची जाति वाला कहा जाता है और जो मजदूर खेती का काम करते हैं उनको छोटी जाति का कहा जाता है। कास्ट बेसिस पर यूनियन न बने इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है तभी खेतिहर मजदूरों का भला हो सकता है।

नारायणदत्त जी ने तीन चार बातों का जिक्र किया उनका चर्चा करना यहां पर जरूरी है। जहां तक मजदूरी की बात है उसकी बाबत उन्होंने यह कहा और कुछ फिगर्स भी दिये कि मजदूरों की मजदूरी कम हुई है। मैं भी मानता हूं निश्चय कम हुई है इसमें किसी को सन्देह नहीं है लेकिन जहां पर और कारण हैं वहां पर यह भी कारण है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट के अन्दर किया गया है। इसमें मजदूरों की कम मजदूरी का जिक्र है और इसमें पेज ७१ पर यह लिखा हुआ है कि :—

"A comparison of the average wage of the worker shows that there is a slight fall in almost all the industries of which the comparison has been made. This is due to the fall in the index number during the year 1950, which was responsible for a corresponding fall in the amount of dearness allowances, which, in many cases were linked with wages."

[मजदूर की औसत मजदूरी की तुलना प्रकट करती है कि प्रायः उन सभी उद्योगों में थोड़ी सी गिरावट हुई है जिनकी तुलना की गई है। इसका कारण १९५० में इंडेक्स नंबर में गिरावट है जो कि महंगाई भत्ते की धनराशि में आनुक्रमिक गिरावट के लिये जिम्मेदार है, जो कि अनेक मामलों में मजदूरी के साथ संबद्ध था।]

मजदूरों की मिनिमम मजदूरी ३० रुपया है तो कुछ डियरनेस मिलता है। कुल मिलाकर करीब ७०, ७५ या ८० के करीब मिल जाता है। तो अगर इण्डेक्स का नम्बर गिर जाता है तो उसको डियरनेस (महंगाई-भत्ता) भी कम मिलेगा। इसलिये इसमें जो लिखा है कि १९५० में इण्डेक्स गिरा उसकी वजह से मजदूरी कम हुई।

एक बात का उन्होंने जिक्र किया कि कारखानों पर ज्वाइण्ट कंट्रोल होना चाहिये और कुछ प्रोफिट (लाभ) का भी जिक्र किया। हम भी समझते हैं यदि ऐसा कोई रास्ता निकल सके और ऐसी कोई व्यवस्था हो सके तो अच्छा है। उससे उत्पादन में तरक्की हो सकती है और यह मजदूरों के लिये एक फायदे की बात होगी। लेकिन एक बात का उनको यक़ीन दिलाता हूं कि न्यूजीलैण्ड या आस्ट्रेलिया का मुक़ाबला यहां उत्तर प्रदेश से नहीं किया जा सकता। वह स्वतन्त्र देश है और हमारा उत्तर प्रदेश स्वतन्त्र देश नहीं है। हां, भारत सरकार के लिये यह बात कही जा सकती है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है हम कोई भी व्यवस्था इस तरह की नहीं कर सकते हैं, जो सारे भारत की व्यवस्था से बाहर जाती हो। सारे भारत के कारखानों का सवाल है। एक जगह की एक नीति, दूसरी जगह की दूसरी नीति एक यह नहीं हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो उसका असर फिर अच्छा नहीं होता है।

एक बात जरूर है माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले ऐसी योजना बनाई गई थी कि प्रोफिट-शेयरिंग (लाभ वितरण) का कोई रास्ता निकाला जाय

(डाक्टर सम्पूर्णानन्द)

जिससे कारखानों का फायदा हो, मजदूरों का फायदा हो और मिलमालिकों का भी फायदा हो। उसके लिये एक कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी ने फैसले भी किये लेकिन उन फैसलों को न तो मिल मालिकों ने माना और न मजदूरों ने माना है। हम भी चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा रास्ता निकल सके जिससे दोनों का फायदा हो तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती, लेकिन जब तक सारे भारत के लिये कोई चीज तय न हो केवल उत्तर प्रदेश में हमारे लिये तय करना मुश्किल है।

एक बात और कही गई कि मार्टिन ग्रूप के फैसले को नहीं माना गया। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिये कि हमको मजदूरों के हित का ख्याल नहीं है। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल रखता हूं। जिस वक्त कानपुर की बिजली कम्पनी के अधिकार यू० पी० गवर्नमेंट को ट्रान्सफर किये गये उस वक्त उसके पास १ करोड़ रुपया बाक़ी था। मजदूरों ने कहा कि इस रुपये में से हमको भी हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि यह रिजर्व रुपया है। मजदूरों के हित के ख्याल से हमने इस बात को माना और उस मामले को ऐजुडिकेशन में भेज दिया कि यह सही बात है और ५० लाख रुपया मजदूरों को मिलना चाहिये और इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक मजदूरों के हित का सवाल था हमने इस बात को सपोर्ट किया, हालांकि वह हाईकोर्ट में जाकर मजदूरों का मामला हार गया। हमारी इसमें काफी बदनामी हुई और कहा गया कि साहब कैपिटल को खत्म किया जा रहा है और अन्धेर मचा हुआ है। फिर कहा जा सकता है कि जब एक कम्पनी के सम्बन्ध में एक चीज की गई तो दूसरी कम्पनी के लिये भी वही चीज क्यों नहीं की गई? मैं आप को यह भी बतला देना चाहता हूं कि हम ने इसलिये नहीं किया कि जहां गवर्नमेंट को मजदूरों का ख्याल है वहां उसको जनरल पब्लिक का भी उतना ही ख्याल है। मार्टिन कम्पनी के लिये जो ऐवार्ड किया गया था अगर उस पर अमल किया जाता तो उसका नतीजा यज्यू होता कि कंन्जूमर के ऊपर बिजली का रेट बढ़ जाता। मुमकिन है कि गवर्नमेंट का यह ख्याल ग़लत हो, लेकिन हमने यह बात सोची कि अगर उसको अमल में लाया जाता तो जनरल पब्लिक को बिजली के ज्यादा दाम देने पड़ते। हमने यह भी ख्याल किया कि इस वक्त बिजली का रेट बढ़ाना ठीक नहीं है। मैं यह भी कह दूं कि हमारे ऐसा करने से सिवा थोड़े से बड़ी तनख्वाह वाले आदमियों के मजदूरों में से किसी का कोई नुक़सान नहीं हुआ। जो ऐवार्ड हुआ था और जिसको हमने नहीं माना उससे साधारण मजदूरों का कोई नुक़सान नहीं हुआ। इसलिये इससे यह साबित नहीं हो सकता कि मजदूरों का हमें ख्याल नहीं है बल्कि यह साबित होता है कि इस सरकार को मजदूरों का भी ख्याल है और उस समाज का भी ख्याल है कि जिसका एक अंग स्वयं मजदूर हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। केवल एक बात और कह कर समाप्त करूंगा और वह यह है कि इस कट मोशन को जिन्होंने पेश किया था उन्होंने जाने क्या समझ कर और किस मतलब से यह कह दिया कि मेरे ऊपर उनको विश्वास है लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यह कोशिश रहती है कि मजदूरों के संघटन टूट जायं और वह छिन्न-भिन्न हो जाय। मैं समझता हूं कि जो शख्स मुझमें विश्वास करता है उसको जवाब देना एक ग़लत बात होगी और मैं समझता हूं कि यही शराफ़त भी है कि मैं उनकी इस बात का जवाब न दूं। मेरा आत्मसम्मान भी यही कहता है कि ऐसी बात का जवाब देना भी ग़लत ही होगा। मैं अन्त में माननीय सदस्य से यह नहीं कहता कि वह अपने कट मोशन को वापिस ले लें। सम्भव है उनका निश्चय विरोध करने का हो, तो वह अगर करें। वह वापिस नहीं लेते हैं तो सदन से मैं अनुरोध करूंगा कि वह उस पर विचार करके उसको गिरा दें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने श्रम मंत्री जी की बातों को सुना और बहुत बड़े सिद्धान्त की बातों को सुना और उन्होंने यह भी कहा कि मेरे आक्षेप का जवाब देना व पसन्द नहीं करते। मैं समझता हूं कि जो चीजें मैंने कही हैं अब भी मैं उसी राय को रखता हूं और उसका कोई जवाब मंत्री जी के पास नहीं है। क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उन्होंने आई० एन० टी० यू० सी० को मान्यता क्यों प्रदान की जब कि शुगर इंडस्ट्री में सैन्सस हुआ और उसमें वह हार चुकी थी? मंत्री जी के पास इसका क्या जवाब है? जितनी भी सरकारी कमेटियां बनती हैं उनमें ३ सदस्य आई० एन० यू० टी० सी० के रखे जात हैं और जो संगठन जीतते हैं उनके कम सदस्य रखे जाते हैं। इस तरह की बात क्यों होती है।

समय कम है लेकिन दो एक बात और माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी कहा कि मजदूरों के झगड़ों का समझौता कराने वाली जो मशीनरी है उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कर सकते लेकिन मंत्री जी अधिकारियों को यह तो आज्ञा दे सकते हैं कि जितने केसेज आयें वह एडजुडिकेशन में दे दें। यदि यह नीति उनकी नहीं रही है कि वह किसी संस्था को सपोर्ट करें तो अधिकारियों को ऐसा आदेश दें। हो सकता है कि मंत्री जी के नाम का नाजायज फायदा उठाया जाता हो और अधिकारियों को डरा धमका कर नाजायज काम कराने की कोशिश करते हों, मैंने जो कुछ कहा उसकी भी बुनियाद है बेबुनियाद चीज मैं नहीं कह रहा हूं। इसका भी पता उनको लगाना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसका पता लगावेंगे क्योंकि कुछ जगह ऐसा हुआ है और जिन अफसरों ने न्यूट्रल रहने की कोशिश की है उनकी तरक्की रोकी गई है। अगर माननीय मंत्री जी समझते हैं कि यह उनकी नीति नहीं है तो उनको चाहिये कि वह हर एक अफ़सर को हिदायतें भेजें कि किसी भी संस्था के साथ पक्षपात न किया जाय। जैसे ही वह आर्डर भेजेंगे तो मैं समझता हूं कि वह अफसर सुधर जावेंगे। अभी हमारे अवस्थी जी ने बतलाया कि आपने बीच में यह चीजें कह कर गड़बड़ी करने की कोशिश की। मैं अवस्थी जी ही के सामने नहीं, बल्कि इस समस्त सदन के सामने यह साफ साफ रख देना चाहता हूं कि हमारी हमेशा यह नीति रही है कि एक इंडस्ट्री में मजदूरों का केवल एक ही, आर्गेनाइजेशन हो और चाहे कोई कांग्रेस से सम्बन्ध रखता हो या सोशलिस्ट या और किसी पार्टी का हो सब उसक सदस्य बन सकते हैं। आई० एन० टी० यू० सी० के मंत्री जी से जाकर पूछिये कि हम लोगों ने पीलीभीत कान्फ्रेंस में एक दस्तखती समझौता किया था कि हम एक ही आर्गेनाइजेशन में रहेंगे भले ही कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। हमने यह तय किया था कि जहां तक मजदूरों के मामले का सम्बन्ध है वहां सब एक साथ मिल कर मिल वालों के खिलाफ लड़ाई करेंगे लेकिन उस चीज़ को चलने नहीं दिया गया। कुछ ही नेताओं ने, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसे नहीं चलने दिया। तो इसमें दोष तो उनका है।

कठकुइयां मिल को सरकार न इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट की धारा ३ के मातहत अपने हाथ में लिया था। क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि इस समय वह मिल १२ लाख के घाटे में चल रही है? उनके ख़िलाफ़ पच्चीसों चीजें इनक्वायरी कराने के लिये सरकार के पास आईं लेकिन उसने जांच कराने की कोई कार्यवाही नहीं की। वह इनक्वायरी होनी चाहिये वहां कितनी ही चोरियां की गई हैं जिनके सबूत मेरे पास यहां मौजूद हैं और यदि माननीय मंत्री जी कोई समय दें तो मैं उनके सामने रखने के लिये तैयार हूं। क्या यह शिकायत की बातें नहीं है कि आप किसी इंडस्ट्री को हाथ में लेते हैं और वह घाटे पर चलती है?

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो कुछ भी लेबर के बारे में हमने कहा, जैसे स्टैंडिंग आर्डर के बारे में, बोनस के बारे में या मैशीनरी को बदलने के बारे में, इनके ऊपर मंत्री जी ध्यान देंगे और उन बातों को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। यदि मंत्री जी ने इन चीजों को ठीक कर दिया और अफ़सरों में पक्षपात नहीं रहा तो फिर हम क्यों ऐसा कहेंगे? आशा है कि आप इधर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष-- क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल--नहीं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९, श्रम और संख्या, लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग, के अन्तर्गत २३, ३२,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२२ जुलाई, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५ पर)

अनुसूची

क्रम-संख्या	अधिनियम का नाम	लागू करने का दिनांक	विशेष
१	दी इन्टरमीजियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१	१–३–१९५०	पूरा अधिनियम
२	दी नायक गर्ल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, १९२९	३०–१०–१९५०	,,
३	दी यू० पी० माइनर गर्ल्स प्रोटेक्टशन ऐक्ट, १९२९	३०–१०–१९५०	,,
४	दी यू० पी० स्टेट टचूब वेल्स ऐक्ट, १९२६	८–३–१९५२	,,
५	दी यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६	२३–८–१९५२	,,
६	दी यू० पी० सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्जेशन ऐक्ट, १९३९	१–७–१९५०	,,
७	दी यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९	१९–१–१९५२	केवल भाग १ और २
८	दी यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९	१–८–१९५१	केवल धारा ९१
९	दी यू० पी० रोड साइड लैंड कंट्रोल ऐक्ट, १९४५	२३–८–१९५१	पूरा अधिनियम
१०	दी यू० पी काटन (स्टेटिस्टिक्स) ऐक्ट, १९४७	२८–२–१९५१	,,
११	दी एलक्ट्रीसिटी (टम्पोरेरी) पावर्स आफ कंट्रोल ऐक्ट, १९४७	११–१२–१९५०	,,
१२	दी यू० पी० (टम्पोरेरी) स्टोरेज रेक्यूजीशन ऐक्ट, १९४७	२९–१–१९५१	,,
१३	दी यू० पी० शाप्स ऐंड कमर्शीयल स्टेबलिशमेंट ऐक्ट, १९४७	१–५–१९५०	,,
१४	दी यू० पी० मालेसिस कंट्रोल ऐक्ट, १९४७	१–७–१९५०	,,
१५	दी यू० पी० (टम्पोरेरी) ऐक्ट, एकामडेशन रिक्यूजीशन ऐक्ट, १९४७	१४–७–१९५२	,,

१६	दी यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७	१–५–१९५०	पूरा अधिनियम
१७	दी यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८	१–१–१९५०	,,
१८	दी यू० पी० वेट्स ऐंड मेजर्स ऐक्ट, १९४७	१०–४–१९५१	केवल अध्याय १
१९	दी यू० पी० प्राइवेट फारेस्टस ऐक्ट, १९४८	१–६–१९५०	पूरा अधिनियम
२०	दी यू० पी० प्रिवेंशन आफ क्राईम्स (स्पेशल पावर्स) (टेम्पोरेरी) ऐक्ट, १९४८	१–५–१९५०	केवल धारा १
२१	दी यू० पी० ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, ऐक्ट, १९४८	१–७–१९५०	पूरा अधिनियम

विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—६३ एल० ए०—१९५२—८५०